

अप्रैल 2022

मूल्य : ₹ 22



कृषकेन्द्र


ग्रामीण विकास को समर्पित



सशक्त होतीं ग्रामीण महिलाएं



अब उपलब्ध हैं...



इकोनॉमिक सर्वे 2021–22 (अंग्रेजी संस्करण)
मूल्य- ₹495/- (पूरा सेट वाल्यूम 1 और 2)

- भारत के आर्थिक विकास की गहन समीक्षा
- देश के औद्योगिक, कृषि, विनिर्माण इत्यादि सभी क्षेत्रों के विस्तृत सारिव्यक्तीय आंकड़े

आज ही नज़दीकी
पुस्तक विक्रेता से खरीदें

ऑर्डर के लिए संपर्क करें :

फ़ोन : 011-24365609

ई-मेल : businesswng@gmail.com

वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in



प्रकाशन विभाग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003



कुरुक्षेत्र

इस अंक में

वर्ष : 68 ★ मासिक अंक : 6 ★ पृष्ठ : 52 ★ चैत्र-वैशाख 1943 ★ अप्रैल 2022

वरिष्ठ संपादक : ललिता शुश्राव
 संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : डी.के.सी. हृदयनाथ
 आवरण : राजिन्द्र कुमार
 सज्जा : मनोज कुमार
 संपादकीय कार्यालय
 कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन,
 सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड,
 नई दिल्ली-110 003
 ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com
 वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
 @publicationsdivision
 @DPD_India
 @dpd_India

कुरुक्षेत्र सदस्यता शुल्क
 पत्रिका ऑनलाइन खरीदने के लिए bharatkash.gov.in/product पर
 तथा ई-पुस्तकों के लिए Google play, Kobo या Amazon पर लॉग-इन
 करें।
 वार्षिक : ₹ 230, द्विवार्षिक : ₹ 430, त्रिवार्षिक : ₹ 610
 कुरुक्षेत्र की सदस्यता की जानकारी लेने, एजेंसी संबंधी
 सूचना तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें।

अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश
 प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातांत्र तल,
 सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर,
 लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003

सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने
 में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है।
 पत्रिका न मिलने की शिकायत हेतु इस पर मेल
 करें ई-मेल : pdjucir@gmail.com या दूरभाषः
 011-24367453 पर संपर्क करें।



कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार
 लेखों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी
 दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि
 कैरियर मार्गदर्शक किताबों / संस्थानों के बारे में
 विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें।
 पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के
 लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

आत्मनिर्भर भारत के लिए महिला सशक्तीकरण

—डॉ. नीलम पटेल और डॉ. तनु सेठी

5



सशक्त होती महिला किसान

—चरणजीत सिंह

9

जल जीवन मिशन : अग्रणी भूमिका में महिलाएं

—विनी महाजन

14

समग्र विकास के लिए महिला शिक्षा

—जे.पी. पांडेय

19

महिला वैज्ञानिकों एवं चिकित्सकों के रखे स्वर्णिम अध्याय

—निमिष कपूर

25



पंचायती राज में महिलाएं

—अरुण तिवारी

34

उद्यमिता में महिलाएं

—भुवन भास्कर

38

सामूहिक नारी शक्ति के प्रतीक ख्याली समूह

—हेना नकवी

42

प्रौद्योगिकी से समावेशी विकास

—भक्ति जैन और ईश्ता सिरसीकर

46



प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी-विंग, सातांत्री मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नई गवर्नर्मेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सी.जी.ओ. टावर, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बैंगलुरु	फर्स्ट प्लॉर, 'एफ विंग, केंद्रीय सदर, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-ए, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नैच्यन टॉवर, चौथी मंजिल, एचपी पेट्रोल पंप के निकट, नेहरू ब्रिज कार्नर, आश्रम रोड, अहमदाबाद	380009	079-26588669

चा हे रक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का, विज्ञान का या अंतरिक्ष विज्ञान का या फिर खेलकूद, आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वे अपने संघर्ष और मेहनत से लगातार आगे बढ़ रही हैं और अपनी उपलब्धियों से देश का गौरव बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर अपने सम्बोधन में इस बात को बार-बार रेखांकित किया है कि “आज मुद्दा महिलाओं के विकास का नहीं, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का है।” ग्रामीण भारत में शिक्षा, उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली योजनाएं और पंचायतें इस दिशा में उल्लेखनीय भूमिका निभा रही हैं।

नारी सशक्तीकरण में शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक शिक्षित महिला मात्र एक या दो परिवारों को नहीं बल्कि पीढ़ियों को साक्षर करती है। यहीं नहीं बल्कि शिक्षित महिला अपने लिए सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए भी रास्ते बना लेती है। शिक्षा संभावनाओं को खोलती है। अब 21वीं सदी में जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, उन्हें सशक्त बनाना वास्तव में आवश्यक है। भारत एक विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे में महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में महिला शिक्षा के महत्व को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। शिक्षा ज़मीनी स्तर पर महिला सशक्तीकरण के द्वारा खोलने की मुख्य कुंजी है। शिक्षा आज के तकनीकी युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद कर परिवार, समाज और देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है।

शिक्षित महिलाएं अपने स्वास्थ्य के बारे में भी बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। शिक्षित महिलाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य से लेकर व्यक्तिगत स्वास्थ्य, पोषण और यौन स्वास्थ्य के बारे में अधिक जानकार और जागरूक होती हैं, इसलिए वे अपने और अपने परिवार की स्वास्थ्य देखभाल के बारे में ज्यादा सचेत होती हैं।

उद्यमिता के क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं का बड़े पैमाने पर आगे आना एक बड़े बदलाव का सूचक है चूंकि महिला उद्यमी न सिर्फ व्यक्तिगत और परिवार के स्तर पर, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी आर्थिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। ग्रामीण महिलाओं को सफल उद्यमियों में बदलना आज एक सामाजिक आवश्यकता है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में हर वर्ग की महिलाएं कुशलता प्रशिक्षण के जरिए छोटे, किंतु ‘आत्मनिर्भर’ उद्यम खड़े करने के प्रति काफी रुचि दिखा रही हैं। इस दिशा में उन्हें व्यावसायिक ज्ञान और तकनीकी जानकारियों से लैस करने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, जो केंद्र, राज्यों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा संचालित की जाती हैं। इन योजनाओं का और विस्तार करने की ज़रूरत है।

भारत सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना ‘दीनदयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ के तहत गठित स्वयंसहायता समूह, महिला सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये समूह सुव्यवस्थित तरीके से महिलाओं के आर्थिक-सामाजिक बदलाव के लिए प्रयासरत हैं। महिलाओं के माध्यम से आ रहे बदलाव के ज़रिए ग्रामीण भारत और कुल मिलाकर, समस्त भारत में एक नई इबारत लिखी जा रही है।

ग्रामीण परिवारों की आजीविका को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत करने के लिए इन समूहों के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण, विशेषकर, मातृ-बाल स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, समूहों की बहुत बड़ी भूमिका इन मुद्दों पर समुदाय का व्यवहार परिवर्तन करना भी है। आजीविका के तहत समस्त राष्ट्र के स्वयंसहायता समूहों को एक निश्चित पहचान और काम करने के ढंग में एकरूपता मिली है। आज पूरे देश में 75 लाख से अधिक स्वयंसहायता समूह गठित किए जा चुके हैं, जिनमें करीब आठ करोड़ से अधिक महिलाएं सदस्य हैं।

संक्षेप में, ग्रामीण भारत में बदलाव की जो लहर चल रही है, उसका श्रेय सूचना क्रांति और वित्तीय समावेशन को जाता है। ग्रामीण महिलाओं को इन योजनाओं से भरपूर लाभ हुआ है। ‘आजीविका’ के तहत गठित स्वयंसहायता समूहों के ज़रिए महिलाओं ने अपनी सामूहिक शक्ति को पहचाना है और एक सफल ‘उद्यमी’ के रूप में अपने परचम लहरा रही हैं। अगर इसी तरह महिलाएं एकजुट होकर आगे बढ़ती रहीं तो वह दिन दूर नहीं जब अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में ग्रामीण भारत की ये महिलाएं अपनी पैठ जमा लेंगी। इसके लिए बस ज़रूरत है उन्हें सही मार्गदर्शन और कौशल प्रशिक्षण की।

आत्मनिर्भर भारत के लिए महिला सशक्तीकरण

—डॉ. नीलम पटेल और डॉ. तनु सेठी

भारत सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रभावी तरीके से काम किया है। इसके तहत, आर्थिक समावेशन और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के साथ-साथ रहन-सहन का तौर-तरीका बेहतर करने के लिए भी पहल की गई हैं। कार्यबल में ग्रामीण महिलाओं की हिस्सेदारी अनुमानित तौर पर 24.8 प्रतिशत है। इनमें से 80 प्रतिशत महिलाएं कृषि और कृषि संबद्ध अन्य क्षेत्रों से जुड़ी हैं। ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में भी अहम योगदान कर सकता है, जिससे 2020-25 तक भारत को 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत की परिकल्पना ऐसी संपत्ति के तौर पर की गई है जिसमें आर्थिक विकास को बढ़ाने की अत्यधिक संभावना है और जो सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में भी सक्षम है। सरकार ने हाल में ग्रामीण महिलाओं की बेहतरी के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है, जैसे कि उज्ज्वला योजना, अंत्योदय योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और कुछ अन्य योजनाएं। इस तरह की योजनाओं से साफ है कि ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण केंद्र सरकार की प्राथमिकता सूची में काफी अहम है, ताकि आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा किया जा सके।

इन योजनाओं का गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि भारत सरकार की अधिकतर योजनाओं और कार्यक्रमों के केंद्र में ग्रामीण महिलाएं ही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य रोजगार से जुड़े अलग-अलग तरह के अवसर प्रदान कर ग्रामीण महिलाओं की स्थिति बेहतर करना है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयूजीकेवाई), प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल विकास योजना,

राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (एनआरईटीपी), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) आदि के जरिए ग्रामीण रोज़गार पारिस्थितिकी तंत्र बेहतर हुआ है और भारत में महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित हुआ है (पटेल एंड सेठी 2022)। इन उपायों से शिक्षा, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं और आजीविका से जुड़े अलग-अलग अवसरों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र में शुरू की गई इन योजनाओं से आर्थिक गतिविधियों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और उनका जीवन-स्तर बेहतर हुआ है। अतः अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने, गरीबी हटाने, जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने और 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण काफी अहम है।

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी

पिछले दशक के दौरान शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर आबादी में बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। साल 2001 में ग्रामीण और





शहरी आबादी क्रमशः 74.3 करोड़ और 28.6 करोड़ थी, जबकि 2011 में यह आंकड़ा क्रमशः 83.3 करोड़ और 37.7 करोड़ हो गया (जनगणना 2011)। इसी दौरान शहरी पुरुष और ग्रामीण पुरुष, दोनों का कार्यबल में भागीदारी का प्रतिशत बराबर था, जबकि कार्यबल में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी शहरी महिलाओं के मुकाबले काफी ज्यादा थी। वर्ष 2011–12 में शहरी पुरुष और शहरी महिला कार्यबल भागीदारी दर क्रमशः 54.6 प्रतिशत एवं 14.7 प्रतिशत जबकि ग्रामीण पुरुष और ग्रामीण महिलाओं के मामले में यह दर क्रमशः 54.3 प्रतिशत और 24.8 प्रतिशत थी (MOSPI, 2017)।

ग्रामीण समुदायों में कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्र ही आर्थिक रूप से सक्रिय 80 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं की आजीविका का मुख्य साधन हैं। इनमें से 33 प्रतिशत महिलाएं खेतिहर मजदूर हैं, जबकि 48 प्रतिशत की खुद की खेती है। महिलाएं बड़े पैमाने पर कृषि संबंधी गतिविधियों से जुड़ी हैं। उदाहरण के लिए, प्रमुख फसलों के उत्पादन, बुआई, गोबर की खाद बनाने, खाद / कीटनाशकों के इस्तेमाल, बीज के चुनाव, आरोपण, थ्रेशिंग, ओसाई आदि में महिलाओं की भूमिका अहम है। ये महिलाएं पशुओं की देखभाल, दूध उत्पादन, मछली पालन, लकड़ियां चुनने आदि कार्यों में भी सक्रिय हैं। हालांकि, ग्रामीण महिलाओं को इन गतिविधियों में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इस वजह से उनकी उत्पादन क्षमता पर भी असर पड़ता है। इन महिलाओं के पास आमतौर पर शिक्षा और कौशल का अभाव होता है और औसत मजदूरी के मामले में भी उन्हें असमानता झेलनी पड़ती है।

एक अध्ययन के मुताबिक, साल 2004–05 और 2011–12 के दौरान ग्रामीण कार्यबल में महिलाओं की संख्या में बड़े पैमाने पर गिरावट देखने को मिली। इस अवधि में बड़ी संख्या में महिलाएं कृषि कार्यों से अलग हुईं (Chand et al, 2017)। इसके बावजूद कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है। ग्रामीण महिलाओं के खेती संबंधी पारंपरिक कौशल से गरीबी और भुखमरी को कम करने में मदद मिली है। अतः, ज़मीनी स्तर पर महिला केंद्रित सुधारों संबंधी पहल जिसमें संसाधनों की उपलब्धता, कौशल विकास और कृषि क्षेत्र में बेहतर अवसर सुनिश्चित हो, से विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में 2.5 से 4 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है (FAO, 2011)।

महिला किसानों को मुख्यधारा में लाना

वर्तमान सरकार ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं को मुख्यधारा का हिस्सा बनाने की पहल की है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला केंद्रित योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस मिशन को बढ़ावा दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की लाभार्थी आधारित योजनाओं के तहत ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

इन विशेष योजनाओं के तहत, राज्य और योजनाएं लागू करने वाली अन्य एजेंसियों को महिला किसानों पर कुल खर्च का कम से कम 30 प्रतिशत हिस्सा वहन करना पड़ेगा। साथ

ही, महिला किसानों से जुड़ी दिक्षतों और चुनौतियों को समझने के लिए शोध कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय शोध केंद्र (NRCWA)* कई तरह के अनुसंधान कार्यक्रम चला रहा है। इन शोध कार्यक्रमों का उद्देश्य खेती से जुड़ी महिलाओं की समस्याओं को दूर करना और गांवों में बेहतर आधारभूत ढांचा तैयार करना है। संस्थान कृषि और घरेलू अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लैंगिक समानता, तटीय कृषि पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, महिला किसानों के लिए विस्तार के तरीके, महिला विशिष्ट क्षेत्र प्रथाओं का मानकीकरण, व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों, पर्यावरण अनुकूल कीट प्रबंधन प्रौद्योगिकियां, इंटरेक्टिव लर्निंग मॉड्यूल मूल्यांकन आदि से जुड़ी विशेष शोध परियोजनाओं पर कार्य करता है।

महिला किसानों के हित में किए गए बेहतर उपायों की वजह से देश में महिला परिचालन जोतों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2010–11 में महिला परिचालन जोतों की संख्या 12.78 प्रतिशत थी और 2015–16 में यह आंकड़ा बढ़कर 13.78 प्रतिशत हो गया है (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, 2019)। कृषि पद्धतियों के अलावा, अध्ययन से पता चला है कि ग्रामीण महिलाएं डेयरी उत्पादों, खली, अंडा, मांस आदि की बिक्री से भी अतिरिक्त कमाई कर रही हैं।

महिला सशक्तीकरण के लिए ग्रामीण ढांचे को बेहतर बनाना: सुरक्षा और सभी के लिए सुगम जीवन

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में बेहतरी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री रोज़गार सूजन कार्यक्रम (पीएईजीपी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयूजीकेवाई), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) जैसी योजनाओं ने भारत में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति सुधारने में अहम योगदान किया है। ज़िला—स्तर पर पर महिला शक्ति केंद्र की स्थापना से ग्रामीण महिलाओं को संरक्षा और सुरक्षा मिली है।

भारत सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं, ताकि ग्रामीण महिलाओं की जीवनशैली बेहतर हो सके और उन्हें सुविधायुक्त माहौल मिल सके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) और 'हर घर जल' योजना के तहत, सभी ग्रामीण घरों में रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) और पीने का पानी उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 में की गई थी, जिसका उद्देश्य देश की 8 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर मुहैया कराना था। अध्ययनों से पता चला है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वजह से महिला सशक्तीकरण के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर बेहतर प्रभाव देखने को मिला है (यदुवीर यादव 2020)। एलपीजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का मक्सद धुएं वाले पारंपरिक चूल्हों को बदलना था, जो स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक हैं। एक अनुमान के मुताबिक, बायोमास और

*National Research Centre for Women in Agriculture



कोयले के धुएं से 2016 में 7,80,000 लोग समय से पहले ही मौत के शिकार हो गए। उम्मीद है कि उज्ज्वला पहल से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ियों, घरेलू वायु प्रदूषण और जंगलों की कटाई को रोकने में मदद मिलेगी।

जल शक्ति मंत्रालय के तहत, ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाने के लिए फलैगेशिप कार्यक्रम जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की गई। इसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक गांव के सभी घरों में नल का कनेक्शन उपलब्ध कराना है। देश के 101 ज़िलों, 1,159 प्रखंडों, 67,473 ग्राम पंचायतों और 1,39,366 गांवों ने 'हर घर जल' का लक्ष्य हासिल कर लिया है। साल 2021 में तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली और दमन व दीव में 'हर घर जल' का संपूर्ण लक्ष्य हासिल किया जा चुका है (जल शक्ति मंत्रालय, 2022)।

इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन—ग्रामीण के तहत सभी ग्रामीण घरों में स्वच्छता संबंधी सुविधाओं के लिए अभियान शुरू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य गांवों में स्वच्छ वातावरण हेतु खुले में शौच की समस्या से निपटना और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना है। इन उपायों ने ग्रामीण महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाया है।

केंद्रीय बजट 2022–23 में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन हेतु बजट आवंटन में बढ़ोत्तरी की गई है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। वित्त वर्ष 2021–22 में जल जीवन मिशन के लिए फंड आवंटन 45,000 करोड़ रुपये था, जिसे 2022–23 में बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बजट 2022–23 में स्वच्छ भारत मिशन—ग्रामीण के लिए 7,192 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं (जल शक्ति मंत्रालय, 2022)।

सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक समानता ग्रामीण महिला सशक्तीकरण के लिए काफी अहम हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 'मिशन शक्ति' की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर महिला सशक्तीकरण का हब बनाने, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास (सखी निवास), आश्रयविहीन महिलाओं के लिए आवास उपलब्ध कराने की बात है। ग्रामीण इलाकों में आंगनवाड़ी सेवाएं स्थापित की गई हैं, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें और स्वास्थ्य व पोषण की दिशा में जागरूकता फैलाई जा सके। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के तहत गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 6 सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सेवाएं हैं— (i) पूरक पोषण (एसएनपी); (ii) स्कूल जाने से पहले अनौपचारिक शिक्षा; (iii) पोषण और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा; (iv) टीकाकरण; (v) स्वास्थ्य जांच और (vi) रेफरल सेवाएं। पोषण की समस्या से निपटने, सही समय पर मातृत्व संबंधी सुविधाएं उपलब्ध

कराने और ग्रामीण महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई है।

ग्रामीण महिलाओं को हिंसा और अन्य तरह के हमलों से बचाने के लिए 'सखी' केंद्र या वन स्टॉप सेंटर्स (OSCs) स्थापित किए गए हैं, जिसके तहत एक ही जगह पर कई तरह की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे पुलिस सहायता, मेडिकल सहायता, कानूनी सहायता और परामर्श, मनोसामाजिक परामर्श और अस्थायी आश्रय का प्रबंध आदि (महिला और बाल विकास मंत्रालय 2021)।

कौशल विकास और उद्यमिता संबंधी अवसर

देश के आर्थिक विकास के लिए कार्यबल में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है (MoSPI, 2017)। इसके लिए ग्रामीण महिलाओं हेतु आजीविका के बेहतर अवसर सृजित करने के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास महत्वपूर्ण होगा। इन्वेस्ट इंडिया (2022) के अनुसार, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध विकल्पों के बीच के अंतर को पाटने के लिए प्रभावी जागरूकता अभियान की ज़रूरत है। ये जागरूकता अभियान ग्रामीण महिलाओं को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) जैसे गैर-पारंपरिक व्यवसायों को चुनने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

भारत सरकार ने अंतर-मंत्रालयी स्तर पर कई पहल की हैं, जिनका उद्देश्य महिला किसानों के हितों को बढ़ावा देना है, ताकि आजीविका के बेहतर अवसरों सहित उन्हें सामाजिक-आर्थिक लाभ पहुंचाया जा सके। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के ज़रिए ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी), ग्रामीण महिला किसानों को कौशलयुक्त बनाने से जुड़ी प्रमुख पहल है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस परियोजना को दीनदयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई—एनआरएलएम) के उप-घटक के तौर पर पेश किया था। इसे देशभर में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के ज़रिए लागू किया जाता है।

डीएवाई—एनआरएलएम योजना के तहत महिला किसानों को सामुदायिक संसाधन व्यवितरणों और विस्तार एजेंसियों के ज़रिए आधुनिकतम कृषि तकनीकों, कृषि पारिस्थितिकी का सवोत्तम अभ्यास आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। मिशन के माध्यम से तकरीबन 58,295 कृषि सखियों को 735 राज्य—संसाधन व्यवितरणों के ज़रिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, 2021)। कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण के कोर्स (कम से कम 200 घंटे के) किसानों और महिला किसानों के लिए आयोजित किए जाते हैं। ये कोर्स देशभर में राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा कराए जाते हैं। इसके अलावा, विशेष तौर से महिला किसानों को किचन गार्डनिंग और न्यूट्रिशन गार्डनिंग से घरेलू खाद्य सुरक्षा; न्यूनतम खर्च आहार तैयार और विकसित करना,



उच्च पोषक दक्षता आहार, प्रोसेसिंग और कुकिंग, ग्रामीण क्राफ्ट, प्रसंस्करण में कम—से—कम पोषक तत्वों का नुकसान सुनिश्चित करने से जुड़े विषयों पर विस्तार निकायों के ज़रिए प्रशिक्षण दिया जाता है (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 2021)।

किसान उत्पादक संगठनों और स्वयंसहायता समूहों की मदद से दूरदराज के इलाकों में महिला कैंट्रिट कार्यक्रमों को लेकर सामुदायिक स्तर पर जागरूकता फैलाई जा रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास के लिए छोटी अवधि के कोर्स शुरू किए गए हैं। ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) कार्यक्रम द्वारा प्रशिक्षित कुल 66 प्रतिशत उम्मीदवार महिलाएं हैं। आरसेटी अगरबत्ती, सॉफ्ट खिलौने, पापड़, अचार, मसाला पाउडर, ब्यूटी पार्लर प्रबंधन और पोशाक जैलरी आदि बनाने के लिए प्रशिक्षण मुहैया कराता है। इस योजना के तहत, कुल 64 में से 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम खासतौर पर महिलाओं के लिए हैं। योजना की शुरुआत से अब तक कुल 26.28 लाख महिला उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है (ग्रामीण विकास मंत्रालय 2022)।

ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यमिता संबंधी अवसर पैदा करने के उद्देश्य से भारत सरकार कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। उदाहरण के लिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम (एसईवीपी) चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य स्वरोज़गार के लिए अवसर प्रदान करना, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और स्थानीय सामुदायिक उद्यमों की स्थापना हेतु प्रशिक्षण मुहैया कराना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2022 के आंकड़ों से पता चलता है कि स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम के तहत, करीब 75 प्रतिशत उद्यमों का मालिकाना हक और प्रबंधन महिलाओं के पास है।

साथ ही, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) के तहत, ग्रामीण युवाओं के लिए देशभर में नियोजन आधारित कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित महिला शक्ति केंद्रों के ज़रिए ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण में मदद मिली है। इसके तहत सामुदायिक भागीदारी और स्त्री शिक्षा, मातृत्व संबंधी देखभाल, स्वास्थ्य आदि सुनिश्चित करने की बात है।

वित्तीय सशक्तीकरण

प्रधानमंत्री जन—धन योजना के ज़रिए वित्तीय समावेशन और बैंकिंग तक पहुंच सुनिश्चित हुई है जिससे संगठित क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी की संभावनाएं बढ़ी हैं। जन—धन योजना से ग्रामीण महिलाओं के लिए वित्तीय सेवाओं, मसलन बचत/जमा खातों, पैसे भेजने, कर्ज, बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। वित्तीय समावेशन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सुविधा का भी फायदा मिलता है। इस योजना के लागू होने के बाद से देश में 43.04 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इनमें 55.47 प्रतिशत (23.87 करोड़) खाते महिलाओं के हैं और ग्रामीण और अर्ध—शहरी क्षेत्रों में 66.69 प्रतिशत (28.70 करोड़) जन—धन खाते हैं (वित्त मंत्रालय, 2021)।

वित्तीय समावेशन से जुड़ी इस पहल से कोविड—19 संकट के दौरान ग्रामीण आबादी को बिना किसी व्यवधान के वित्तीय मदद उपलब्ध कराने में मदद मिली। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना और प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम से भी ग्रामीण महिलाओं के वित्तीय सशक्तीकरण और उनके उद्यमिता कौशल को बढ़ावा देने में मदद मिली। आंकड़ों के मुताबिक, 9 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया से लाभ मिला (आशीष कुमार, 2019)।

निष्कर्ष

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण से जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव की प्रक्रिया को तेज़ किया जा सकता है। कौशल विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा, सुरक्षित माहौल, स्वामित्व और नई तकनीक आदि ग्रामीण महिलाओं का जीवन बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। महिला किसानों के सशक्तीकरण से कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी और एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में मदद मिलेगी।

(डॉ. नीलम पटेल नीति आयोग में सीनियर एडवाइजर (कृषि) हैं और डॉ. तनु सेठी सीनियर एसोसिएट हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई—मेल : neelampatel@gov.in, tanu.sethi@gov.in

सशक्त होतीं महिला किसान

—चरणजीत सिंह

डीएवाई—एनआरएलएम के पीछे मूल मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि “गरीबों में गरीबी के दायरे से बाहर आने की तीव्र इच्छा होती है और ऐसा कर पाने की सहज क्षमताएं होती हैं”। यदि उनकी सशक्त संस्थाएं स्थापित की जाती हैं और उनका क्षमता निर्माण समुदाय के माध्यम से ही किया जाता है तो यह स्थायी और सबसे प्रभावी होता है। इसी आधार पर इस कार्यक्रम का पूरा ढांचा तैयार किया गया है। विभिन्न प्रयासों के परिणाम बताते हैं कि न केवल एसएचजी सदस्य दुष्क्र के बाहर निकल रहे हैं बल्कि वे अन्य एसएचजी सदस्यों को भी विकास की सीढ़ी पर ऊपर बढ़ने में मदद कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 अगस्त, 2021 को बलिनी दुग्ध उत्पादक कंपनी, झांसी, उत्तर प्रदेश के निदेशक मंडल के साथ बातचीत की। कंपनी के महिला निदेशक मंडल के आत्मविश्वास पर उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाली यह कंपनी बुंदेलखण्ड क्षेत्र के 5 ज़िलों में काम कर रही है जिसमें 605 गांवों के 34,800 से अधिक सदस्य शामिल हैं। इनका प्रतिदिन दूध संग्रह 1,23,000 लीटर से अधिक है। सितंबर, 2019 में स्थापित इस कंपनी ने अपने सदस्यों को अब तक 185 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है, यानी 211 करोड़ रुपये के कारोबार का 88 प्रतिशत, जो उनके व्यक्तिगत बैंक खातों में सीधे प्रेषित किया गया है। सदस्यों को प्रदान की जाने वाली कुछ इनपुट सेवाएं इस प्रकार हैं: हरे चारे को बढ़ावा, पशु आहार उपलब्धता, खनिज मिश्रण उपलब्धता, कृत्रिम गर्भाधान, राशन (आहार) संतुलन कार्यक्रम, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन प्रशिक्षण, बांझपन निवारण शिविर, मास्टिटिस (थन संबंधी रोग) के लिए सीएसटी (कैलिफोर्निया मास्टिटिस टेस्ट) परीक्षण, नृवंशविज्ञान संबंधी विधियां।

अब इस कंपनी ने ‘बलिनी’ ब्रांड नाम से अपना धी लांच किया है। इससे स्पष्ट है कि जब महिला किसान साथ मिल कर काम करती हैं तो उनकी उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं होती है। यह मूक क्रांति ग्रामीण क्षेत्रों में दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई—एनआरएलएम) के अंतर्गत हो रही है।

वर्ष 2011 में शुरू किए गए डीएवाई—एनआरएलएम का लक्ष्य 2023–24 तक 9–10 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुंच बनाना है। सामुदायिक संस्थानों को बढ़ावा देना और उनका क्षमता निर्माण डीएवाई—एनआरएलएम के मुख्य घटकों में से एक है। मिशन का उद्देश्य प्रत्येक गरीब ग्रामीण परिवार से एक महिला सदस्य को स्वयंसहायता समूह (एसएचजी) में शामिल करना है। प्रत्येक समूह में 10 से 15 सदस्य होते हैं। इन समूहों को ग्राम स्तर पर ग्राम संगठनों (वीओ) में संगठित किया गया है। इसके अलावा, 10 से 15 ग्राम संगठनों को क्लस्टर—स्तरीय संघ (सीएलएफ) में संगठित किया गया है। मिशन में अब तक 8.17 करोड़ महिलाओं को 75 लाख स्वयंसहायता समूहों में शामिल किया गया है। इन स्वयंसहायता समूहों को 4.12





लाख ग्राम संगठनों और 32,406 सीएलएफ में संगठित किया गया है। ये सामुदायिक संस्थाएं ग्रामीण गरीबों तक वित्तीय, तकनीकी और विपणन संसाधनों की पहुंच के माध्यम से गरीबी दूर करने के लिए एक सामूहिक मंच प्रदान करती हैं। मिशन सामुदायिक संस्थानों और इसके सदस्यों को कुछ इस प्रकार से दीर्घकालिक सहायता प्रदान करता है कि वे अपनी आजीविका में विविधता ला सकें और अपनी आय और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकें। इसके तहत महिला किसानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमके-एसपी)

एनआरएलएम का यह मानना है कि गरीबों के पास कई आजीविकाएं हैं और एनआरएलएम ढांचे में परिकल्पित प्रमुख घटकों में से एक है गरीबों की मौजूदा आजीविकाओं को बेहतर बनाना और उसका विस्तार करना। 70 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण लोग गरीब काश्तकार या कृषि श्रमिक के रूप में कृषि पर निर्भर हैं। इसके अलावा, पशुधन पालन भी गरीबों की एक प्रमुख आजीविका है। वन सीमांत क्षेत्रों में गैर-काष्ठ वन उत्पाद (एनटीएफपी) गरीबों की एक प्रमुख आजीविका है जो ज्यादातर आदिवासी समुदायों के हैं।

डीएवाई-एनआरएलएम ने एमके-एसपी के माध्यम से कृषि आजीविका पहल को बढ़ावा देना शुरू किया। एमके-एसपी को वर्ष 2010-11 में महिलाओं को कृषि और एनटीएफपी में सशक्त बनाने के मूल उद्देश्य से आरम्भ किया गया। ऐसा कृषि आधारित आजीविकाओं में उनकी भागीदारी और उत्पादकता बढ़ाने और एनटीएफपी के लिए स्थायी कटाई तथा कटाई के बाद की तकनीकों से सम्बद्ध क्षमता का निर्माण करने और उत्पादक समूहों को बढ़ावा देकर मूल्य शृंखला के विकास के लिए किया गया। इसका उद्देश्य सबसे गरीब परिवारों की प्राथमिक आजीविकाओं को सुरक्षा और मज़बूती प्रदान करके

निर्धनतम व्यक्ति के लिए पोषण सुनिश्चित करना भी है। एमके-एसपी से हासिल अनुभवों से एनआरएलएम की राज्य इकाइयों ने वार्षिक कार्य योजनाओं के माध्यम से अपनी गतिविधियों का विस्तार किया।

एएपी यानी वार्षिक कार्ययोजना

एमके-एसपी के तहत 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 298 ज़िलों, 1853 ब्लॉकों और 32,901 गांवों की लगभग 38.94 लाख महिला किसानों को स्वीकृत 87 परियोजनाओं के माध्यम से कवर किया गया है। एमके-एसपी के तहत प्रगति और वार्षिक कार्य योजनाओं के माध्यम से विस्तार को मिलाकर, 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 1.60 करोड़ महिला किसानों को कवर किया गया है।


एमके-एसपी के मोटे तौर पर तीन प्रमुख कार्यक्रम सम्बन्धी क्षेत्र हैं (i) स्थायी कृषि (ii) गैर- इमारती लकड़ी वन उत्पाद (एनटीएफपी) और (iii) मूल्य शृंखला विकास। स्थायी कृषि और एनटीएफपी परियोजनाओं के साथ पशुधन सम्बन्धी कार्यक्रम एकीकृत हैं।

स्थायी कृषि- पारिस्थितिकी पद्धतियां

एमके-एसपी का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं को उनकी भागीदारी और उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यवस्थित निवेश करके सशक्त बनाना है। साथ ही, ग्रामीण महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका का सृजन भी करना है। उप-योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं—

- कृषि में महिलाओं की उत्पादनकारी भागीदारी को बढ़ाना;
- कृषि में महिलाओं के लिए स्थायी कृषि आजीविका के अवसर पैदा करना;
- कृषि और गैर-कृषि आधारित क्रियाकलापों की सहायता के लिए कृषि में महिलाओं के कौशल और क्षमताओं में सुधार लाना;
- परिवार और सामुदायिक-स्तर पर खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना;

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना कवरेज





- महिलाओं को सरकार और अन्य एजेंसियों की जानकारियां और सेवाएं सुगमता से उपलब्ध करा पाने में सक्षम बनाना; तथा
- जैव-विविधता के बेहतर प्रबंधन के लिए कृषि में महिलाओं की प्रबंधकीय क्षमता को बढ़ाना।

इसलिए मुख्य फोकस मृदा स्वास्थ्य में सुधार, आवश्यक शोधन के साथ किसानों द्वारा संरक्षित बीजों का उपयोग और स्थानीय रूप से तैयार किए गए मिश्रणों का उपयोग करके बुआई की तैयारी, मिट्टी और जल का यथास्थान संरक्षण, कीट और रोग संरक्षण के लिए गैर-रासायनिक तरीकों का उपयोग, बेहतर पशुधन पालन, एनटीएफपी की सतत कटाई आदि पर रहा है।

स्थायी कृषि, बेहतर पशुधन प्रबंधन, सतत स्थायी संग्रह और कटाई पद्धतियों को अपनाने के परिणाम अभूतपूर्व रहे हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को "किसान" के रूप में पहचान और दर्जा मिला है।

इस सफल कार्यक्रम का मूलाधार कृषि आजीविका पहलों के एक भाग के रूप में सामुदायिक संवर्गों के एक मज़बूत नेटवर्क का निर्माण रहा है। स्थायी कृषि, पशुधन और एनटीएफपी के लिए राज्य आजीविका सामुदायिक संवर्गों की पहचान कर रहे हैं। उपरोक्त सामुदायिक संवर्ग के उचित प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने के लिए 108 राष्ट्रीय संसाधन व्यक्ति (एनआरपी) और 1718 राज्य संसाधन व्यक्ति (एसआरपी) हैं। राज्यों द्वारा बनाए गए कुल सामुदायिक संवर्गों में से कुल 1.26 लाख कृषि सखियों (सामुदायिक संसाधन व्यक्ति—कृषि), पशु सखियों (सामुदायिक संसाधन व्यक्ति—पशुपालन) और अन्य सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) को मानकीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। यह सामुदायिक संवर्ग गांवों में महिला किसानों को हर समय सहायता प्रदान करते हैं। इन पहलों ने न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करने में मदद की है और इनपुट की लागत को कम किया है बल्कि जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली चुनौतियों को दूर करने में भी मदद की है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री का प्राकृतिक खेती का आह्वान इन पहलों के भलीभांति अनुरूप है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर जागरूकता पैदा करने के लिए कृषि सखियों की सेवाएं लेना शुरू कर दिया है। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पशु सखियों को उनकी विभिन्न योजनाओं के लिए प्रशिक्षित करने और सेवाओं का उपयोग करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

उत्पादक समूहों (पीजी) और उत्पादक उद्यमों (पीई) को बढ़ावा देने के माध्यम से मूल्य शृंखला विकास पहल

जैसा कि इस लेख के पहले पैरा में बलिनी दुर्घट उत्पादक कंपनी के विवरण से स्पष्ट है, मूल्य शृंखला विकास एक महत्वपूर्ण कृषि आजीविका पहल है जिसका ग्रामीण महिलाओं की आजीविका पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इस पहल का मूल उद्देश्य एकत्रीकरण,

प्रसंस्करण और विपणन के माध्यम से छोटे और सीमांत ग्रामीण उत्पादकों को बेहतर बाज़ार पहुंच प्राप्त करने में सहायता करना है। इस पहल में उत्पादक संगठनों यानी उत्पादक समूह और उत्पादक उद्यमों को बढ़ावा देना शामिल है। उत्पादक समूह अनौपचारिक संगठन हैं जो एकत्रीकरण और निकटवर्ती बाज़ार में विपणन के माध्यम से ग्राम स्तर पर छोटे और सीमांत उत्पादकों की सहायता करते हैं जबकि उत्पादक उद्यम ऐसे औपचारिक संगठन हैं जो एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और आगे के विपणन में सहायता करते हैं। संस्थागत संरचना मूल्य शृंखला में अवसरों और मौजूदा अंतरों पर आधारित होगी।

डीएवाई—एनआरएलएम के तहत मूल्य शृंखला विकास पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (एनडीएस) और एफडीआरवीसी (ग्रामीण मूल्य शृंखला के विकास के लिए फाउंडेशन) को एनएसओ (एनआरएलएम सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन) के रूप में मान्यता दी गई है। एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज डेयरी क्षेत्र में बड़े आकार के महिला स्वामित्व वाले उत्पादक उद्यम की स्थापना में सहायता करती है जबकि एफडीआरवीसी अन्य कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों की सहायता करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने टाटा ट्रस्ट के सहयोग से इस गैर-लाभकारी खंड 8 कंपनी एफडीआरवीसी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। पीई को सुचारू रूप से जड़ें ज़माने के लिए एफडीआरवीसी ने मूल्य शृंखला के क्षेत्र में काम करने वाले कई पेशेवरों को नियुक्त किया है।

अब तक डीएवाई—एनआरएलएम के तहत 17 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों द्वारा 3.86 लाख सदस्यों के साथ कुल 183 पीई को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा, एनआरएलएम के तहत 14.84 लाख सदस्यों वाले लगभग 1.22 लाख उत्पादक समूहों को प्रचारित किया गया है।

वर्तमान में इन संगठनों की वस्तुओं में डेयरी, एनटीएफपी, आम, अदरक, पहाड़ी झाड़ू, धास, सब्जियां, तिल, दालें और मक्का से लेकर फूलों की खेती तक शामिल है। मुख्य पहल है पारस्परिक सहायता के सिद्धांत पर आधारित उत्पादक संगठनों (उत्पादक समूह और उत्पादक उद्यमों) का गठन जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन से होने वाली किफायत के कारण किसानों को कृषि उत्पाद से बेहतर आर्थिक लाभ सुनिश्चित हो, बाज़ार पहुंच बेहतर हो और पूंजी हासिल करना आदि सुगम बने। अन्य पहल में शामिल हैं — कृषि उपज का प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण, प्रत्यक्ष बाज़ार लिंकेज, आदि।

पारिवारिक स्तर पर पोषण सुरक्षा

विभिन्न सर्वेक्षणों में यह देखा गया है कि ग्रामीण परिवार, विशेष रूप से निर्धनतम क्षेत्र में, कृपोषण के कारण विभिन्न रोगों जैसे एनीमिया, बच्चे के जन्म में समस्या आदि से पीड़ित हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित और गरीब लोगों के बीच पूरक खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीएवाई एनआरएलएम छोटे पोषण उद्यान मॉडल को पोषण सुरक्षा में सुधार और घरेलू आय को बढ़ाने



के उद्देश्य से प्रोत्साहन देता है। यह पहल अनूठी है क्योंकि यह गरीब किसान परिवार को उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग करते हुए पोषण सुरक्षा प्रदान करती है और वर्ष भर अतिरिक्त आय प्रदान करती है। हाल ही में 'आजादी का अमृत महोत्सव' कार्यक्रम के दौरान एक वीडियो कांफ्रेंस में मिज़ोरम के एक सदस्य ने इस पहल के प्रभाव को बढ़िया ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि एग्री न्यूट्रीगार्डन ने उन्हें कोविड महामारी के दौरान अपने परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में मदद की है क्योंकि अब उनके लिए अच्छा और पौष्टिक भोजन आसानी से उपलब्ध है। इससे उनके परिवार का बीमारी से बचाव हुआ जिससे चिकित्सा पर होने वाले खर्च को बचाने में भी मदद मिली। इसके अलावा, अतिरिक्त भोजन और सब्जियां बेचने के साथ-साथ वह अन्य ग्रामवासियों के साथ अतिरिक्त सब्जियां और फल साझा करती हैं।

पोषण उद्यानों की स्थापना और रखरखाव न्यूनतम तकनीकी इनपुट के साथ भूमि के एक छोटे से हिस्से पर किया जा सकता है। ये उद्यान संसाधन-वंचित गरीब ग्रामीण समुदायों को वर्ष में लम्बे समय तक विभिन्न प्रकार की सब्जियों और फलों की पूर्ति करते हैं। यह उन्हें पूरक खाद्य उत्पादन में नवाचारों के साथ-साथ अपनी आजीविका में सुधार लाने का अवसर भी प्रदान करता है। इन उद्यानों के प्रबंधन में पारिवारिक श्रम, विशेष रूप से महिलाओं के प्रयास महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यथोचित न्यूनतम कौशल और ज्ञान से सशक्त ग्रामीण परिवारों की ये महिला सदस्य फसल के नुकसान और अन्य नकारात्मक प्रभावों का आसानी से मुकाबला कर सकती हैं जो पोषण उद्यान को एक लाभदायक पहल बनाता है। इसके अलावा, प्रमुख रूप से जैविक कृषि पद्धतियों का उपयोग इन उद्यानों को पर्यावरण के अनुकूल भी बनाता है।

उद्यान के लिए विभिन्न सब्जियों और फलों के पेड़ों का चयन उस स्थान, जहां इसे स्थापित किया जा रहा है, में प्रचलित खानपान की आदतों और जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और स्वास्थ्यकर व पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के व्यापक लक्ष्य के साथ किया जाता है। इन उद्यानों के मॉडल तैयार करके राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा किए गए हैं जिनमें भूमि के इष्टतम उपयोग के लिए उद्यान के विभिन्न हिस्सों में अवरोही बेलें, पौधे, झाड़ियां और छोटे तथा बड़े पेड़ों को लगाने के बारे में सुझाव दिए गए हैं।

अब तक इस पहल के तहत 89 लाख एसएचजी परिवारों को कवर किया जा चुका है। अब कृषि न्यूट्री गार्डन को परिपूर्णता स्तर तक विस्तारित करने पर ज़ोर दिया जा रहा है ताकि सभी एसएचजी सदस्यों को पूरे वर्ष पारिवारिक स्तर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके।

कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी)

एसएचजी सदस्य गरीब परिवारों के होते हैं इसलिए उन्हें कृषि के लिए आधुनिक उपकरण हासिल करने में कठिनाई होती है। उपकरणों की अनुपलब्धता न केवल उनके परिश्रम को बढ़ाती है बल्कि उनकी छोटी जोत की उत्पादकता को भी प्रभावित करती है। इस समस्या के समाधान के लिए महिलाओं के स्वामित्व और प्रबंधन वाले सीएचसी की स्थापना की जा रही है। एसएचजी सदस्यों (महिला किसानों) की कृषि उपकरण ज़रूरतों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर / टूल बैंक एक ही स्थान पर उपलब्ध सम्पूर्ण सुविधा केंद्र हैं। यह किफायती दर पर कृषि उपकरणों को किराये पर देने के लिए बनाए गए हैं। उपकरणों के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम किराया लिया जाता है। देश भर में सीएचसी की संरचना एक समान नहीं है और महिला किसानों की स्थानीय कृषि आवश्यकताओं और क्षेत्र विशेष में खेती की जाने वाली फसलों के अनुसार अनुकूलित हैं। ग्राहक आधार भी उपकरण की गुणवत्ता और पॉवर इनपुट को निर्धारित करता है। इसका मूल उद्देश्य ऐसे उपकरण प्रदान करना है जो महिला किसान के अनुकूल, किफायती, स्थानीय स्तर पर मरम्मत योग्य हों और बड़ी संख्या में किसानों द्वारा उपयोग किए जा सकें।

पोषण उद्यानों की स्थापना और रखरखाव न्यूनतम तकनीकी इनपुट के साथ भूमि के एक छोटे से हिस्से पर किया जा सकता है। ये उद्यान संसाधन-वंचित गरीब ग्रामीण समुदायों को वर्ष में लम्बे समय तक विभिन्न प्रकार की सब्जियों और फलों की पूर्ति करते हैं। यह उन्हें पूरक खाद्य उत्पादन में नवाचारों के साथ-साथ अपनी आजीविका में सुधार लाने का अवसर भी प्रदान करता है। इन उद्यानों के प्रबंधन में पारिवारिक श्रम, विशेष रूप से महिलाओं के प्रयास महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

हायरिंग सेंटर / टूल बैंक स्थापित किए जा चुके हैं। कृषि विभाग के सहयोग से स्थापित किए जा रहे ये सीएचसी ग्रामीण क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय हैं और इस तरह के और केंद्र स्थापित करने की अत्यधिक मांग है। इसकी वजह यह है कि कृषि उपकरणों की सुलभ प्राप्ति से न केवल महिला किसानों की भूमि जोत की उत्पादकता में वृद्धि हुई है बल्कि अपने परिवारों में उनका सम्मान भी बढ़ा है।

भागीदारी

जैसाकि ऊपर बताया गया है डीएवाई-एनआरएलएम अनेक क्षेत्रों में काम कर रहा है। इसलिए विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती प्रदान करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञ संस्थानों के साथ साझेदारी सुनिश्चित की जा रही है। इस प्रकार राष्ट्रीय सहायता संगठन (एनएसओ) कार्यक्षेत्र विशेषज्ञता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) टसर आधारित आजीविका कार्यक्रमों को लागू करने में बिहार, झारखण्ड, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों की सहायता कर रहा है। 'डिजिटल ग्रीन' कारगर विस्तार सेवाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सूचना प्रसार द्वारा



डीएवाई—एनआरएलएम की सहायता कर रहा है। 'प्रदान' जानकारी प्रबंधन, सफल अनुकरणीय मॉडल की पहचान और क्षमता निर्माण में सहायता कर रहा है। टसर विकास फाउंडेशन एनएसओ के रूप में एनआरएलएम और राज्यों को टसर आधारित आजीविका कार्यक्रमों में सहायता कर रहा है। इसके अलावा, आजीविका कार्यक्रमों को उन्नत बनाने पर ध्यान देने के लिए नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) का सहयोग भी सुनिश्चित किया जा रहा है। एनआरएलएम, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई) और रैपिड रुरल कम्प्युनिटी रिस्पांस (आरसीआरसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आरसीआरसी 81 से अधिक गैर—सरकारी संगठन भागीदारों का एक समूह है। बाजरा क्षेत्र में मूल्य शृंखला विकास के क्षमता निर्माण पहलुओं को संबोधित करने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर), हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में ब्रांडिंग, पैकेजिंग आदि में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई) मैसूर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

इस कार्यक्रम के पीछे मूल मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि "गरीबों में गरीबी के दायरे से बाहर आने की तीव्र इच्छा होती है और ऐसा कर पाने की सहज क्षमताएं होती हैं।" यदि उनकी सशक्त संस्थाएं स्थापित की जाती हैं और उनका क्षमता निर्माण समुदाय के माध्यम से ही किया जाता है तो यह स्थायी और सबसे प्रभावी होता है। इसी आधार पर डीएवाई—एनआरएलएम का पूरा ढांचा तैयार किया गया है। उपर्युक्त विभिन्न प्रयासों के परिणाम बताते हैं कि न केवल

एसएचजी सदस्य दुष्क्र से बाहर निकल रहे हैं बल्कि वे अन्य एसएचजी सदस्यों को भी विकास की सीढ़ी पर ऊपर बढ़ने में मदद कर रहे हैं।

एसएचजी सदस्यों की अन्य उल्लेखनीय उपलब्धि कोविड-19 महामारी के प्रति उनकी कार्यवाही रही है। कार्यक्रम की संस्थागत संरचना ने सुनिश्चित किया कि ग्रामीण परिवारों में कोविड-19 निवारक उपायों और टीकाकरण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने का संदेश करोड़ों ग्रामीण परिवारों तक सहज और प्रभावी तरीके से पहुंचे। समुदाय को कोविड-19 के बारे में जागरूक करने और टीकाकरण की डिझिक को दूर करने के अलावा स्वयंसहायता समूहों ने 16,89,27,854 मास्क, 5,29,741 सुरक्षात्मक उपकरण, 5,13,059 लीटर सैनिटाइज़र और कोविड-19 से संक्रमित समुदाय के सदस्यों और प्रवासियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 1,22,682 सामुदायिक रसोईयों का प्रबंध किया। उन्होंने 5.5 करोड़ से अधिक एसएचजी सदस्यों को कोविड-19 की रोकथाम और उपयुक्त व्यवहार अपनाना तथा टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया है।

संक्षेप में, एसएचजी के ये उल्लेखनीय योगदान 'अमृतकाल' की अवधि के दौरान अभियान को और अधिक मजबूती प्रदान करने और एक अभूतपूर्व मार्ग पर अग्रसर होने की संभावनाएं दर्शाते हैं जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में देश के विकास को गतिशील प्रदान करने की अगुआई ये महिलाएं करेंगी।

(लेखक ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव (ग्रामीण आजीविका) हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई—मेल : js-skills@ddugky.gov.in

जल जीवन मिशन अग्रणी भूमिका में महिलाएं

-विनी महाजन

महिलाओं की सक्रिय भागीदारी किसी मुहिम को कितना सफल बना सकती है, 'जल जीवन मिशन' इसका जीता—जागता उदाहरण है जिसके फलस्वरूप आज देश के 9 करोड़ से भी ज्यादा ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध पेयजल की नियमित आपूर्ति होने लगी है। ग्रामीण भारत के लोगों के जीवन को सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसकी बुनियाद में अनगिनत ग्रामीण महिलाओं और युवतियों का अथक परिश्रम और सामूहिक प्रयास अंतर्भित है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त, 2019 को जब 'जल जीवन मिशन' की घोषणा की गई थी, उस दिन देश के लगभग 6.5 लाख गांवों में नल कनेक्शन से युक्त ग्रामीण घरों की कुल संख्या मात्र 3.23 करोड़ थी। आज ऐसे ग्रामीण परिवारों की संख्या उछाल मार कर 9 करोड़ को पार कर गई है। प्रतिशत की बात करें तो 15 अगस्त, 2019 के दिन देश में कुल लगभग 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 17 प्रतिशत से भी कम (16.79 प्रतिशत) में पेयजल के नल कनेक्शन थे, जो अब 48 प्रतिशत* से अधिक हो गए हैं। और उल्लेखनीय बात यह कि ऐसी अभूतपूर्व उपलब्धि उस कालखंड में हासिल की गई जब देश, दुनिया के अन्य भागों की ही तरह, कोविड जैसी विकाराल महामारी से जूझ रहा था, और कार्यान्वयन के मार्ग

में बार—बार के लॉकडाउन सहित अनेक अवरोध आ रहे थे। ऐसे कठिन दौर में भी केंद्र सरकार और राज्यों ने आपसी तालमेल से ग्रामीण घरों में शुद्ध पेयजल के 6 करोड़ से ज्यादा नए नल कनेक्शन उपलब्ध कराए— जिनमें से अनेक घर तो अत्यंत दुर्गम पहाड़ों और सुदूर जंगलों एवं रेगिस्तान में बसे हैं।

'जल जीवन मिशन' का लक्ष्य है कि देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में 2024 तक नल कनेक्शन से पीने का शुद्ध पानी उपयुक्त मात्रा में और नियमित रूप से उपलब्ध होने लगे। फिर गांव चाहे कितने ही सुदूर और दुर्गम इलाकों में क्यों न स्थित हों; उन सभी के प्रत्येक घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा— चाहे कोई परिवार कितना ही गरीब और बेसहारा क्यों न हो। यानी गरीब से गरीब और पिछड़े



*सभी आंकड़े 30 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार



से पिछड़े व्यक्ति के घर भी समता के आधार पर पीने के शुद्ध पानी का नल कनेक्शन लगाया जाएगा।

चूंकि किसी भी ग्रामीण घर में पानी लाने और उसके रखरखाव की सारी जिम्मेदारी सदियों से महिलाएं ही निभाती चली आ रही हैं, अतः महिलाओं को जल जीवन मिशन में केंद्रीय भूमिका प्रदान की गई है। वैसे भी, इस मिशन का सबसे अधिक फायदा ग्रामीण महिलाओं को ही पहुंच रहा है, क्योंकि घर के लिए दूर-दूर से, और विषम से विषम परिस्थितियों में भी, पानी ढोकर लाने की जिम्मेदारी हमारी ये माताएं—बहनें और बच्चियां ही मजबूरी में निभाती आ रही हैं। अनेक इलाकों में तो उनका आधा जीवन इसी मजबूरी को निभाने में खप जाता था। कल्पना कीजिए लेह के दुर्गम पर्वतों में लगभग 14 हजार फुट की बर्फीली ऊँचाई पर बसे गुमला गांव की, जहां की महिलाओं को भयंकर सर्दियों में भी सब ओर जमी बर्फ से घिरे होने के बावजूद घर के लिए दूर की नदी से बड़े-बड़े बर्तनों/बाल्टियों में पानी ढोकर लाना पड़ता था। ऐसी स्थिति के बारे में वहां की एक निवासी तथा वृद्ध महिला सेवाड़ग डोल्मा ने हाल में जल जीवन मिशन के अधिकारियों से बातचीत में कहा था, “बर्फ में चलना आसान नहीं होता, क्योंकि हमेशा फिसलने का डर रहता है। ऊपर से, अगर कोई पानी से भरी बाल्टी ले जा रहा हो तो उसके साथ दुर्घटना घटने की आशंका और बढ़ जाती है। लेकिन क्या करते, तब इस प्रकार पानी लाना हमारी दिनचर्या थी, मजबूरी थी।” उन्होंने आगे कहा, “हमारे यहां सर्दियों में भारी हिमपात होता है, और कड़ाके की ठंड पड़ती है। चूंकि हम पहाड़ों में बहुत ऊपर रहते हैं, इसलिए पानी घर के ही पास आसानी से मिल जाए, ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था! मैंने अपनी पूरी युवावस्था पानी ढोने में ही खपा दी।” फिर वे भावविभोर होकर कहती हैं, “मैं जल जीवन मिशन की बहुत शुक्रगुजार हूं, कि आज पानी हमारे घर में ही नल से मिल रहा है। मुझे खुशी है, कि अब हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई या नए हुनर सीखने में बिताएंगे।” सेवाड़ग डोल्मा की ही तरह हजारों—लाखों अन्य ग्रामीण महिलाओं की भी लगभग यही कहानी है—बस कहीं बर्फ और पहाड़ की जगह सूखे रेगिस्तान हो जाते हैं, तो कहीं बयांबां जंगल और ऊसर जमीन।

माननीय प्रधानमंत्री ने लालकिले की प्राचीर से मिशन की घोषणा के समय महिलाओं की इस समस्या का खुल कर ज़िक्र भी किया था—

“लेकिन यह भी सच्चाई है, कि आज हिन्दुस्तान में करीब—करीब आधे घर ऐसे हैं, जिन घरों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। उनको पीने का पानी प्राप्त करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। माताओं—बहनों को सिर पर बोझ उठा करके, मटके लेकर दो—दो, तीन—तीन, पांच—पांच किलोमीटर जाना पड़ता है। जीवन का बहुत

सारा हिस्सा सिर्फ पानी भरकर लाने में खप जाता है, और इसलिए इस सरकार ने एक विशेष काम की तरफ बल देने का निर्णय लिया है, और वह है— हमारे हर घर में जल कैसे पहुंचे? हर घर को जल कैसे मिले? पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले? और इसलिए आज मैं लालकिले से घोषणा करता हूं कि हम आने वाले दिनों में ‘जल जीवन मिशन’ को ले करके आगे बढ़ेंगे।”

माननीय प्रधानमंत्री की जल जीवन मिशन संबंधी परिकल्पना से अब हमारी माताएं—बहनें और बच्चियां इस अभिशाप से निश्चित रूप से मुक्त होने लगी हैं। अपने घर में ही नल से शुद्ध जल मिल जाने के फलस्वरूप अब वे अपने बचे बहुमूल्य समय का सदुपयोग नाना प्रकार से अपने स्वयं के विकास के लिए या घर—परिवार की आर्थिक गतिविधियों में हाथ बंटाने में कर सकती हैं, जिससे उनके घर की आर्थिक संपन्नता में भी वृद्धि होगी।

पानी ढोने के जंजाल से मुक्ति दिलाने के साथ ही जल जीवन मिशन ने महिलाओं को सशक्त भी किया है, जिससे अब वे ग्रामीण भारत की सम्पूर्ण जल आपूर्ति व्यवस्था में निर्णायक भूमिका में आ गई हैं। वास्तव में, ग्राम—स्तर पर स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन में व्यवस्था की गई है कि ग्राम पंचायत गांव में पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपनी एक उप—समिति बनाए जिसे ‘पानी समिति’ कहा जाता है। यह पानी समिति अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वह गांव में नल कनेक्शन देने के लिए स्थापित होने वाली जल आपूर्ति प्रणाली की पूरी रूपरेखा तैयार करने और उसे लागू करने की जिम्मेदारी उठाती है। देश के लगभग 6.5 लाख गांवों में से अब तक 4.69 लाख से ज्यादा गांवों में पानी समिति गठित की जा चुकी हैं। और, अनेक गांवों में तो ऐसी पानी समितियों में 100 प्रतिशत सदस्य महिलाएं ही हैं, जो इन समितियों को अत्यंत कार्यकुशल ढंग से चला कर अपने—अपने गांवों को पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा निर्बाध रूप से उपलब्ध करा कर अन्य गांवों के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं।

समिति सरकारी व्यवस्था की मदद से अपने गांव के लिए पंचवर्षीय ‘ग्राम कार्ययोजना’ (यानी ‘विलेज एक्शन प्लान’) तैयार करती है, जो गांव में उपलब्ध जल स्रोतों और गांव की भावी आवश्यकता को ध्यान में रख कर बनाई जाती है। देशभर में अब तक लगभग 3.82 लाख से ज्यादा ‘ग्राम कार्य योजनाएं’ तैयार हो चुकी हैं, जिन पर काम भी शुरू हो गया है। ऐसी महत्वपूर्ण पानी समिति में अनिवार्य रूप से 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होती हैं (इस समिति में ग्रामीण समाज के पिछडे वर्गों को भी उनके अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है)। देश के लगभग 6.5 लाख गांवों में से अब तक 4.69 लाख से ज्यादा गांवों में पानी समिति गठित की जा चुकी हैं। और, अनेक गांवों में तो ऐसी पानी समितियों में 100 प्रतिशत सदस्य महिलाएं ही हैं, जो इन समितियों को अत्यंत कार्यकुशल ढंग से चला कर अपने—अपने गांवों को पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा निर्बाध रूप से उपलब्ध करा कर अन्य गांवों के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं।



गांव में एक बार जल आपूर्ति प्रणाली के तहत बुनियादी ढांचा और व्यवस्था स्थापित हो जाने पर पानी समिति गांव के लिए एक 'स्थानीय लोक जल प्रदाय संस्था' (जिसे अंग्रेजी में 'पब्लिक यूटिलिटी' कहते हैं) के रूप में कार्य करने लगती है। इस भूमिका में पानी समिति जल आपूर्ति प्रणाली को दैनिक रूप से चलाती है और उसकी देखभाल करती है, और अगर कोई टूट-फूट हो जाए तो उसकी मरम्मत, आदि करना भी उसकी ज़िम्मेदारी होती है। यानी ग्रामवासियों को पानी प्रदान करने से जुड़ी सारी ज़िम्मेदारी इसी पानी समिति की होती है। जल जीवन मिशन की एक अनुपम खूबी यह भी है कि इसमें ग्रामीण—स्तर पर जल आपूर्ति का केवल बुनियादी ढांचा (पानी की टंकी, पंप हाउस, पाइपलाइन, नलके, आदि) खड़ा कर देने पर ही ज़ोर नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा ध्यान उस बुनियादी ढांचे को लंबे समय तक उचित ढंग से चलाए जाने, यानी 'सर्विस डिलिवरी' पर दिया जा रहा है—ताकि ग्रामवासियों को पीने का शुद्ध पानी जल जीवन मिशन द्वारा तय मापदंडों के अनुसार निर्बाध रूप से सतत आधार पर मिलता रहे। ऐसे में प्रत्येक गांव की पानी समिति में कम—से—कम 50 प्रतिशत महिला सदस्यों की मौजूदगी यह आश्वस्त करती है कि पेयजल केवल गिने—चुने लोगों का नहीं बल्कि हर किसी का सरोकार होगा।

ये ग्रामीण भारत की इन्हीं ग्राम कार्ययोजनाओं और पानी समितियों का कमाल है कि देश 9 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध करने के आंकड़े को पार कर गया है। पानी समितियों को उनके काम में मार्गदर्शन करने, सक्षम बनाने और प्रारम्भिक दौर में उनकी उंगली पकड़ कर चलना सिखाने के लिए राज्य—स्तर पर प्रत्येक गांव में 'कार्यान्वयन सहयोग एजेंसियों' (जिन्हें आमतौर पर 'आइ.एस.ए.' कहा जाता है) को अनुबंधित किया गया है, ताकि पानी समिति को सब काम अच्छी तरह समझ में आ जाए, और भविष्य में वे स्वयं सक्षम हो जाएं। पंचायत, ज़िला और राज्य—स्तर के अधिकारियों/कार्मिकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था जल जीवन मिशन के अंतर्गत की गई है, ताकि यह मिशन केवल जल के दोहन तक ही सीमित न रह जाए बल्कि जलस्रोतों के संरक्षण और संवर्धन पर भी उतना ही ध्यान दिया जा सके। इससे जल जीवन मिशन देश में जल सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकेगा। अगस्त 2019 के बाद से देखा जा रहा है कि जल आपूर्ति प्रणालियों का स्वामित्व ग्राम—स्तर की संस्थाओं को प्रदान करने का, जो अभूतपूर्व कदम उठाया गया है, उसका स्थानीय समुदाय ने भरपूर स्वागत किया है और इससे ग्राम—स्तर पर 'ज़िम्मेदार और संवेदनशील नेतृत्व' विकसित करने में भी मदद मिली है।

जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों को न केवल समुचित

मात्रा (55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से) में पानी सप्लाई करने का प्रावधान है, बल्कि सप्लाई किए जाने वाले पानी की क्वालिटी, यानी गुणवत्ता भी पूरी तरह सुनिश्चित की जाती है। यानी, सभी 9 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण घरों के नल कनेक्शनों का पानी इतना शुद्ध हो कि लोग सीधे नल से पानी पी सकें। और, इस कार्य में भी महिलाओं को विशेष भूमिका प्रदान की गई है। जल जीवन मिशन इसके लिए प्रत्येक गांव में वहीं की 5 महिलाओं को प्रशिक्षित करता है, ताकि वे 'फ़ील्ड टेस्ट किट्स' (जिन्हें आसानी के लिए 'एफ.टी.के.' कहा जाता है) की मदद से गांव के नल और जलस्रोत के पानी की गुणवत्ता की समय—समय पर जांच कर सकें। अब तक देशभर में साढ़े 9 लाख से ज़्यादा ग्रामीण महिलाओं को ऐसी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। यहां यह बताना भी आवश्यक होगा कि जल जीवन मिशन के तहत सरकारी स्तर पर भी सभी जलस्रोतों और नल से सप्लाई हो रहे पानी की साल में 1–2 बार जांच की जाती है और फिर देशभर से मिली उन जांच रिपोर्ट को जल जीवन मिशन की एक विशेष राष्ट्रव्यापी 'जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली' (डबल्यू.क्यू.एम.आइ.एस.) में प्रविष्ट किया जाता है, ताकि कोई भी कमी पाए जाने पर सभी चौकस हो जाएं और उपयुक्त कदम उठा कर उस कमी को तत्काल दूर किया जा सके। इस सूचना प्रणाली में एफ.टी.के. के ज़रिए की गई जल गुणवत्ता जांच की रिपोर्ट और जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं से मिली रिपोर्ट को भी शामिल किया जाता है। देशभर में फैली 2,000 से ज़्यादा 'जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं' को अब तक आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति एक छोटा—सा शुल्क देकर पानी के नमूने की जांच करवा सकता है। इसके अलावा, घरेलू तथा ग्राम स्तर पर इस्तेमाल किए जा सकने

योग्य 'पोर्टेबल वॉटर क्वालिटी टैस्टिंग' उपकरण भी विकसित किए जा रहे हैं, जो जल्द ही बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे।

जल जीवन मिशन द्वारा महिलाओं को उनका समुचित महत्व दिए जाने के फलस्वरूप गांवों में स्थानीय—स्तर पर न केवल महिला नेतृत्व मज़बूत हो रहा है, बल्कि महिलाएं और युवतियां नए आत्मविश्वास के साथ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने लगी हैं। वे ग्राम—स्तर पर अब ऐसे कार्यों में भी प्रवेश कर रही हैं, जो अब तक केवल पुरुषों का ही क्षेत्र माने जाते थे। मसलन, पंप ऑपरेटर का कार्य, जो पहले केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता था, पर अब अनेक गांवों में महिलाएं और युवतियां भी अपने गांव में इस भूमिका को अपनाने लगी हैं।

इन्हीं महिलाओं में मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले के दुल्हारा गांव की रेशमा भी शामिल है, जिसका पति दुकान में काम करता है, और वह परिवार की आय बढ़ाने के लिए पंप ऑपरेटर का कार्य करती



पानी की गुणवत्ता जांचने का प्रशिक्षण लेती महिलाएं

है। इसी ज़िले के मानपुर ब्लॉक के आदिवासी—बहुल भर्मिला गांव की रेखा भी अपने इलाके की अन्य युवतियों के लिए उदाहरण बन गई है— क्योंकि वह रोज़ सुबह अपने गांव से कई किलोमीटर दूर बसे एक अन्य गांव काठर में पंप ऑपरेटर का कार्य करने जाती है। तमिलनाडु के वेल्लोर ज़िले के वेल्लम गांव की 50 वर्षीय जी. कला भी गांव की जल आपूर्ति प्रणाली के लिए पंप ऑपरेटर के रूप में काम करती हैं, और अपने परिवार की आय बढ़ाने में योगदान करती हैं। इस पंप से वे गांव के 3 ओवरहैड टैंक को भरने की ज़िम्मेदारी निभाती हैं। जी. कला पूरे आत्मसम्मान के साथ और गौरव से इस गांव के 475 परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं। समय के साथ उन्होंने छोटी—मोटी मरम्मत करने का कौशल भी सीख लिया है, और स्थानीय समुदाय ने भी उन्हें भरपूर सम्मान दिया है।

महिलाओं को प्रमुख भूमिका देकर जल जीवन मिशन वास्तव में गांवों में, और फिर अंततः सम्पूर्ण देश में, 'जल सुरक्षा' सुनिश्चित करने के भी प्रयास में जुटा है, कि सतत जल आपूर्ति सतत जलस्रोतों के बिना संभव नहीं। और, गांवों में जलस्रोतों को सतत, यानी निरंतर बनाए रखने के लिए उनका संरक्षण और संवर्धन आवश्यक है। साथ ही, वर्षा जल संचयन भी इस समूची प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ऐसे में गांवों में इन विषयों के बारे में लोगों को जागरूक किए जाने की ज़रूरत है। महिलाएं ऐसे सामाजिक विषयों पर जनजागृति फैलाने में विशेष रूप से कारगर सिद्ध होती हैं। अतः जल जीवन मिशन के तहत जल संरक्षण और जल स्रोत संवर्धन से जुड़े कार्यों के प्रति जनजागृति फैलाने के लिए महिलाओं और युवतियों का पूरा सहयोग लिया जाता है, उन्हें किसी भी 'आई.ई.सी.' अभियान का अभिन्न अंग बनाया जाता है। इससे भी जल जीवन मिशन को 'जन आंदोलन'

बनाने में मदद मिली है।

बच्चों को पानी से फैलने वाली बीमारियां जल्दी हो जाती हैं। इसी कारण 'जल जीवन मिशन' के तहत स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं में नल से शुद्ध पानी उपलब्ध कराने का विशेष प्रावधान किया गया है। इससे गांवों के बच्चों में पानी से फैलने वाली बीमारियों में कमी आएगी, जिससे बच्चों—विद्यार्थियों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और वे अपनी पूरी ताकत पढ़ाई—लिखाई में लगा सकेंगे। बच्चों के लिए शुद्ध पेयजल के महत्व को भलीभांति स्वीकार करते हुए, 2020 में गांधी जयंती के दिन जल जीवन मिशन के तहत एक विशेष अभियान शुरू किया गया जिसका उद्देश्य स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं में नल से पेयजल की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर करनी थी। इस विशेष अभियान के तहत किए गए अथक प्रयासों का ही फल है कि अब देशभर में फैले 8.50 लाख (83 प्रतिशत) से ज्यादा स्कूलों तथा 8.79 लाख (78 प्रतिशत) से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में नल से साफ पानी की आपूर्ति होने लगी है। अब जब बच्चे फिर से स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं को लौटने लगे हैं, तब उन्हें उनके उपयोग के लिए यह नल से जल उपलब्ध हो रहा है। शिक्षा के इन केंद्रों में वर्षाजल संचयन और 'ग्रे वॉटर' प्रबंधन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बचपन के इस दौर में बच्चों को जल संरक्षण के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने से वे जल संबंधी अच्छी आदतें सीख सकेंगे, जिससे भविष्य में वे निरंतरता पर आधारित सुखी जीवन जी पाएंगे।

जल जीवन मिशन के तहत गांवों में जल आपूर्ति कार्यों को तेज़ी से पूरा करने के लिए, और साथ ही, स्थानीय जल आपूर्ति प्रणालियों के नियमित प्रचालन और रखरखाव के लिए समुचित संख्या



जल शक्ति अभियान

संचय जल, बेहतर कल

में हुनरमंद लोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थानीय युवाओं को प्लम्बर, मिस्ट्री, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, फ़िटर, पम्प ऑपरेटर, आदि के कार्य के लिए प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, ताकि जल आपूर्ति प्रणालियों के सुगम प्रचालन में कभी कोई व्यवधान न आए। इससे 'जल जीवन मिशन' ग्रामीण इलाकों में रोज़गार के अवसर पैदा करने में भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है।

जल जीवन मिशन वास्तव में 'अंत्योदय' की भावना से भी प्रेरित है। यानी, समाज के सबसे कमज़ोर और उपेक्षित लोगों के घरों तक भी नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का सर्वव्यापी लक्ष्य रखा गया है। इसी मूल भावना का परिणाम है कि देश के 6 प्रदेश 'हर घर जल' बन गए हैं— यानी उनके प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में नियमित और भरोसेमंद पेयजल आपूर्ति के लिए नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। ये प्रदेश हैं (3 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्र गोवा, तेलंगाना, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, पुडुचेरी, हरियाणा तथा दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव। और, अब पंजाब भी जल्द ही 'हर घर जल' राज्य बनने वाला है, क्योंकि वहां 99 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन लग चुके हैं। तीन अन्य राज्य हिमाचल प्रदेश, गुजरात और बिहार भी तीव्र गति से 'हर घर जल' बनने की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि वहां 90 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल मिलने लगा है।

साथ ही, आज देश के 117 आकांक्षी ज़िलों में पेयजल के नल कनेक्शनों की संख्या 24 लाख 32 हजार (7 प्रतिशत) से बढ़ कर 1 करोड़ 44 लाख (42.58 प्रतिशत) को पार कर गई है। इसी प्रकार, 5 राज्यों में जे.ई.-ए.ई.एस. बीमारी से प्रभावित 61 ज़िलों में नल जल कनेक्शनों की संख्या 8 लाख (2.6 प्रतिशत) से बढ़ कर 1 करोड़ 27 लाख (41.84 प्रतिशत) को पार कर गई है। इससे न केवल वहां के लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों के जीवन—स्तर में व्यापक सुधार आया है, बल्कि घर में ही शुद्ध पेयजल मिलने से इन बीमारियों की रोकथाम में भी बड़ी मदद मिली है।

इस प्रकार जल जीवन मिशन ग्रामीण जीवन को कई तरीकों से और सुगम बना रहा है— एक ओर, ग्रामीण लोगों को उनके ही घर में नल से जल उपलब्ध करा कर सुविधा के मामले में उन्हें शहरी लोगों के समकक्ष ला रहा है; दूसरी ओर ग्रामीण लोगों की 'ईज़ ऑफ लिविंग' को और बेहतर बना रहा है; तीसरे, इस मिशन से महिलाओं

को घर के लिए पानी ढोकर लाने की सदियों पुरानी मजबूरी से छुटकारा मिल रहा है; चौथा यह कि जल जीवन मिशन ग्राम—स्तर पर सब लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर और स्थानीय नेतृत्व को विकसित कर गांधी जी के 'ग्राम स्वराज' के सपने को पूरा करने की दिशा में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है; साथ ही, यह मिशन गांवों के हर घर में नल से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही स्वच्छता बनाए रखने पर भी पूरा ध्यान दे रहा है, ताकि हमारे गांव तरल और ठोस, दोनों प्रकार के कचरे से मुक्त हो सकें; छठा कि जल जीवन मिशन से ग्रामीण भारत में गांव—गांव में रोज़गार के भी नए—नए अवसर पैदा हो रहे हैं क्योंकि मिशन के अंतर्गत स्थापित जल आपूर्ति प्रणाली को चलाने और उसके रखरखाव के लिए नियमित रूप से विभिन्न हुनरों में पारंगत कारीगरों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। ग्रामीण भारत से जुड़ी इस सम्पूर्ण पृष्ठभूमि में वहां 9 करोड़ नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाने का आंकड़ा सम्पूर्ण भारत के लिए ही अत्यंत आशाजनक है, क्योंकि जब ग्रामीण भारत विकास करेगा तभी तो भारत देश अपनी संपूर्णता में आगे बढ़ कर विश्व में अपना यथोचित स्थान ग्रहण कर पाएगा। इस प्रकार 9 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेना सिफ एक मील का पथर भर नहीं, बल्कि एक उद्घोष है कि आज का भारत कुछ भी हासिल कर लेने के लिए कृतसंकल्प भी है, और साधन एवं शक्तिसंपन्न भी।

जल जीवन मिशन की एक खूबी यह भी है कि इसके लिए धन की प्रचुर मात्रा में अग्रिम रूप से ही व्यवस्था कर दी गई है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2019 को देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिले की प्राचीर से इस मिशन की घोषणा के समय ही बता दिया था कि जल जीवन मिशन के लिए साढ़े 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग ने भी जल एवं स्वच्छता को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानते हुए इन दोनों कार्यों (जल एवं स्वच्छता) के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को 1.42 लाख करोड़ रुपये 'सशर्त' अनुदान के रूप में स्वीकृत किए हैं।

संक्षेप में, जल जीवन मिशन के लिए धन की कोई कमी नहीं है। चूंकि यह मिशन विभिन्न प्रदेशों की भागीदारी से चलाया जा रहा है, अतः इसके कार्यान्वयन के लिए जनशक्ति भी समुचित संख्या में उपलब्ध है। इस प्रकार, जल जीवन मिशन की अद्भुत सफलता का राज भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ही दूरगामी सोच में छिपा है, और वह है: 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास'। और, इस प्रयास में महिलाओं को अग्रणी भूमिका में रखा गया है। महिलाओं को निर्णायक भूमिका सौंप कर जल जीवन मिशन वास्तव में जल प्रबंधन और जल संरक्षण के प्रति महिलाओं के समर्पण भाव और उनकी दक्षता को ही ज्ञापित कर रहा है, जो आजादी के इस अमृत महोत्सव को और पूर्णता प्रदान कर रहा है।

(लेखिका जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में सचिव हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई—मेल : secydwss@nic.in

समग्र विकास के लिए महिला शिक्षा

—जे.पी. पांडेय

शिक्षा महिलाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान कर गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता प्रदान करती है। महिला शिक्षा से व्यक्ति और देश दोनों लाभान्वित होते हैं। महिला शिक्षा देश की समग्र आर्थिक उत्पादकता में भी वृद्धि करती है। अनुमान है कि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 0.4–0.9 प्रतिशत का अंतर केवल शिक्षा में लिंग अंतर के कारण होता है। महिला शिक्षा समाज में धन के वितरण की समानता को भी बढ़ाती है। शिक्षा महिलाओं को विशेषज्ञ कौशल प्रदान कर उन्हें बेहतर नौकरियों के लिए योग्य बनाती है। बिना लड़कियों की शिक्षा के किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक बेहतर नहीं हो सकता है। महिला शिक्षा से ही बनती है।

विकसित विश्व का सपना साकार होगा जिसमें विकास के साथ खुशहाली भी होगी।

हे नरी किलंटन के अनुसार महिलाएं दुनिया में प्रतिभा का सबसे बड़ा भंडार हैं, जिसे अभी तक पूरी तरह प्रयोग नहीं किया जा सका है। वैदिक साहित्य में भी महिलाओं को शक्ति स्वरूपा कहा गया है। महिला सशक्तीकरण का तात्पर्य महिलाओं में आत्मशक्ति की भावना, स्वयं के विकल्पों को निर्धारित करने की क्षमता, स्वयं और दूसरों के लिए सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने के उनके अधिकार एवं उनमें समानता और उपलब्धियों के प्रति जागरूकता है।

महिला सशक्तीकरण एक मानसिक अवधारणा है। शिक्षा इस अवधारणा का विकास एवं प्रोत्साहन करती है। महिला सशक्तीकरण किसी वैयक्तिक उन्नति की बात नहीं है वरन् एक शांतिपूर्ण, उन्नत, विकसित एवं खुशहाल समाज, देश और विश्व के निर्माण के लिए आवश्यक शर्त है। महिला शिक्षा और सशक्तीकरण सम्पूर्ण मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि— “वे देश

और राष्ट्र जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, वे कभी महान नहीं बने और न ही भविष्य में कभी होंगे”। यहां महिलाओं का सम्मान, सशक्तीकरण से सीधे—सीधे संबंधित है।

महिला सशक्तीकरण के लिए चल रही बहुआयामी प्रक्रिया के कारण जीवन, समाज, राजनीति, कॉर्पोरेट जगत, प्रशासन सभी जगह महिलाओं की भूमिका में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। शिक्षा और ज्ञान महिलाओं को सशक्त बनाता है। आर्थिक विकास विशेष रूप से महिला नागरिकों के बीच शिक्षा द्वारा ही पूरा हो सकता है। कोई भी देश कितना भी समृद्ध और विशाल क्यों न हो, प्रभावी शिक्षा के बिना नागरिकों का कोई लक्ष्य या सपना पूरा नहीं होगा। शिक्षा न केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करती है बल्कि उसे यह महसूस करने में भी मदद करती है कि वह समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्यावसायिक उपलब्धि, आत्म-जागरूकता और संतुष्टि शिक्षा के





प्रभावी उपयोग से सुनिश्चित होंगी।

शिक्षा संभावनाओं के द्वारा खोलती है। अब 21वीं सदी में जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, उन्हें सशक्त बनाना वास्तव में आवश्यक है। भारत एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, इसलिए हम महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में महिला शिक्षा के महत्व को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। शिक्षा जमीनी स्तर पर महिला सशक्तीकरण के द्वारा खोलने की मुख्य कुंजी है। शिक्षा आज के तकनीकी युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद कर परिवार, समाज और देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। महिला शिक्षा निम्न रूपों में सशक्तीकरण में योगदान देती है;

आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा

शिक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा लड़कियों को उनके सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन में उन्नति करने का अवसर देती है। शिक्षा, महिलाओं में क्षमता निर्माण और कौशल विकास कर उनमें अनेक प्रकार से आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देती है।

स्वास्थ्य सुधार में योगदान

जब महिलाएं और लड़कियां शिक्षित होती हैं, तो वे अपने स्वास्थ्य के बारे में बेहतर निर्णय लेती हैं। शिक्षित महिलाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य से लेकर व्यक्तिगत स्वास्थ्य, पोषण और यौन स्वास्थ्य के बारे में अधिक जानकार होती हैं, इसलिए वे खुद को बचाने, अपने परिवार की स्वास्थ्य देखभाल के बारे में ज्यादा सचेत होती हैं। माना जाता है कि युगांडा में एचआईवी संकुचन दर में कमी लड़कियों के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय नामांकन दर का प्रत्यक्ष परिणाम थी। इस रणनीति को वैशिक-स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। देश में उच्चतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। प्रजनन दर, कम शिशु और बाल मृत्यु दर वस्तुतः सामाजिक व्यवस्था पर शैक्षिक प्रभाव के सार्वभौमिक संकेतक हैं, जो केरल में सबसे कम हैं।

शिक्षित महिला अनपेक्षित गर्भधारण और छोटी उम्र में विवाह की बाध्यता अस्वीकार करने में सक्षम;

गर्भधारण और विवाह जब बांधित और अपेक्षित होते हैं तो लोगों के लिए 'वरदान' की तरह होते हैं। दुर्भाग्य से, दुनिया भर में बड़ी संख्या में महिलाओं और लड़कियों के लिए ऐसा नहीं है। शैक्षिक स्थिति अनपेक्षित गर्भधारण के सबसे बड़े निर्धारकों में से एक है। एक लेख के अनुसार, दुनिया भर में लगभग 40 प्रतिशत गर्भधारण अनजाने में होते हैं। एक सर्वे के अनुसार, दुनिया भर में हर पांच में से एक महिला की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है। शिक्षित महिलाओं के पास गर्भ निरोधकों एवं परिवार नियोजन का अधिक ज्ञान, पहुंच और पसंद होती है। अशिक्षित महिलाओं की 18 साल की उम्र से पहले शादी करने की संभावना माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वालों की तुलना में तीन गुना अधिक है। ऐसे में महिलाओं और लड़कियों को शिक्षित करना ही एक समाधान है।

महिला शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय विकास

अंतर्राष्ट्रीय विकास दुनिया में सामाजिक और आर्थिक प्रगति से संबंधित है। महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दरों के बीच सकारात्मक सहसंबंध है। अर्थशास्त्री लॉरेंस समर्स के अनुसार, "लड़कियों की शिक्षा में निवेश विकासशील दुनिया में उपलब्ध सबसे अधिक रिटर्न वाला निवेश हो सकता है।" इसी प्रकार मानव विकास सूचकांक के तीन संकेतकों में स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष एवं शिक्षा के औसत वर्ष सम्मिलित हैं। बिना लड़कियों की शिक्षा के किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक बेहतर नहीं हो सकता है। महिला शिक्षा से ही विकसित विश्व का सपना साकार होगा जिसमें विकास के साथ खुशहाली भी होगी।

लैंगिक समानता

असमानता को समाप्त करना संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक है। इसलिए लैंगिक असमानता दूर करने के लिए शैक्षिक समानता अत्यंत आवश्यक है। जेंडर इक्विटी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, जो संयुक्त राष्ट्र का चौथा सतत विकास लक्ष्य भी है। लड़कों और लड़कियों के शिक्षा स्तरों के बीच लैंगिक समानता किसी भी देश के विकास का मापदंड और संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के लिए ज़रूरी है। वर्तमान में जहां पुरुष साक्षरता लगभग 84.7 प्रतिशत है, वहीं महिला साक्षरता मात्र 70.3 प्रतिशत है। इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष एवं महिला साक्षरता में 14.4 प्रतिशत का अंतर है। पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर वर्ष 1951 में 12.3 प्रतिशत था जबकि 1981 तक यह बढ़ कर 26.62 प्रतिशत हो गया। उसके बाद से यह निरंतर घट रहा है। महिलाओं में सशक्तीकरण सामान्यतः दूसरी पीढ़ी में आता है। पहली पीढ़ी की शिक्षित महिलाएं अपने बच्चों विशेषकर बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखती हैं जिससे उनकी बेटियां अच्छी शिक्षा प्राप्त कर समाज में अच्छा मुकाम हासिल करती हैं। इसलिए 1981 के बाद से पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर तेज़ी से कम हुआ है।

शिक्षा से आर्थिक विकास

महिला शिक्षा की कमी आर्थिक विकास में बड़ी बाधा है। शिक्षा महिलाओं को रोज़गार के अवसर देकर गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता प्रदान करती है। महिला शिक्षा से व्यक्ति और देश दोनों लाभान्वित होते हैं। जो व्यक्ति शिक्षा में निवेश करते हैं, उन्हें अपने पूरे जीवनकाल में शुद्ध मौद्रिक लाभ प्राप्त होता है। प्रमुख शिक्षा अर्थशास्त्री हैरी पैट्रिनोस के अनुसार, "निजी दर के रिटर्न के अनुमान के अनुसार शिक्षा की लाभप्रदता निर्विवाद, सार्वभौमिक और वैशिक है।" महिला शिक्षा में निवेश किए गए संसाधनों पर पुरुषों की तुलना में 1.2 प्रतिशत अधिक रिटर्न मिलता है। लड़कियों को एक साल की अतिरिक्त शिक्षा देने से उनके वेतन में 10–20 प्रतिशत की वृद्धि होती है। यदि कोई महिला केवल एक वर्ष के लिए माध्यमिक विद्यालय में जाती है, तो शिक्षा का यह अनुभव उसकी जीवन भर की कमाई को 20 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है।

महिला शिक्षा देश की समग्र आर्थिक उत्पादकता में भी वृद्धि



करती है। अनुमान है कि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 0.4–0.9 प्रतिशत का अंतर केवल शिक्षा में लिंग अंतर के कारण होता है। महिला शिक्षा समाज में धन के वितरण की समानता को भी बढ़ाती है। शिक्षा महिलाओं को विशेषज्ञ कौशल प्रदान कर उन्हें बेहतर नौकरियों के लिए योग्य बनाती है।

राजनीतिक सजगता एवं भागीदारी

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का मतलब है कि नीतियां केवल पुरुषों की ज़रूरतों और चाहतों पर केंद्रित नहीं बनें बल्कि राजनीतिक व्यवस्था में उनकी आवाज़ भी सुनी जाए। शिक्षित महिलाओं की नागरिक भागीदारी, चुनाव, बैठकों और राजनीतिक सक्रियता में भाग लेने की अधिक संभावना होती है। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली सभी महिलाएं सरोजनी नायदू, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, दुर्गा बाई देशमुख आदि सभी सुशिक्षित थीं। स्पष्ट है कि शिक्षित महिलाएं यथार्थिति को चुनौती देती हुई निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनती हैं।

सामाजिक विकास को सकारात्मक बढ़ावा

महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाने वाला समाज ही उन्नत समाज बन सकता है। प्रजनन दर, मातृ मृत्युदर और शिशु मृत्युदर में कमी, लैंगिक समानता, समान अधिकार और अवसर, कम घरेलू हिंसा, परिवार में महिलाओं की अधिक सक्रिय भूमिका आदि प्रमुख सामाजिक विकास बिंदु हैं। एक शिक्षित पिता की तुलना में एक शिक्षित मां से जुड़े बच्चों की न केवल जीवित रहने की उच्च दर अधिक होती है बल्कि उन्हें बेहतर पोषण भी मिलता है। शैक्षिक सुविधाओं की बेहतर पहुंच और स्थिति बालश्रम से जुड़े गरीबी के दुष्क्रक्त को तोड़ने में मदद कर सकती है। शिक्षा नारी को अनेक बंधनों से मुक्त कर उनके लिए एक नई प्रबुद्ध दुनिया के द्वार खोलती है। शिक्षा सामाजिक बुराइयों—दहेज, यौन उत्पीड़न, कुप्रथाओं और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को समझने और उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने में सक्षम और समर्थ बनाती है।

भारत में महिला शिक्षा की स्थिति

14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के संवेदनिक निर्देश के बावजूद लड़कियों में शिक्षा की प्रगति धीमी रही है। स्वतंत्रता के बाद से पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर है जिसे तालिका-1 में देखा जा सकता है।

भारत में साक्षरता दर 1951 में 18.3 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 74.04 प्रतिशत हो गई, जिसमें शिक्षा में महिलाओं का नामांकन भी 7 प्रतिशत से बढ़कर 65.46 प्रतिशत हो गया। 2011 में शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत बढ़कर 74.04 प्रतिशत हो गया, जिसमें पुरुष और महिला साक्षरता 82.14 और 65.46 प्रतिशत थी।

वर्तमान में सकल नामांकन अनुपात, शुद्ध नामांकन अनुपात और विभिन्न कक्षाओं में संक्रमण दर को तालिका-2 से समझा जा सकता है।

महिला शिक्षा में प्रमुख बाधाएं

महिला शिक्षा एवं सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिए महिला शिक्षा में प्रमुख अवरोधों को समझना आवश्यक है। समाज की

अत्यधिक पितृसत्तात्मक प्रकृति, पारंपरिक रुद्धिवादी सोच, कम उम्र में विवाह, बालश्रम और संरचनात्मक और संस्थागत कारक के कारण देश की अधिकांश महिलाएं शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाती हैं। भारतीय परिवारों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, बालिकाएं घर के कामों जैसे भाई-बहन की देखभाल, पानी लाना, लकड़ी इकट्ठा करना, सफाई और खाना बनाना आदि की ज़िम्मेदारियों को निभाती हैं जिससे इन बालिकाओं को स्कूल जाने के लिए हातोत्साहित किया जाता है। दहेज प्रथा और अन्य सामाजिक प्रथाएं बालिकाओं की उपेक्षा और बालिकाओं के प्रति भेदभाव के मुख्य कारणों के रूप में कार्य करती हैं। इस कारण या तो लड़कियों का स्कूलों में नामांकन नहीं होता या बाद में स्कूल सिस्टम से झूँपआउट हो जाता है।

भारत में, लड़कियों के लिए स्कूल का माहौल दिलचर्ष और उत्साहजनक होना चाहिए। मूलभूत सुविधाओं—पीने के पानी, शौचालय की सुविधा की कमी और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त व्यवस्था लड़कियों की शिक्षा में बाधक हैं। अब जबकि यह सर्वविदित है कि महिलाओं के सक्रिय योगदान के बिना समाज कार्य नहीं कर सकता है, इन बाधाओं को दूर कर महिला शिक्षा को बढ़ाना ही होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिला शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के सभी स्तरों प्री-स्कूल से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों (एसईडीजी) की एक समान सहभागिता सुनिश्चित करने पर ज़ोर देती है। राष्ट्रीय शिक्षा के नीतिगत प्रावधान में महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी को बढ़ाने के लिए अनेक प्रावधानों का सुझाव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैरा 6.2 में लिंग (महिला व द्रांसजेंडर व्यक्ति) को सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों में एक माना गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन समस्याओं और बाधाओं को चिन्हित करती है जो लड़कियों की शिक्षा के रास्ते में आती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति

तालिका-1 : पुरुष और महिला साक्षरता में अंतर

वर्ष	कुल	पुरुष	महिला (प्रतिशत में)
1901	5.3	9.8	0.7
1911	5.9	10.6	1.1
1921	7.2	12.2	1.8
1931	9.5	15.6	2.9
1941	16.1	24.9	7.3
1951	16.7	24.9	7.3
1961	24.0	34.4	13.0
1971	29.5	39.5	18.7
1981	36.2	46.9	24.8
1991	52.1	63.9	39.2
2001	65.38	76.0	54.0
2011	74.04	82.14	65.46

तालिका—2

संकेतक	2020–21											
	प्राइमरी			अपर प्राइमरी			सेकेंडरी			सीनियर सेकेंडरी		
	छात्र	छात्रा	कुल	छात्र	छात्रा	कुल	छात्र	छात्रा	कुल	छात्र	छात्रा	टोटल
सकल नामांकन अनुपात	102.22	104.45	103.28	91.64	92.74	92.17	80.05	79.45	79.77	52.99	54.65	53.79
शुद्ध नामांकन अनुपात	91.58	93.79	92.63	73.57	74.51	74.02	52.57	52.37	52.47	33.88	35.60	34.71
	प्राइमरी से अपर प्राइमरी			अपर प्राइमरी से सेकेंडरी			सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी					
संक्रमण दर	91.64	91.88	91.76	90.98	88.75	89.89	71.99	73.60	72.76			

में जेंडर –समावेशी कोष की स्थापना की सिफारिश एक क्रांतिकारी कदम है। यह जेंडर समावेशी कोष राज्यों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे उनको ऐसी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों आदि को लागू करने में सहायता मिलेगी ताकि बालिकाओं को विद्यालय परिसर में अधिक सुरक्षापूर्ण एवं स्वस्थ वातावरण मिल सके।

ग्रामीण अंचलों, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों, दूरदराज के इलाकों में, जहां विद्यालय अधिक दूरी पर है, वहां निशुल्क छात्रावासों का निर्माण, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त व्यवस्था, विद्यालयों में सकारात्मक वातावरण, भौतिक सुविधाएं विशेषकर स्वच्छता, शौचालय आदि का निर्माण, विद्यालय में समावेशी एवं संवेदनशील संस्कृति का निर्माण, बालिकाओं, किशोरों द्वारा सामना किए जाने वाले गंभीर मुद्दों जैसे कई प्रकार के भेदभाव, उत्पीड़न तथा उनके अधिकारों एवं सुरक्षा के खिलाफ किसी भी तरह के उल्लंघन पर कुशल तंत्र, उच्चतम शिक्षण संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में जेंडर संतुलन को बढ़ावा देने, उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के सभी पहलुओं द्वारा संकाय सदस्यों, परामर्शदाताओं और विद्यार्थियों को जेंडर और जेंडर पहचान के प्रति संवेदनशील और समावेशित करने की सिफारिश की गई है। यह भी सिफारिश की गई है कि स्कूल या कॉलेज परिसर में भेदभाव और उत्पीड़न के लिए बने हुए नियमों को सख्ती से लागू किया जाए और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में महिला विद्यार्थियों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जाए।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और राज्यों के ओपन स्कूल द्वारा प्रस्तुत ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण का प्रावधान सभी विद्यार्थियों के लिए है। किन्तु जो बालिकाएं विद्यालय नहीं जा सकतीं, वह भी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी। व्यावसायिक विषयों, स्थानीय भाषाओं, इनडोर आउटडोर खेल, चित्रकला, कठपुतली, शिल्प, नाटक, कविता, कहानी, संगीत आधारित गतिविधियों से छात्रों विशेषकर बालिकाओं में रुचि विकसित होगी और वह विद्यालय से जुड़ी रहेंगी।

शिक्षा व्यवस्था में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था यद्यपि सभी विद्यार्थियों के लिए है किंतु महिलाओं के लिए यह विशेष लाभकारी होगा। विवाह, पारिवारिक कारण व अन्य कारणों की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है। उनके लिए यह बदलाव पुनः

शिक्षा से जुड़ने का अवसर देगा। साथ ही, व्यावसायिक शिक्षा पर इस प्रकार बल दिया गया है कि प्रत्येक छात्र कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशल को सीख सकें, इससे विशेषकर महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। उच्च शिक्षण संस्थाओं को सॉफ्ट स्ट्रिकल्स सहित विभिन्न कौशलों तथा “लोक विधाओं” में सीमित अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स करवाने की भी अनुमति होगी। इससे उच्च शिक्षण में महिलाएं अपनी रुचि एवं सुविधा के अनुसार कौशल प्राप्त करके आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

केंद्र द्वारा प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना

शिक्षा संविधान की समर्वर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों के अधीन हैं, तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के प्रत्येक छात्र की शिक्षा तक निरंतर पहुंच हो, केंद्र द्वारा प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप समेकित किया गया है। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाठना समग्र शिक्षा योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।

लड़कियों तक स्कूली शिक्षा में पहुंच, भागीदारी और सीखने के परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतराल को पाठने के लिए, राज्य द्वारा शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्कूल खोलना, कक्षा आठवीं तक की लड़कियों को मुफ्त पाठ्य-पुस्तकों का प्रावधान, आठवीं कक्षा तक की सभी लड़कियों को वर्दी, लड़कियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के संवेदीकरण कार्यक्रम, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण आदि कार्यक्रम चलाए जाते हैं। साथ ही, समग्र शिक्षा योजना के तहत लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य प्रमुख योजनाएं निम्न हैं—

लड़कियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण करने हेतु

यह प्रावधान लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करना, लड़कियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित है। कक्षा VI से XII तक की लड़कियों के बीच आत्मरक्षा और आत्म-विकास के लिए जीवन कौशल विकसित करने के लिए तीन महीने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह प्रशिक्षण लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ाने और भावी चुनौतियों का सामना करने के तैयार करता है, जो महिला सशक्तीकरण का महत्वपूर्ण पहलू है।

राज्य विशिष्ट परियोजनाएं

लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच, प्रतिधारण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु समग्र शिक्षा में इकिवटी के तहत राज्य विशिष्ट परियोजनाओं—नामांकन अभियान, प्रतिधारण और प्रेरणा शिविर, लिंग संवेदीकरण मॉड्यूल आदि को वितीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित और क्रियान्वित योजनाओं में अनेक बिंदुओं पर बल दिया जाता है जिनसे महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलता है;

- लड़कियों और लड़कों के नामांकन और उपरिथिति में सुधार
- स्कूलों में सेनेटरी पैड वैंडिंग मशीन और इंसीनरेटर
- लड़कियों और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए स्कूल लर्निंग एक्सेल कार्यक्रम,
- किशोरियों के लिए जीवन कौशल एवं किशोर कार्यक्रम
- लड़कियों के लिए कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम
- उच्च संस्थानों के साथ रोल मॉडल वाली छात्राओं से बातचीत / साक्षात्कार
- गृह आधारित शिक्षा
- बालिका सशक्तीकरण परियोजना (प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर)
- नेतृत्व प्रशिक्षण और कौशल प्रशिक्षण
- लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना, आत्मविश्वासी बनाने, नेतृत्व विकसित करने के लिए "गर्ल एम्बेसेडर"
- लड़कियों के सशक्तीकरण और जेंडर फ्रेंडली स्कूल वातावरण के निर्माण के लिए
- आत्मरक्षा में अच्छा प्रदर्शन, पाठ्येतर गतिविधियों, नेतृत्व कौशल, संचार और पारस्परिक कौशल कार्यक्रम
- कक्षा और स्कूलों में लिंग और समानता के मुद्दों को बढ़ावा देने और उनका समाधान करने के लिए मॉड्यूल का विकास और लिंग उत्तरदायी शिक्षण सामग्री का विकास
- लड़कियों के स्कूल छोड़ने में सुधार लाने, किशोरों के मुद्दों का समाधान, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षण और सशक्त बनाने से संबंधित कार्यक्रम
- लड़कियों के अधिकारों के मुद्दों के लिए समुदाय को जागरूक एवं संगठित करने से संबंधित कार्यक्रम
- साइबर सुरक्षा और स्वास्थ्य, मनो-सामाजिक पहलुओं आदि पर शिक्षकों और छात्राओं का उन्मुखीकरण
- मनो-सामाजिक कल्याण कार्यक्रम
- लड़कों और पुरुषों द्वारा महिला सशक्तीकरण में निभाई जा सकने वाली सकारात्मक भूमिका संबंधित जागरूकता कार्यक्रम

विशेष फोकस जिले

समग्र शिक्षा के अंतर्गत अंतर-क्षेत्रीय, अंतरराज्यीय और अंतर ज़िला असमानताओं को दूर करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (25 प्रतिशत और अधिक) के

उच्च घनत्व वाले विशेष फोकस ज़िलों एवं 112 आकांक्षी ज़िलों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा योजना अनुमोदन के दौरान इन आकांक्षी ज़िलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इन ज़िलों में प्रगति की निगरानी के लिए नीति आयोग द्वारा एक मज़बूत निगरानी प्रणाली भी स्थापित की गई है।

किशोर स्वास्थ्य मुद्रे

लड़कियों के लिए किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जा रहा है। लड़कियों में मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ाने के लिए स्कूलों में सेनेटरी पैड, वैंडिंग और इंसीनरेटर मशीनों के लिए अनुदान दिया जाता है। इससे न केवल लड़कियों को स्कूलों में आने के लिए प्रोत्साहन मिलता है बल्कि मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता से पूरी उम्र उनके स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है।

कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श

कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श विशेष रूप से लड़कियों के लिए बहुत महत्व का विषय है। माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श छात्राओं को उनकी योग्यता, व्यक्तित्व और रुचि के आधार पर कैरियर के निर्णय लेने में मदद करते हैं। छात्राओं में उनके लिए उपलब्ध कैरियर और उपयोगी संस्थानों एवं कार्यक्रमों, विभिन्न छात्रवृत्तियों और अनुदानों के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय / छात्रावास

कम आबादी वाले, पहाड़ी और घने जंगलों वाले कठिन भौगोलिक इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी),



'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान की उपलब्धियां

पहली बार, लिंगानुपात में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं

1,020
महिला

1,000
पुरुष

2015 से 2020 के बीच उच्च शिक्षा में छात्राओं के सकल नामांकन में 18% की वृद्धि हुई

स्रोत: गांधी यात्रा योग्यता अनुमति बोर्ड (प्राथमिक-वर्ष-5), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

my
GOV
मेरी सरकार





नई ऊर्जा के साथ साल 2015 से अब तक निरंतर प्रगति



10 या उससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा में
महिलाओं की संख्या में **15% की वृद्धि**



बैंक/बचत खाताधारक महिलाओं की संख्या में
48% की वृद्धि



पीरियड्स के दौरान हाइजीनिक सुरक्षा अपनाने में 15-24
वर्षीय आयु वर्ग की महिलाओं में **34% की वृद्धि**

स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य नर्तकीय (एनएफएस-5)

एलडब्ल्यूई, विशेष फोकस ज़िलों (एसएफडी) और नीति आयोग द्वारा पहचाने गए 112 आकांक्षी ज़िलों में, जहां एक नया प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोलना व्यवहार्य नहीं है, वहां बच्चों तक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय' खोले गए हैं। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक नामांकन सुनिश्चित करना है। दुर्गम क्षेत्रों में इन आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों की सुविधा से सभी वर्गों विशेष रूप से लड़कियों को लाभ हुआ है। अब तक 25 राज्यों में 343 आवासीय विद्यालय और 704 आवासीय छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें स्कूलों में छात्रों की संख्या 59,200 और छात्रावासों में बच्चों की संख्या 52,200 है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा

समग्र शिक्षा योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) की शिक्षा को प्री—नर्सरी से बारहवीं कक्ष तक जारी रखना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में लड़कियों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। योजना के तहत सभी बच्चों और विकलांगों की समावेशी शिक्षा तक पहुंच बनाने और उनके नामांकन, प्रतिधारण में सुधार करने में, स्कूलों में वास्तु संबंधी बाधाओं को दूर करना ताकि विकलांग छात्रों की स्कूल में कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और शैक्षालयों तक पहुंच हो सके। सरकारी, सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में नामांकित विशेष आवश्यकता वाले सभी छात्र/छात्राओं के लिए 3500 रुपये प्रति वर्ष चिकित्सीय उपकरण एवं सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, विशेष रूप से छात्राओं को स्कूल प्रणाली में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 10 महीने के लिए 200 रुपये प्रति माह वज़ीफा दिया जाता है।

बालिका शौचालय

शौचालय की सुविधा यद्यपि सभी के लिए आवश्यक है, तथापि बालिकाओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। बालिका शौचालय का अभाव लड़कियों के ड्रॉपआउट का प्रमुख कारण है। समग्र शिक्षा योजना में सभी स्कूलों में अनिवार्यतः बालिका शौचालय उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)

केजीबीवी आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में वंचित वर्गों की लड़कियों का नामांकन करके शिक्षा में लैंगिक अंतर को पाटने एवं महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में स्थापित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जैसे वंचित समूहों से संबंधित लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय हैं। केजीबीवी में जीवन कौशल, आत्मरक्षा तकनीक और एक्सपोज़र विज़िट, स्काउट गाइड, साइकिलिंग और अन्य खेलों के माध्यम से शारीरिक शिक्षा, खेल, वाद-विवाद, कविता पाठ, नृत्य, संगीत और नाटक आदि के माध्यम से व्यक्तित्व विकास आदि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों पर बल दिया जाता है। यह योजना 30 राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। 7,79,548 लड़कियों की क्षमता वाले कुल 5615 केजीबीवी को समग्र शिक्षा के तहत स्वीकृत किया गया है।

महिला सशक्तीकरण से महिला शिक्षा

महिला सशक्तीकरण और महिला शिक्षा एक—दूसरे के कारक, पूरक और आत्मनिर्भर हैं। जिस प्रकार शिक्षा महिला सशक्तीकरण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, उसी प्रकार सशक्त महिलाएं शिक्षा को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। जहां शिक्षा की पहुंच महिलाओं के जीवन और समाज में महिलाओं की स्थिति को मौलिक रूप से बदलती है, वही महिला सशक्तीकरण से शिक्षा और शैक्षिक गतिविधियों को नए रूप में पोषित एवं परिभाषित कर उसकी सार्वभौमिक पहुंच और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है।

निष्कर्ष

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 1.4 अरब की आबादी में लगभग आधी महिलाएं हैं। वस्तुतः सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के मूल में देश की आधी जनसंख्या (महिला शक्ति) की शिक्षा, स्वास्थ्य, वर्कफोर्स में हिस्सेदारी, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी विद्यमान है। महिला सशक्तीकरण का सबसे अच्छा साधन शिक्षा है। अपाला, घोषा और लोपामुद्रा का भारत इसे वास्तविक धरातल पर उतारने के लिए दृढ़ संकल्प है। महिलाओं और लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से महिला सशक्तीकरण और बेहतर समाज के निर्माण का मार्ग प्रस्तुत होता है।

(लेखक शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई-मेल : jppandey.irps@gov.in

महिला वैज्ञानिकों एवं चिकित्सकों के रचे स्वर्णिम अध्याय

—निमिष कपूर

देश में महिला वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के संघर्षों और उपलब्धियों का एक लंबा इतिहास रहा है। भारतीय महिला वैज्ञानिकों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में शोध और विकास कार्यों से अनेक स्वर्णिम अध्याय जोड़े हैं। भारतीय महिला वैज्ञानिकों की जीवनगाथा छात्राओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। आज आवश्यकता है कि देश की छात्राएं विज्ञान के शोध-अनुसंधान में आगे आएं और देश के विकास में भागीदार बनें। छात्राओं और महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अध्ययन एवं कैरियर के तमाम अवसर देश में उपलब्ध हैं।

देश में महिला वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के संघर्षों और उपलब्धियों का एक लंबा इतिहास रहा है। भारतीय महिला वैज्ञानिकों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में शोध और विकास कार्यों से अनेक स्वर्णिम अध्याय जोड़े हैं। आरम्भिक दौर में देश की विज्ञान प्रयोगशालाओं में पुरुष वैज्ञानिकों एवं चिकित्सकों का वर्चस्व रहा। महिलाओं के अध्ययन क्षेत्र केवल कला और मानविकी विषयों तक सिमटे थे या उनका स्थान केवल परिवार और बच्चों की परवारिश तक सीमित था। विज्ञान के प्रति अपनी ललक और अध्ययन की महत्वाकांक्षा से अनेक महिला वैज्ञानिकों ने इन वर्जनाओं को दरकिनार करते हुए न केवल वैज्ञानिक संस्थानों में दाखिला लिया बल्कि विज्ञान के अनुसंधानों के माध्यम से देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

हमारी महिला वैज्ञानिकों ने स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, आयुर्विज्ञान, औषधीय पौधों, मौसम पूर्वानुमान, तकनीकों से लेकर रॉकेट साइंस और भिसाइल कार्यक्रम तक सफलता की इबारत लिखी है। देश के अति-प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान – इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर (वर्तमान में बंगलुरु) में केवल पुरुष विद्यार्थियों को ही दाखिल दिया जाता था। किस तरह वहां महिला विद्यार्थियों का प्रवेश आरंभ हुआ, और किस प्रकार भारतीय महिला वैज्ञानिकों ने देश और दुनिया में अपनी सफलता का परचम लाहराया, आइए जानते हैं इस आलेख में।

डॉ. कादम्बिनी गांगुली (18 जुलाई 1861–3 अक्टूबर 1923)



कादम्बिनी गांगुली भारत में पहली बंगाल की पहली महिला डॉक्टरों एवं महिला स्नातकों में से एक थीं, जिन्होंने डॉक्टरी के पेशे का अभ्यास किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कादम्बिनी गांगुली का योगदान भी उल्लेखनीय है। कादम्बिनी 1884 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने वाली पहली महिला थीं, बाद में स्कॉटलैंड में प्रशिक्षित हुईं, और भारत में एक सफल चिकित्सा पद्धति की स्थापना की। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली महिला स्पीकर थीं। 1882 में, उन्होंने कला में भी स्नातक की

उपाधि प्राप्त की। बाद में उन्होंने पश्चिमी चिकित्सा का अध्ययन करने का निर्णय लिया। उन्होंने कॉलेज से कई बाधाओं के बावजूद 1888 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से सफलतापूर्वक स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उस समय तक देश की उच्च शिक्षा में महिला उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए कोई विकल्प नहीं था। कादम्बिनी को न केवल दाखिल मिला बल्कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए प्रति माह 20 रुपये छात्रवृत्ति भी मिली। मेडिकल ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने लेडी डफरिन महिला अस्पताल में बहुत कम समय के लिए काम किया। भारतीय और महिला होने के कारण उन्हें अपने सहयोगियों और प्रशासनिक कर्मचारियों के भारी भेदभाव और कड़े विरोध का सामना करना पड़ा।

अपनी पेशेवर व्यस्तताओं के साथ ही वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कई आंदोलनों में भी शामिल थीं। बंगाल के विभाजन के दौरान, उन्होंने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया और 1908 में कलकत्ता में महिला सम्मेलन का आयोजन किया। कादम्बिनी ने पूर्वी भारत में महिला कोयला खनिकों के अधिकारों के लिए भी बड़े पैमाने पर काम किया। कादम्बिनी का जन्म बंगाली कायस्थ परिवार में 18 जुलाई, 1861 को भागलपुर, बंगाल प्रेसीडेंसी (आधुनिक बिहार) में ब्रिटिश भारत में हुआ था। उनके पिता भागलपुर स्कूल के प्रधानाध्यापक थे जिन्होंने भागलपुर में महिलाओं की मुक्ति के लिए आंदोलन शुरू किया। 1863 में महिला संगठन भागलपुर महिला समिति की स्थापना की, जो भारत में पहली महिला समिति थी।

डॉ. रुखमाबाई (22 नवम्बर 1864 – 25 सितम्बर 1955)



1880 का दशक देश में एक ऐसा समय था जब भारतीय महिलाओं के पास स्वयं के लिए निर्णय लेने या बोलने का कोई अधिकार नहीं था। उस समय एक साहसी और दृढ़ निश्चयी महिला ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ कर समाज को आईना दिखाया। 11 साल की उम्र में विवाहित, बाल वधू रुखमाबाई ने अदालत में अपने पति के दाम्पत्य अधिकारों के दावे का विरोध किया, जिसके कारण सहमति अधिनियम 1891 पारित किया गया। इसके बाद वह 1894 में भारत की पहली प्रैविटेस करने वाली महिला डॉक्टर बनने से पहले लंदन में मेडिसिन की पढ़ाई करने चली गई।



रुखमाबाई का जन्म 1864 में बम्बई (वर्तमान में मुम्बई) में हुआ। उनकी मां स्वयं बाल विवाह प्रथा पीड़िता थीं। उनकी मात्र 14 साल की उम्र में शादी हो गई थी और 15 साल की बाल उम्र में उन्होंने रुखमाबाई को जन्म दिया और मात्र 17 साल की उम्र में विधवा हो गई। सात साल बाद, रुखमाबाई की मां ने मुम्बई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर सखाराम अर्जुन से शादी की, जो भारत में शिक्षा और सामाजिक सुधार के समर्थक थे। सामाजिक दबाव से प्रेरित होकर, रुखमाबाई की मां ने 11 वर्षीय रुखमाबाई की शादी दादाजी भीकाजी से कर दी, जो उस समय 19 वर्ष के थे। प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार, रुखमाबाई अपने पति के साथ नहीं रहती थी, बल्कि शादी के बाद के वर्षों में अपने माता-पिता के घर में रहती थी। इस अवधि के दौरान, उन्होंने स्वयं को शिक्षित करने के लिए अपने सौतेले पिता के निर्देशों का पालन किया, जो उस समय के मानदंडों के विपरीत था।

रुखमाबाई अभी स्कूल में पढ़ ही रही थीं, जब मार्च 1884 में उनके पति दादाजी भीकाजी ने मांग की कि वह उनके साथ रहें। रुखमाबाई ने इंकार कर दिया, और दादाजी ने पति के वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए अपनी पत्नी पर बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। युवा रुखमाबाई ने दृढ़ता से अपने पति के साथ जाने से इंकार कर दिया। अदालत ने उन्हें दो विकल्प दिए – या तो उसके आदेशों का पालन करें या जेल जाएं। रुखमाबाई ने यह कहते हुए अपनी बात रखी कि वह बाल उम्र में हुई शादी में रहने की अपेक्षा आदेशों का उल्लंघन करने के लिए कारावास की सज़ा पसंद करती हैं। उनका तर्क था कि उन्हें ऐसी शादी को स्वीकारने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था, जो मात्र 11 वर्ष की उम्र में की गई थी।

इसने 19वीं शताब्दी में बम्बई और वास्तव में भारत में सबसे अधिक प्रचारित अदालती मामलों में से एक की शुरुआत की। 1880 के दशक के दौरान इस मामले ने ब्रिटिश प्रेस का भी बहुत ध्यान आकर्षित किया, बाल विवाह और महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे को सामने लाया गया। रुखमाबाई ने उस समय के समाचार-पत्रों में लिखा: “बाल विवाह की इस दुष्ट प्रथा ने मेरे जीवन की खुशियों को नष्ट कर दिया है। यह मेरे और उन चीज़ों के बीच आता है जिन्हें मैं अन्य सभी से ऊपर मानती हूँ— अध्ययन और मानसिक साधना। मेरी हर आकांक्षा को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और इसकी व्याख्या सबसे अनैतिक तरीके से की जाती है।”

1888 में, दादाजी ने विवाह के विघटन के एवज में मौद्रिक मुआवजा स्वीकार कर लिया। नतीजतन, दोनों पक्षों में समझौता हो गया और रुखमाबाई कैद से बच गई। रुखमाबाई ने वित्तीय सहायता के सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और अपनी कानूनी लागतों का भुगतान भी स्वयं किया। अदालत के बाहर समझौते के बावजूद, यह मामला औपनिवेशिक भारत में शादी में महिलाओं की उम्र, सहमति और पसंद के मुद्दों को उठाने के लिए एक मील का पथर बन गया। रुखमाबाई औपनिवेशिक भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक थीं। महिलाओं के

साथ भेदभाव करने वाली सामाजिक परम्पराओं और रीति-रिवाजों की उनकी अवहेलना ने 1880 के रुद्धिवादी भारतीय समाज में बहुत से लोगों को झकझोर दिया और 1891 में सहमति अधिनियम के पारित होने का कारण बना। उन्होंने असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प के साथ वर्षों तक अपमान को सहन किया।

अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र रुखमाबाई ने एक डॉक्टर के रूप में प्रशिक्षण लेने का फैसला किया। उन्होंने बम्बई के कामा अस्पताल के मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया और 1889 में लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन फॉर वूमेन में अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चली गई। उन्होंने 1894 में स्नातक होने से पहले एडिनबर्ग, ग्लासगो और ब्रुसेल्स से भी योग्यता प्राप्त की। पढ़ाई खत्म करके रुखमाबाई अपने देश लौट आई और सूरत में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्य आरंभ किया। उनका उस समय भी विरोध किया गया। चिकित्सा में महत्वपूर्ण 35 साल के कैरियर के दौरान उन्होंने बाल विवाह और महिलाओं की पर्दा प्रथा के खिलाफ लिखना जारी रखा। उन्होंने फिर कभी शादी नहीं की और 1955 में 91 साल की उम्र में अपनी मृत्यु तक सामाजिक सुधार में सक्रिय रही। रुखमाबाई को भारत की पहली प्रैक्टिस करने वाली महिला डॉक्टर होने का सम्मान प्राप्त है।

डॉ. आनंदीबाई जोशी (31 मार्च 1865–28 फ़रवरी 1887)



सामाजिक मानदंडों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली डॉ. आनंदीबाई जोशी 1880 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका से पश्चिमी चिकित्सा में अपनी पढ़ाई पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। महाराष्ट्र में कल्याण में ज़मींदारों के एक परिवार में 31 मार्च, 1865 को आनंदीबाई का जन्म यमुना के रूप में हुआ, जो उन दिनों आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। परम्परा के अनुसार, बालिका यमुना का विवाह केवल नौ वर्ष की उम्र में गोपालराव जोशी से हुआ। विवाह के बाद यमुना का नाम आनंदीबाई जोशी हो गया। 29 वर्षीय विधुर गोपालराव जोशी कल्याण में एक डाक कलर्क थे और एक प्रगतिशील व्यक्ति थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया और अपनी पत्नी को भी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया।

आनंदीबाई के बाल नौ वर्ष की थीं जब उन्होंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। हालांकि, चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में पैदा होने के 10 दिन बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई। इस घटना ने उन्होंने चिकित्सा के पेशे में आगे और महिलाओं की मदद करने के लिए प्रेरित किया। आनंदीबाई को मिशनरी स्कूलों में दाखिला दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हुआ। फिर दंपत्ति कलकत्ता चले गए जहां उन्होंने संस्कृत के साथ-साथ अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना सीखा। कलकत्ता प्रवास के दौरान दंपत्ति अमेरिका के एक चिकित्सक जोड़े से मिला। उन्होंने आनंदीबाई को अमेरिका के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का सुझाव दिया और उन्हें अमेरिका



पहुंचने में भी मदद की। भारतीय दंपति की भारी आलोचना हुई क्योंकि एक विवाहित ब्राह्मण महिला पश्चिमी चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए अकेले विदेश जा रही थी। उन्होंने सेरामपुर कॉलेज हॉल में स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए स्वयं के अमेरिका जाने का कारण बताया। उन्होंने विशेष रूप से भारत में महिला डॉक्टरों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। साथ ही, इस बात पर भी ज़ोर दिया कि केवल महिलाएँ ही महिलाओं के लिए बेहतर चिकित्सक हो सकती हैं और वे स्वेच्छा से पहली महिला चिकित्सक बन सकती हैं। इसके बाद, दंपति को भारी प्रचार मिला, और पूरे भारत से आर्थिक मदद भी मिली।

अमेरिका में, आनंदीबाई जून 1883 में पेन्सिलवेनिया के महिला मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने 19 साल की उम्र में डॉक्टर बनने की अपनी यात्रा शुरू की। तीन साल बाद, जब वह 21 वर्ष की थीं, तब उन्होंने प्रसूति में एमडी के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनके शोध का विषय 'आर्य हिंदुओं के बीच प्रसूति' था जहां उन्होंने पश्चिमी चिकित्सा और भारतीय आयुर्वेद दोनों के तत्वों को मिलाया। उन्हें स्नातक होने पर महारानी विकटोरिया से बधाई संदेश भी प्राप्त हुआ। हालांकि आनंदीबाई जोशी डॉक्टर के रूप में अहर्ता प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थीं लेकिन उन्होंने कभी भी चिकित्सक के रूप में कार्य नहीं किया।

1886 में भारत गापसी पर उन्हें कोल्हापुर रियासत द्वारा अन्वर्ट एडवर्ड अस्पताल में महिला वार्ड के प्रभारी चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि, कड़ाके की ठंड के मौसम और अमेरिका में अलग-अलग खान-पान और वातावरण ने उनके स्वास्थ्य पर भारी असर डाला। वे तपेदिक से पीड़ित हो गईं। 22 साल की उम्र में असामिक मृत्यु के कारण वो अपनी डिग्री को एक सफल पेशे में परिवर्तित नहीं कर सकीं। उनकी मृत्यु पर पूरे देश ने शोक व्यक्त किया और उनके सम्मान में, उनकी राख को न्यूयॉर्क के पॉफकीप्सी में एक कब्रिस्तान में रखा गया। शुक्र ग्रह पर एक क्रेटर (विशालकाय गड्ढा) का नामकरण भी उनके नाम पर किया गया है, जिसे 'जोशी' कहा जाता है।

डॉ. ई.के. जानकी अम्माल (4 नवम्बर 1897—7 फरवरी 1984)



वर्ष 1897 में केरल के तेल्लिचेरी में जन्मीं एदवालेथ कक्षाट जानकी अम्माल एक उच्च कोटि की वनस्पति और कोशिका वैज्ञानिक थीं। उन्होंने गन्ने की एक विशेष मीठी किस्म को विकसित किया। उन्होंने साथी वैज्ञानिकों के साथ गन्ने की ऐसी किस्म भी विकसित की, जो कई तरह की बीमारियों और सूखे की स्थिति में भी पनप सकें। हिमालय क्षेत्र में पेड़—पौधों के संकरण के गहन अध्ययन में भी जानकी अम्माल ने कार्य किया। वास्तव में, जंगली अवस्था में पौधों में संकरण की प्रक्रिया को समझने में उनके

अंतरराष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस

हर साल दुनिया भर में 11 फरवरी का दिन अंतरराष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की सशक्त भूमिका सुनिश्चित करने के साथ-साथ लैंगिक सशक्तीकरण को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 22 दिसंबर, 2015 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। इस दिवस को यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र महिला संघ (यूएन वूमेन) के द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है।

इस साल अंतरराष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस थीम की थीम है— 'इक्विटी, विविधता और समावेशन: जल हमें एकजुट करता है'। (Equity --(Equity] Diversity] and Inclusion: Water Unites Us)

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 11 फरवरी, 2015 को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। यूनेस्को की वैश्विक प्राथमिकता लैंगिक समानता है। यह युवा लड़कियों को उनकी शिक्षा में सहायता प्रदान करता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करता है। यूएनजीए का लक्ष्य महिलाओं और लड़कियों के लिए विज्ञान में पूर्ण और समान पहुंच और भागीदारी हासिल करना है। वहीं, इसका लक्ष्य लैंगिक समानता हासिल करते हुए विज्ञान को बढ़ावा देना है।

शोध-अध्ययन ने अहम भूमिका निभायी। वर्ष 1945 में उन्होंने सीडी डार्लिंगटन के साथ मिलकर 'द क्रोमोजोम एटलस ऑफ कल्वर्ड प्लांट्स' नामक पुस्तक लिखी, जिसमें संकरण की प्रक्रिया को बहुत व्यापक रूप में समझाया गया है।

जानकी अम्माल का योगदान केवल शोध-अध्ययन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि आजादी के तुरंत बाद देश से पलायन कर रही वैज्ञानिक प्रतिभाओं को देश में रोकने और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने भारतीय बोर्टेनिकल सोसायटी का पुनर्गठन किया। उन्हें 1957 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाज़ा गया। यह सम्मान पाने वालीं वह देश की पहली महिला वैज्ञानिक थीं। उन्हें सम्मान देते हुए मैगनोलिया नाम के पौधे की एक प्रजाति का नामकरण उनके नाम पर किया गया जिसे मैगनोलिया कोबस जानकी अम्माल के नाम से जानते हैं।

केरल के तेल्लिचेरी में आरम्भिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए अम्माल मद्रास (अब चेन्नई) चली गई, जहां उन्होंने क्वींस मेरी कॉलेज से स्नातक और 1921 में प्रेसीडेंसी कॉलेज से ऑनर्स की उपाधि अर्जित की। अम्माल ने वीमेंस क्रिश्चियन कॉलेज, मद्रास में पढ़ाया। उन्होंने मिशिगन विश्वविद्यालय, अमेरिका में एक बार्बर स्कॉलर के तौर पर कुछ समय प्रवास किया, जहां से उन्होंने 1925 में अपनी स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। मिशिगन विश्वविद्यालय से उन्होंने 1931 में डी.एससी. की उपाधि हासिल की। वे वानस्पतिकी की प्रोफेसर के रूप में लौटीं और महाराजा कॉलेज ऑफ साईंस, त्रिवेन्द्रम में 1930 से 1934 तक अध्यापन किया। इसके बाद साल



1934 से 1939 तक उन्होंने कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान में एक आनुवांशिकी विज्ञानी के रूप में काम किया जिसमें गन्ना और संबंधित घास प्रजातियों पर उनका शोध अपने संबंधित क्षेत्रों में एक बेहद महत्वपूर्ण शोध के रूप में सामने आया। जानकी अम्माल ने उच्च उपज वाले गन्ने की कई हाइब्रिड किस्मों की पहचान की। उनके शोध में क्रॉस-ब्रीडिंग के लिए पौधे की किस्मों का विश्लेषण करना भी शामिल था। यह उनके शानदार कैरियर की शुरुआत थी। हालांकि, इस दौरान उन्हें कई बाधाओं का सामना भी करना पड़ा। जानकी अम्माल को अपने सहकर्मियों से भेदभाव और एक अविवाहित महिला होने के कारण उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ा। हालांकि, वह कभी भी पीछे नहीं हटीं और अपने समय के सबसे प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक के रूप में उभरने के लिए इन चुनौतियों का सामना किया।

अम्माल ने अपना शोध जारी रखने के लिए लंदन का रुख किया और द्वितीय विश्व युद्ध की अराजकता के बीच वर्ष 1940–1945 के दौरान लंदन के जॉन इंस हॉटिंकल्वर इंस्टिट्यूशन में एक असिस्टेंट साइटोलॉजिस्ट के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने साल 1945–1951 के दौरान विस्ले में शाही बागवानी समाज में साइटोलॉजिस्ट के रूप में काम किया। अपने पूरे कैरियर के दौरान जानकी अम्माल ने अपने शोध को अपने मिशन के रूप में रखते हुए कई साहसिक निर्णय लिए और इन्हें पूरा करने के लिए वह जल्द ही चुनौतीपूर्ण माहौल में ढल गई थी।

जानकी अम्माल को सरकारी सेवा में शामिल होने के लिए एक विशेष अधिकारी के रूप में भारत के बॉटनिकल सर्वे के पुनर्गठन के लिए आर्मित्रित किया गया। स्वतंत्र भारत में विज्ञान के उत्थान में मदद करने के लिए, वह विभिन्न भूमिकाओं में सरकारी सेवा में कार्यरत रहीं। उन्होंने इलाहाबाद में केंद्रीय वनस्पति प्रयोगशाला का नेतृत्व किया। वह बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निदेशक रहीं। वे जम्मू और कश्मीर में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला से जुड़ी रहीं और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में भी कुछ समय के लिए कार्य किया। वनस्पति शास्त्र की फाइटोबायोलॉजी, एथनोबॉटनी, फाइटोजियोग्राफी और क्रम विकास अध्ययन में उनके योगदान को याद किया जाता है, जो आज भी शोधार्थियों का मार्गदर्शन कर रहा है।

प्रो. कमला भागवत सोहोनी (18 जून 1911–28 जून 1998)



जैव रसायनज्ञ कमला भागवत सोहोनी विज्ञान के क्षेत्र में पीएचडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थीं, जिन्होंने पोषण और दूध के प्रोटीन पर कार्य किया। उनके संघर्षों ने देश में महिलाओं के लिए विज्ञान में उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। कमला का जन्म 1911 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिता नारायणराव भागवत, एक रसायनज्ञ थे जो भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर (वर्तमान में बंगलुरु) के छात्र थे। कमला ने मुंबई विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में बीएससी की डिग्री प्राप्त की।

उन्होंने खाद्य पदार्थों में मौजूद प्रोटीनों पर काम किया और जैव रसायन में एमएससी की डिग्री हासिल की। डॉ. डेरेक रिक्टर के तहत फ्रेडरिक जी हॉपकिंस प्रयोगशाला में काम करने के लिए उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आमंत्रित किया गया।

वर्ष 1933 में स्नातक में टॉप करने के बाद उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में दाखिले के लिए आवेदन किया। लेकिन संस्थान के पहले भारतीय निदेशक सर सी.वी. रामन ने वर्ष 1934 में उनके आवेदन को इन शब्दों के साथ खारिज कर दिया, “इस इंस्टीट्यूट में आज तक यानी दो दशकों में, कोई भी लड़की दाखिला लेने नहीं आई है; सिर्फ लड़के ही आए हैं। इसलिए लड़कियों को दाखिला देने का रिवाज़ हमारे संस्थान में नहीं है।” यह जवाब पढ़कर कमला तो काफी निराश-हताश हो गई लेकिन उनके पिता इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कहा, “हम बंगलौर जाकर सर रामन से मिलकर अपना पक्ष उनके सामने रखेंगे। मुझे लगता है उनके जैसा नोबेल पुरस्कार पाने वाला वैज्ञानिक, किसी काबिल इंसान के शोध करने के मौके को इस तरह खत्म नहीं करेगा।” कमला अपना विरोध दर्ज कराने और सर रामन को दाखिले के लिए मनाने के लिए बंगलौर गई। उनके मौन सत्याग्रह ने रामन को प्रभावित किया और वह उसे शर्तों के साथ, परिवीक्षा पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए, न कि नियमित उम्मीदवार के रूप में। इस प्रकार कमला हठपूर्वक अपने काम में लग गई।

कमला ने दूध प्रोटीन पर शोध किया। उन्होंने मां, गाय, भैंस, भेड़ और गधी के दूध के प्रोटीन पर अध्ययन किया। इस शोध के दौरान कुछ मज़ेदार निष्कर्ष सामने आए। बच्चों के लिए पाचन के हिसाब से सबसे अच्छा दूध मां का होता है, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पर गाय का नहीं बल्कि गधी का दूध आया। गधी के बाद गाय का दूध, फिर भेड़ का और सबसे आखिर में भैंस के दूध का नंबर आता है। उनके शोध में यह तथ्य भी सामने आया कि यदि गधी के दूध का नॉन-प्रोटीन, भैंस के दूध में मिलाया जाए तो भैंस का दूध भी पाचन में हल्का हो जाता है। इसकी एक वजह है कि दूध के प्रोटीन में कैसिन नामक एक प्रमुख प्रोटीन होता है। विविध पशुओं के दूध में कैसिन के अणु का आकार भी बड़ा-छोटा होता है। यदि कैसिन का अणु बड़ा होगा तो वह पचने में भी भारी होगा। भैंस के दूध में गधी के दूध का नॉन-प्रोटीन मिलाने से भैंस के दूध में कैसिन का आकार छोटा हो जाता है और दूध पाचन के हिसाब से हल्का हो जाता है। कमला ने इस शोध को ‘ह्यूमेनाइजेशन ऑफ बफेलो मिल्क’ नाम दिया। हमारे देश में गधी और भैंस के दूध की उपलब्धता को देखते हुए इस प्रयोग का एक खास स्थान हो सकता था; लेकिन इस काम को बहुत प्रचार न मिल पाने के कारण यह किसी किस्म की हलचल नहीं पैदा कर सका और कमला का शोध प्रयोगशाला में ही दब कर रह गया।

इस शोध का परिणाम यह हुआ कि उनकी मेहनत ने संस्थान के निदेशक रामन को प्रसन्न कर दिया। वह कमला को जैव रसायन में नियमित शोध करने की अनुमति देने के लिए सहमत हुए और महिला शोधकर्ताओं के खिलाफ उस समय के पूर्वाग्रह पर काबू पा



लिया गया। भारतीय विज्ञान संस्थान में, कमला ने दूध-प्रोटीन, दालों और फलियों पर शोध किया, जो औपनिवेशिक भारत में पोषण संबंधी प्रथाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण था। उनके काम की गुणवत्ता ने उन्हें 1937 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति भी दिलाई। नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रेडरिक हॉपकिस उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जैव-रसायन विभाग के प्रभारी थे। कमला ने डॉ. रॉबिन हिल के साथ आलू पर शोध किया और एंजाइम साइटोक्रोम सी को अलग और शुद्ध किया। कमला और रॉबिन हिल द्वारा किए गए शोध को आज "प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया के पहले जैव रसायनिक अध्ययन" के रूप में मान्यता प्राप्त है। उनकी पीएचडी थीसिस केवल 14 महीने में पूरी हुई और यह केवल 40 टंकित पृष्ठों में थी।

कमला 1939 में भारत लौटीं और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली में प्रोफेसर नियुक्त हुईं। बाद में, इसी मेडिकल कॉलेज के नवनिर्मित जैव रसायन विभाग के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। 1947 में उन्होंने एम.वी. सोहोनी, पेशे से सांख्यिकीविद् से विवाह किया और बम्बई आ गई। वे रॉयल साइंस इंस्टीट्यूट, मुम्बई के नवनिर्मित जैव रसायन विभाग में बायोकैमिस्ट्री की प्रोफेसर नियुक्त हुईं और 1964 में संस्थान की निदेशक बनीं। उन्होंने मेधावी छात्रों को शोध के लिए प्रेरित किया। उस समय कुपोषण और भूख झेल रहे नए स्वतंत्र राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक जैव-रसायनिक एवं पोषण अनुसंधान आरंभ हुए। कमला ने 1966 में कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह नौ महिलाओं द्वारा सह-स्थापित भारत का पहला उपभोक्ता संगठन था। इसने 1977 में औपचारिक उत्पाद परीक्षण शुरू किया।

कमला सोहोनी का जीवन उस कठिन संघर्ष का एक ज्वलंत उदाहरण है, जिसका सामना अग्रणी महिला वैज्ञानिकों को अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार करना पड़ता था। उनकी उपलब्धियों ने लैंगिक असमानता के विरुद्ध महिला वैज्ञानिकों को एक मज़बूत सुरक्षा कवच प्रदान किया। 1998 में, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की पहली महिला महानिदेशक डॉ. सत्यवती ने डॉ. कमला सोहोनी को सम्मानित किया, जो उस समय 84 वर्ष की थीं। कमला सोहोनी समारोह के दौरान गिर गईं और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें 'नीरा' पेय पर अपने काम के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया जोकि कुपोषित बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन है।

डॉ. अन्ना मोदयिल मणि (23 अगस्त 1918–16 अगस्त 2001)

किसी भी देश की कृषि व्यवस्था बहुत हद तक मौसम विज्ञान की भविष्यवाणियों पर आश्रित होती है। आज भारत का मौसम विज्ञान विभाग मौसम की जो स्टीक भविष्यवाणी करने में सक्षम है, उसका श्रेय जाता है महिला



भौतिकशास्त्री अन्ना मोदयिल मणि को, जो अन्ना मणि के नाम से सुविख्यात हैं। 23 अगस्त, 1918 को त्रावणकोर (केरल) में जन्मी अन्ना मणि ने देश में मौसम विज्ञान से जुड़े अनेक उपकरणों के विकास में योगदान दिया जिनकी वजह से आज हमें मौसम की स्टीक जानकारी और भविष्यवाणियां मिलती हैं। अन्ना ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में कलर्क के पद से शुरूआत की और डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद तक पहुंची।

अन्ना मणि ने पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों को बचाने में ओज़ोन परत की भूमिका पर कार्य किया। यह अन्ना की वजह से संभव हुआ कि भारत दुनिया के उन शीर्ष पांच देशों में शामिल हो सका, जिनके पास ओज़ोन-सोंड उपलब्ध था। ओज़ोन-सोंड एक मौसम विज्ञान उपकरण है जो गुब्बारे में ऊपर ले जाया जाता है। यह ओज़ोन और अन्य गैसों की वायुमंडलीय सघनता को मापता है और रेडियो द्वारा डाटा प्रसारित करता है। भारत के ओज़ोन-सोंड ने विश्वसनीय डाटा उत्पन्न करने और ओज़ोन की मौसमी और भौगोलिक भिन्नता की स्पष्ट तस्वीर स्थापित करने में वैश्विक ख्याति प्राप्त की। ओज़ोन क्षेत्र में असाधारण योगदान के कारण अन्ना को अंतर्राष्ट्रीय ओज़ोन आयोग का सदस्य बनाया गया। जब विश्व में वैकल्पिक ऊर्जा पर केवल सोच-विचार चल रहा था, अन्ना ने भारत में सौर और पवन ऊर्जा पर काम किया। उन्होंने एक उष्ण कटिबंधीय देश के रूप में भारत के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा की क्षमता पर शोध किया और इसके मौसमी और भौगोलिक वितरण पर डाटा तैयार किया। उन्होंने पवन ऊर्जा के दोहन पर भी काम किया।

उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान-बंगलौर में शोध के लिए छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक सर सी. वी. रामन की प्रयोगशाला में तीन वर्ष शोध कार्य करने के बाद उन्हें 1945 में इंग्लैंड में मौसम संबंधी उपकरणों के विकास पर काम करने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। इंग्लैंड पहुंचने पर, उन्होंने ब्रिटिश मौसम विज्ञान कार्यालय के उपकरण प्रभाग में काम किया। उन्होंने मौसम उपकरणों के विकास और उनके अंशांकन और मानकीकरण प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। 1948 में, अन्ना मणि भारत लौट आईं और मौसम विज्ञानी के रूप में पुणे में आईएमडी के उपकरण प्रभाग में शामिल हो गई। इसके बाद उन्होंने वर्षा गेज, वाष्पीमीटर, थर्मामीटर, एनीमोमीटर, पवन वाल्व और अन्य मौसम संबंधी उपकरणों का उत्पादन करने के लिए एक कार्यशाला की स्थापना की। उन्होंने सौ से अधिक मौसम विज्ञान उपकरणों के लिए तकनीकी नियमावली का मानकीकरण किया।

अन्ना को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। परम्परा के अनुसार अन्ना के माता-पिता ने जब 8वें जन्मदिन पर उन्हें गहने देने की पेशकश की तो उन्होंने गहने की जगह एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका उपहार में मांगा। एक बार गांधी जी अन्ना के शहर आए। अन्ना गांधी जी से बहुत प्रभावित हुईं और उसी दिन से अन्ना ने खादी पहनने की कसम खा ली।

वर्तमान में विज्ञान से विकास को दिशा देतीं महिला वैज्ञानिक

डॉ. टेसी थॉमस



‘मिसाइल वुमन’ के नाम से सुविख्यात टेसी थॉमस रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वैमानिकी प्रणालियों की महानिदेशक और अग्नि-IV मिसाइल की पूर्व परियोजना निदेशक हैं। वह भारत में मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक हैं। टेसी थॉमस का जन्म, अप्रैल 1963 में केरल के अलप्पुझा प्रांत में हुआ। तीन दशकों तक मिसाइल कार्यक्रम में कार्यरत टेसी का मिसाइल डिज़ाइन में अहम योगदान है। उन्होंने लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियों के लिए मार्गदर्शन योजना तैयार की, जिसका उपयोग सभी अग्नि मिसाइलों में किया जाता है। उन्होंने इंजीनियरिंग में स्नातक स्तर की पढ़ाई थ्रिसूर के सरकारी अभियांत्रिकी कॉलेज से की। इंस्टीट्यूट ऑफ आरमार्मेंट टेक्नोलॉजी, पुणे से एम. टेक किया और डीआरडीओ प्रयोगशाला से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्हें 2001 में अग्नि आत्मनिर्भरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह कई फैलोशिप और मानद डॉक्टरेट से भी सम्मानित की गई हैं।

इ. ऋतु करिधाल

चंद्रयान-2 मिशन के मिशन निदेशक के रूप में, ऋतु करिधाल भारत की सबसे महत्वाकांक्षी चंद्र परियोजना में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। ‘रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया’ के नाम से मशहूर ऋतु वर्ष 2007 में ‘इसरो’ में शामिल हुई और भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान की उप संचालन निदेशक भी रही। 13 अप्रैल 1975 को लखनऊ के एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मी ऋतु ने लखनऊ विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। 2007 में, उन्हें भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने ‘इसरो यंग साइंटिस्ट अवार्ड’ से सम्मानित किया। ऋतु ने अंतरिक्ष परियोजनाओं के लिए प्रभावी एवं किफायती तकनीकों को विकसित करने में अहम योगदान दिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के 2019 के वार्षिक दीक्षांत समारोह में उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया।

इ. मुथैया वनिता

मुथैया वनिता चंद्रयान-2 की परियोजना निदेशक हैं। वह इसरो में अंतर-मिशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। 2 अगस्त, 1964 में जन्मीं वनिता मूल रूप से चेन्नई की निवासी हैं। उन्हें मिशन के एसोसिएट निदेशक से परियोजना निदेशक

तक पदोन्नत किया गया। वनिता इंजीनियरिंग कॉलेज, गिंडी से इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम इंजीनियर हैं। तीन दशक से अधिक समय से इसरो में कार्यरत वनिता ने अपना कैरियर हार्डवेयर परीक्षण और विकास में एक कनिष्ठ अभियंता के रूप में आरंभ किया और आगे बढ़ती गई। इसरो सेटेलाइट सेंटर के डिजिटल सिस्टम ग्रुप में टेलीमेट्री और टेलकमांड डिवीजनों का नेतृत्व करने के लिए वनिता कई भूमिकाओं में नजर आई। कार्टोसैट-1, ओशनसैट-2 और मेघा-ट्रॉपिक्स सहित कई उपग्रहों के लिए उप परियोजना निदेशक भी रहीं। इससे पहले वह सुदूर संवेदन उपग्रहों के लिए डाटा ऑपरेशन भी प्रबंधित कर चुकी हैं। साल 2006 में, उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला वैज्ञानिक पुरस्कार से नवाज़ा जा चुका है।

डॉ. मंगला मणि

इसरो की ‘पोलर वुमन’ नाम से प्रसिद्ध मंगला मणि अंटार्कटिका के बर्फीले परिदृश्य में एक वर्ष से अधिक समय बिताने वाली इसरो की पहली महिला वैज्ञानिक हैं। उल्लेखनीय है कि इस मिशन पर जाने से पहले उन्होंने कभी बर्फबारी का भी अनुभव नहीं किया था। अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान स्टेशन भारती में इसरो के ग्राउंड स्टेशन के संचालन और अन्य कार्यों के लिए मंगला ने 403 दिन बिताए। 56 वर्ष की आयु में मंगला नवंबर 2016 में अंटार्कटिका जाने वाली 23 सदस्यीय टीम की एकमात्र महिला सदस्य थीं। वास्तव में अंटार्कटिका जैसे अभियानों को भी हमेशा से पुरुषों का क्षेत्र ही माना

**नए भारत में
महिलाओं की उपलब्धियां**

निर्णायिक व उल्लेखनीय उपलब्धि

डॉ. मंगला मणि ने अंटार्कटिका में 403 दिन बिताए

रामानुजन पुरस्कार 2021 से लम्बागित बीना गुप्ता को बीजगणितीय व्यायामिति में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया

ऋतु करिधाल और वनिता मुथैया ने क्रमशः मिशन निदेशक और परियोजना निदेशक की भूमिका में चंद्रयान 2 मिशन का सफल संचालन किया।



गया है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव जैसे अत्यंत दुरुह हालात में महिलाओं को परंपरागत रूप से कमतर ही आंका गया है। ऐसे में मंगला मणि का अंटार्कटिका पर इतना लंबा प्रवास निश्चित रूप से एक अनुकरणीय उदाहरण है।

डॉ. गगनदीप कांग



गगनदीप कांग ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (टीएचएसटीआई), फरीदाबाद की कार्यकारी निदेशक रही हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण-पूर्व एशिया के टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया है। वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग को भारत की 'वैक्सीन गॉडमदर' के रूप में ख्याति मिली है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान सलाहकार वैज्ञानिक के रूप में उनकी विशेष भूमिका रही। 3 नवंबर, 1962 को शिमला में जन्मी गगनदीप विज्ञान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने वाले विश्व के सबसे पुराने वैज्ञानिक संस्थान 'वैज्ञानिक रॉयल सोसाइटी' द्वारा फेलो के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक हैं। कांग ने 1990 के दशक में भारत में डायरिया जैसे रोगों और पब्लिक हेल्थ पर कार्य किया है। भारत में रोटावायरस महामारी पर शोध और उसके लिए बनाई गई वैक्सीन में उनका सराहनीय योगदान

डॉ. असीमा चैटर्जी (23 सितम्बर 1917– 22 नवम्बर 2006)



यदि अन्ना मणि उच्च कोटि की भौतिकशास्त्री थीं तो यही उपाधि रसायन शास्त्र के क्षेत्र में असीमा चैटर्जी को निर्विवाद रूप से दी जा सकती है। वर्ष 1917 में कलकत्ता के एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मी असीमा चैटर्जी ने विन्का एल्कोलाइझर पर उल्लेखनीय काम किया, जिसका उपयोग मौजूदा दौर में कैंसर की दवाएं बनाने में किया जाता है। उनकी तमाम खोजों से वनस्पतियों को भी बहुत लाभ पहुंचा। उन्होंने कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फाइटोमेडिसिन खासकर औषधीय पौधों के क्षेत्र में शानदार शोध उपलब्धियां हासिल की। अपने शोधों के ज़रिए उन्होंने मिर्गी और मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए कारगर नुस्खे विकसित किए, जिन्हें आज भी दवा कम्पनियां बेच रही हैं।

असीमा चैटर्जी ने 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से जैव-रसायन विज्ञान में मास्टर की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की, और 1944 में डॉक्टरेट की डिग्री पूरी की। वह रसायन विज्ञान विभाग के संरथापक प्रमुख के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय के लेडी ब्रेबोर्न कॉलेज में नियुक्त हुई। उन्होंने पौध उत्पादों और कृत्रिम जैविक रसायन विज्ञान विषय पर अपना डॉक्टरेट अनुसंधान पूर्ण किया। असीमा

है। रोटावायरस पर उनके द्वारा किए गए गहन शोध से देश में इस बीमारी की गंभीरता, वायरस की आनुवंशिक विविधता, संक्रमण और टीकों में बेहतरी को बल मिला है। उन्हें 2016 में लाइफ साइंस में प्रतिष्ठित इन्फोसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

डॉ. चंद्रिमा शाह



1952 में जन्मीं चंद्रिमा शाह एक जीवविज्ञानी और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। चंद्रिमा पहली बार 2008 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी फेलो चुनी गई। वर्ष 2016 और 2018 के बीच उन्होंने अकादमी उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह कोशिका जीव विज्ञान में सिद्धहस्त हैं और 'लीशमैनिया' परजीवी के बारे में उन्होंने व्यापक शोध किया है जो 'काला अज्ञात' का कारण बनता है। उन्हें आईसीएमआर के शकुंतला अमीरचंद पुरस्कार (1992) और डीएनए डबल हेलिक्स डिस्कवरी की 50वीं वर्षगांठ के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक वैज्ञानिक के रूप में उन्हें समाजिक तौर पर संघर्ष करना पड़ा था। उनके कैरियर के शुरुआती दिनों में पुरुष सहकर्मियों द्वारा एक महिला वैज्ञानिक को नज़रअंदाज किया जाता था। इस बात ने उन्हें अकेले कार्य करने और स्वयं को स्थापित करने की प्रेरणा दी।

ने अपने शोध को प्राकृतिक उत्पादों के रसायन विज्ञान पर केंद्रित किया। उन्होंने मारसीलिया माइनुटा नाम की एंटी एपिलैप्टिक दवा का निर्माण किया और इसके परिणामस्वरूप मलेरियारेधी और कीमोथेरेपी दवाओं का विकास हुआ। उनकी दवा भारत में मलेरिया नियंत्रण में कामयाब रही है। उन्होंने विभिन्न अल्कोलॉइड यौगिकों पर शोध करते हुए लगभग चालीस वर्ष बिताए। असीमा चैटर्जी ने लगभग 400 पत्र भी लिखे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए।

रसायनशास्त्र में उनके इस योगदान के लिए वर्ष 1962 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन्हें सी.वी. रामन पुरस्कार से नवाजा। वर्ष 1975 में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। वर्ष 1982 से 1990 तक उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया। मिर्गी से लेकर मलेरिया जैसी बीमारियों में उनके फॉर्मूले पर बनी दवाएं आज भी लोगों को राहत पहुंचा रही हैं।



डॉ. कमल रणदिवे (8 नवम्बर 1917– 11 अप्रैल 2001)

जीव वैज्ञानिक कमल रणदिवे को विज्ञान के प्रति लगाव पुणे के विद्यालय फर्ग्युसन कॉलेज में अपने प्रोफेसर पिता दिनेश दत्तात्रेय समर्थ से विरासत में मिला। देश में कैंसर के उपचार की व्यवस्था को शुरू करने में उनका अहम योगदान माना



भारतीय महिला वैज्ञानिकों की जीवनगाथा छात्राओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। आज आवश्यकता है कि देश की छात्राएं विज्ञान के शोध—अनुसंधान में आगे आएं और देश के विकास में भागीदार बनें। छात्राओं और महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अध्ययन एवं करियर के तमाम अवसर देश में उपलब्ध हैं जिसकी जानकारी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की विभिन्न वेबसाइट पर उपलब्ध है। कुछ जानकारी इस वेबसाइट से भी ली जा सकती है — <https://www.indiascienceandtechnology.gov.in>

जाता है। अमेरिका के प्रतिष्ठित जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के बाद वह भारतीय कैंसर शोध केंद्र से जुड़ गई, जहां उन्होंने कोशिका कल्चर का अध्ययन किया। कमल ने शुरुआती दौर में कैंसर पर कई शोध किए। वास्तव में, स्तन कैंसर की घटना और आनुवांशिकता के बीच संबंध का प्रस्ताव रखने वाली वह पहली वैज्ञानिक थीं। इस बात की पुष्टि बाद में कई शोधकर्ताओं ने भी की। चूहों पर प्रयोग से उन्होंने कैंसर प्रतिरोधी किस्म विकसित की। इससे उन्हें कुष्ट रोग का टीका विकसित करने की दिशा में कुछ अहम सुराग मिले। कुष्ट रोग निवारण के क्षेत्र में काम के लिए ही उन्हें वर्ष 1982 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

1934 में अपनी कॉलेज की शिक्षा फर्ग्युसन कॉलेज से पूरी करने के बाद उन्होंने पुणे के कृषि कॉलेज से साइटोजेनेटिक्स विषय के साथ मास्टर डिग्री हासिल की। 1949 में, उन्होंने इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर, बम्बई में एक शोधकर्ता के रूप में काम करते हुए कोशिकाओं के अध्ययन में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए में जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में फेलोशिप के बाद वे इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर, मुम्बई लौट आईं। 1960 के दशक में उन्होंने मुम्बई में इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर में भारत की प्रथम टिश्यू कल्चर रिसर्च लेबोरेट्री की स्थापना की। कमल का योगदान केवल शोध और अनुसंधान तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने आने वाली पीढ़ी की महिलाओं में वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करने के उद्देश्य से भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ की स्थापना भी की।

प्रो. इंदिरा नाथ (14 जनवरी 1938–24 अक्टूबर 2021)



कभी कुष्ट रोग या लेप्रसी को ईश्वर का अभिशाप माना जाता था। कुष्ट रोग देश में एक पुरानी संक्रामक बीमारी थी जो त्वचा, आंखों, नाक और मांसपेशियों को प्रभावित करती थी और तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाती थी। भारत में कुष्ट रोग निवारण में विश्व-प्रसिद्ध कुष्ट रोग विशेषज्ञ और प्रतिरक्षाविज्ञानी इंदिरा नाथ का नाम प्रमुखता से शामिल है। इंदिरा नाथ एम्स, नई दिल्ली की स्नातक छात्रा के रूप में अपने शिक्षक के साथ नियमित रूप से एक कुष्ट रोग समुदाय का दौरा करने के लिए जाती थीं। यहां पर उन्होंने कुष्ट रोगियों के प्रति सामाजिक अन्याय और पूर्वाग्रहों को नजदीक से देखा जो उनकी बीमारी से भी ज्यादा गंभीर थे। बीमारी से पीड़ित लोगों

को "कोढ़ी" कहकर समाज से बहिष्कृत और तिरस्कृत किया जाता था। उन अनुभवों ने उन्हें कुष्ट रोग और अन्य संचारी रोगों में अनुसंधान के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। 1970 के दशक के दौरान, भारत में विश्व के सर्वाधिक 45 लाख कुष्ट रोगी थे।

इंदिरा ने एम्स, नई दिल्ली से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की। एम्स से ही पीएचडी पूरी करने के बाद, वह नफिल्ड फार्डेशन फेलोशिप के साथ यूके चली गई। उन्होंने लंदन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च में काम किया। यहां पर कुष्ट रोग पर अध्ययन के साथ संक्रामक रोगों के प्रतिरक्षा विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त की। भारत लौटकर, वह एम्स में जैव रसायन विभाग में शामिल हो गई। उस समय एम्स में प्रतिरक्षा विज्ञान (इम्यूनोलॉजी) पर अनुसंधान आरंभ ही हुआ था। इसके बाद, वह पैथोलॉजी विभाग में शामिल हो गई और अंततः 1986 में एम्स में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की। वह 1998 में सेवानिवृत्त हुई, लेकिन 2003 तक प्रतिष्ठित इंडियन नेशनल साइंस अकादमी—एस.एन. बोस रिसर्च प्रोफेसर के रूप में एम्स में कार्य करती रहीं। मलेशिया में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रमुख के रूप में अपने संक्षिप्त कार्यकाल के बाद उन्होंने 2008 में हैदराबाद में लेप्रा सोसाइटी ब्लू पीटर रिसर्च सेंटर के निदेशक के रूप में कार्य किया। 2009 में वे नई दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी में एमेरिट्स प्रोफेसर और राजा रमना फेलो के रूप में शामिल हुईं।

अपने शोध में, इंदिरा नाथ ने कुष्ट रोग में कोशिकीय प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं और तंत्रिका क्षति पर अध्ययन किया। आज कुष्ट रोग का इलाज बहु-ओषधीय चिकित्सा से किया जाता है, लेकिन पहले, एंटीबायोटिक डैप्सोन एकमात्र प्रभावी चिकित्सा थी जिससे कुष्ट रोगी को ठीक होने में कई साल लग जाते थे। इसलिए एक प्रभावी उपचार तैयार करने के लिए प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का अध्ययन करना महत्वपूर्ण था। अपने शोध में उन्होंने कुष्ट रोगियों के शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को निष्क्रिय करने में नियामक कोशिकाओं की भूमिका का पता लगाया जिससे कि शरीर रोगकारक बैक्टीरिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। इसमें उन्होंने बैक्टीरिया के एलएसआर 2 जीन की पहचान भी की जो कुष्ट रोग के लिए जिम्मेदार थे। उनके शोध ने नैदानिक जांच के लिए बेहतर प्रतिरक्षा चिकित्सा और नैदानिक उपकरणों में योगदान दिया।

इंदिरा नाथ को कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ भारत सरकार द्वारा पदमश्री से सम्मानित किया गया और विज्ञान में महिलाओं के लिए लोरियल—यूनेस्को पुरस्कार और साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति से शेरेलियर ले ऑर्डे नेशनल डू मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रोफेसर इंदिरा नाथ जैसे वैज्ञानिकों के प्रयासों की बदौलत कुष्ट अब भारत में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या नहीं है। 2005 में भारत कुष्ट रोग के उन्मूलन के स्तर पर पहुंच गया था, इसकी संख्या प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 से कम थी। (लेखक भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं एवं विज्ञान संचार के कार्यक्रमों से जुड़े हैं।)

ई-मेल : nkapoor@vigyanprasar.gov.in

अब उपलब्ध



संकलन 2021

योजना (अंग्रेजी)



जनवरी–दिसंबर 2021
मूल्य : ₹300/-

कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी)



जनवरी–दिसंबर 2021
मूल्य : ₹300/-*

आजकल



जनवरी–दिसंबर 2021
मूल्य : ₹300/-*


*कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी) और आजकल (हिंदी) के छमाही संकलन (जुलाई से दिसंबर 2021) भी उपलब्ध हैं।
प्रत्येक छमाही संकलन का मूल्य 150 रुपये है।

प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

संकलन ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।
ऑर्डर के लिए कृपया संपर्क करें : फोन : 011-24365609, ईमेल : businesswng@gmail.com

वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in



पंचायती राज में महिलाएं

—अरुण तिवारी

राज्य व केंद्र की राजनीति में महिलाओं का बढ़ता हस्तक्षेप, पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता व सक्रियता का भी एक परिणाम है। इसका प्रभाव शेष महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास के रूप में सामने आ रहा है। तमाम अड़चनों के बावजूद, मिले अवसर को अपने और अपने गांव—समाज के उत्थान की ललक व कोशिशों महिला पंचायत प्रतिनिधियों में दिखाई देने लगी हैं। सार्वजनिक हित के मुद्दों पर डट जाने के उदाहरणों की भी अब कमी नहीं है। तमाम रिपोर्टें बताती हैं कि कैसे कई मिथक टूट रहे हैं। स्वयंसहायता समूहों की सफलताओं की हज़ारों कहानियां मिले अवसर, जागृति व हौंसले के बल पर ही लिखी जा रही हैं। मनरेगा कार्यों में महिला मेट की नियुक्तियों के नतीजे सकारात्मक हैं। कोविड संकटकाल में पंचायत प्रतिनिधि के रूप में महिलाओं की भूमिका का महत्व उभरकर सामने आया है।

महाराष्ट्र — ज़िला पुणे, तालुका बारामती, गांव निम्बुट। महिलाएं चुनाव में खड़े होने से हिचक रही थीं। कमलाबाई कांकणे ने सवाल उछाला,

“डरना क्यों? हम महिलाएं घर चला सकती हैं, तो पंचायत क्यों नहीं?”

खुले आम उछाले इस सवाल ने चमत्कार कर दिया। चुनाव हुआ। निम्बुट में पहली सर्व महिला पंचायत बनी। पंचायती महिलाएं दीया—लालटेन वाले अपने गांव में बिजली की मंजूरी ले आईं। पंचायत भवन बना, स्कूल बना, महिला—पुरुष सभी ने औपचारिक शिक्षा के अवसर का भरपूर लाभ उठाया। महिलाएं, आम सभा का खास स्वर बनकर उभरीं। तालुका भर में चर्चा का विषय बनीं। प्रेरणा ने पंख फैलाए। दूसरी ग्राम पंचायतों की महिलाएं भी चुनाव में उम्मीदवारी के लिए आगे आईं।

यह बात 1963 से 1968 के पंचवर्षीय कार्यकाल की है। आज वर्ष 2022 में भारत में महिला पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 15 लाख है। पहली लोकसभा में 24 महिला सांसद थीं; आज 16वीं लोकसभा में 68 हैं। पहली राज्यसभा में 15 महिला सांसद थीं; आज 29 हैं। वर्ष 2022 के हाल के चुनाव नतीजों ने 60 सदस्यीय मणिपुर

विधानसभा के इतिहास में महिला विधायकों की संख्या को पहली बार पांच पर पहुंचा दिया है। एक राष्ट्रीय दल द्वारा उत्तर प्रदेश चुनाव—2022 में 40 प्रतिशत उम्मीदवारी महिलाओं को दी गई। झारखण्ड में 24 ज़िला परिषद हैं। इनमें से 18 की अध्यक्ष महिलाएं हैं। ऐसे अनेक उक्त आंकड़ों और सुश्री मायावती, ममता बैनर्जी, स्मृति ईरानी जैसी गैर—राजनीतिक परिवारों से आने वाली अनेक महिला जनप्रतिनिधियों को सामने रखकर यह कह सकते हैं कि महिलाएं घर चला सकती हैं तो पार्टी, पंचायत, प्रदेश और देश क्यों नहीं? यह दावा... यह सोच अपने आप में प्रमाण है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सहभागिता और सक्रियता ने भारतीय महिलाओं के हौंसले बुलंद किए हैं।

सहभागिता बढ़ी, प्रभाव बढ़ा

सबसे बड़ी बेहतरी तो यह कि वोट देने वाली महिलाओं की वृद्धि दर, पुरुषों की तुलना में लगातार बढ़ रही है। 1962 में पहली बार महिला—पुरुष मतदाताओं के आंकड़े अलग—अलग प्रदान किए गए। 1962 में हुए कुल मतदान में 63.31 प्रतिशत पुरुष और 46.63 प्रतिशत महिला मतदान था। 2019, 2020, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत... किसी भी चुनाव के आंकड़े देख लीजिए; सिर्फ वृद्धि दर





नहीं, वर्ष 2022 के चुनावों में तो उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर में मतदान करने वालों की कुल संख्या में भी महिलाएं, पुरुषों से आगे निकल गई हैं। सिर्फ पंजाब में महिला मतदान प्रतिशत, पुरुषों से थोड़ा कम (मात्र 0.08 प्रतिशत कम) रहा है।

सीएसडीएस द्वारा किए गए वर्ष 2014 चुनाव सर्वेक्षण का आकलन था कि 70 प्रतिशत महिला मतदाता अब यह खुद तय करने लगी हैं कि वे अपना वोट किसे दें। महिला वोट और सोच का प्रभाव भी अब दिखने लगा है। सीएसडीएस के मुताबिक, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और प. बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की एकत्रफा जीत में सबसे बड़ी भूमिका महिला मतदाताओं ने निभाई। उ.प्र. चुनाव 2022 के ताजा नतीजों को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट भी महिला मतदाताओं को प्रभावी बता रही है।

आत्मविश्वास बढ़ा

हम दावा कर सकते हैं कि संविधानिक भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में महिला सहभागिता और सक्रियता की यह रफ्तार धीमी ज़रूर है, लेकिन निष्प्रभावी नहीं। सच कहें तो भारतीय महिलाएं विश्व और लोकतंत्र, दोनों को प्रभावित व पुष्ट करने वाली साबित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में महिला प्रधान को रबर स्टेम्प साबित करने वाले किस्से भले ही सच हों, भले ही कहा जा रहा हो कि पंचायत प्रतिनिधि बनकर महिलाएं बहुत कुछ बेहतर नहीं कर सकी हैं; न्याय पंचायतों की न्यायिक भूमिका में महिलाओं की सक्षमता अभी व्यापक रूप से उभरकर सामने न आई हो; किंतु कुलजमा तस्वीर इतनी नहीं है।

राज्य व केंद्र की राजनीति में महिलाओं का बढ़ता हस्तक्षेप पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता व सक्रियता का भी एक परिणाम है। इसका प्रभाव शेष महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास के रूप में सामने आ रहा है। तमाम अड़चनों के बावजूद, मिले अवसर को अपने और अपने गांव-समाज के उत्थान की ललक व कोशिशें महिला पंचायत प्रतिनिधियों में दिखाई देने लगी हैं। सार्वजनिक हित के मुद्दों पर डट जाने के उदाहरणों की भी अब कमी नहीं है। तमाम रिपोर्टें बताती हैं कि कैसे कई मिथक टूट रहे हैं। पर्दानशी महिलाएं भी सार्वजनिक बैठकों में भाग ले रही हैं। वे स्त्री-पुरुष संबंध, शिक्षा, रोज़गार, दहेज, टीकाकरण, बायोगैस, जैविक खेती के तौर-तरीकों तथा मंडी भाव जैसे मसलों पर चर्चा कर रही हैं। पंचायती काम में बचत के रास्ते सुझा रही हैं। भ्रष्टाचार और विभेद के प्रति प्रतिकार जता रही हैं। स्वयंसहायता समूहों की सफलताओं की हजारों कहानियां मिले अवसर, जागृति व हौसले के बल पर ही लिखी जा रही हैं। मनरेगा कार्यों में महिला मेट की नियुक्तियों के नतीजे सकारात्मक हैं। कोविड संकटकाल में पंचायत प्रतिनिधि के रूप में महिलाओं की भूमिका का महत्व उभरकर सामने आया है।

संवैधानिक पहल

इस सब में सरकारी व स्वयंसेवी प्रयासों तथा शिक्षण-प्रशिक्षण की भूमिका तो सराहनीय है ही, सबसे बड़ी भूमिका है भारतीय संविधान

की। संविधान प्रदत्त मौलिक आधार स्त्री-पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करते। 'पेसा' नामक कानून आदिवासी व अनुसूचित जाति-जनजाति क्षेत्रों के सामुदायिक अस्तित्व को बचाकर रखने वाला साबित हुआ है। 73वां व 74वां संविधान संशोधन स्त्रियों को भेदभाव से उबरने का एक विशेष अवसर प्रदान करते हैं।

73वें व 74वें संविधान संशोधन से पहले भारत में द्वि-स्तरीय सरकारें थीं; संघ सरकार और राज्य सरकार। मूल संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों को स्वशासन इकाई के रूप में प्रतिस्थापित करने का निर्देश भी था। किंतु उस निर्देश की पालना हुई अप्रैल 1993 में 73वें संविधान संशोधन प्रस्ताव मंजूर कर लिए जाने के बाद। 73वें संविधान संशोधन के बाद भारत के साढ़े छह लाख गांवों में तीसरे स्तर की ढाई लाख सरकारों के अस्तित्व में आने का मार्ग प्रशस्त हुआ। 73वें व 74वें संविधान संशोधन ने राज्यों को अवसर दिया कि वे क्रमशः ग्राम पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को 'सेल्फ गवर्नमेंट' का वैधानिक दर्जा प्रदान कर सकें और एक-तिहाई आरक्षण देकर इनमें महिलाओं को सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर दें।

आरक्षण

हालांकि श्री जी.के.वी. राव समिति ने 1985 में ही पंचायतों में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की सिफारिश कर दी थी; 1980 के दशक के एक अन्य संशोधन में उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायतों के 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए थे; किंतु संविधान संशोधन ने अवसर को व्यापकता प्रदान की। बिहार सरकार ने 33 प्रतिशत को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का हौसला दिखाया। उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश ने भी इस राह पर कदम बढ़ाए। राज्यों के अनुभवों को देखते हुए भारत सरकार ने एक और संविधान संशोधन प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया। वर्ष 2009 में संविधान के अनुच्छेद 243(ली) में संशोधन करके नगालैंड, मेघालय, मिज़ोरम, असम के आदिवासी क्षेत्रों, त्रिपुरा व मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में महिला आरक्षण को 50 प्रतिशत तक लागू करना सुनिश्चित किया गया। यह बड़ी हुई आरक्षण सीमा सीधे निर्वाचित पदों, पंचायत अध्यक्ष, तथा आदिवासी, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों की पंचायतों पर भी लागू होना तय हुआ। पुरुष प्रधान मानसिकता के बीच यह निर्णय कितना मुश्किल और असाधारण रहा होगा; किंतु हुआ। इससे समता हासिल करने के अवसर और बढ़े।

आरक्षण अवसर दे सकता है, किंतु सक्षमता तो खुद के संकल्प से ही हासिल होती है। किंतु धूंधट वाली जिन महिलाओं ने कभी घर अथवा गांव की दहलीज न लांघी हो, क्या पंचायत की सार्वजनिक जिम्मेदारी निभाना इतना आसान होता है? ज़मीनी अनुभव दिखाते हैं कि कई दिक्षितें आज भी व्यापक पैमाने पर मौजूद हैं।

चुनौतियाँ

महाराष्ट्र में महिला पंचायत प्रतिनिधियों को संगठित कर कार्य कर रहे एक कार्यकर्ता का अनुभव सुनिए,

“चुने जाने और पद पर यथासम्भव अच्छा कार्य करने के बावजूद

सह जीवन और सह-अस्तित्व

आज हम संस्कृति और सभ्यता के उस कालखंड में पहुंच गए हैं, जहां स्त्री-पुरुष संबंध को साहचर्य से ज्यादा, प्रतिद्वंद्वी भाव से देखा, परखा और तोला जाने लगा है। प्रतिद्वंदिता का यह भाव आज अतिवादिता के उस स्तर पर पहुंच गया है, जहां हर रोज़ महिला, उत्पीड़न की कोई-न-कोई शिकायत पर थाना-कचहरी पहुंच रही है; गरीब-गुरबा, अनपढ़ ही नहीं, संपन्न और उच्च शिक्षा प्राप्त परिवारों से भी। स्थिति यह कि हमें इसके लिए महिला पुलिस, महिला थाना, मध्यस्थता एकांशों का गठन करना पड़ा है। दूसरी ओर, स्त्री पीड़ित पति मंच बनने लगे हैं। दुनिया के अधिकांश पुरुष एक बार फिर से खुले आम यह ऐलान करने लगे हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। केरल के नायर समुदाय के मातृवंशात्मक चरित्र को भेदभावपूर्ण मानते हुए 1925 में एक कानून द्वारा बदल दिया गया। आज शिलांग की गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां भारत की एकमात्र शेष मातृवंशात्मक समुदाय हैं। सेयम और मैथशाफ़ॉना

संस्था अपने समुदाय के इस मातृवंशात्मक चरित्र के खिलाफ गत 30 वर्षों से आवाज़ उठा रही है। मातृवंशात्मकता के खिलाफ उठती इन आवाज़ों में निहित आकांक्षाएं, मातृ सशक्तीकरण के समक्ष चुनौतियां पेश कर रही हैं। हमें यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि जैसे-जैसे अलग-अलग अस्तित्व, पहचान व सुविधाओं की चाहत, पूरी तरह निजी लाभ का लालच तथा दूसरों पर कब्ज़ा करने का साम्राज्यवादी चरित्र बढ़ते जाएंगे, यह अतिवादिता बढ़ती जाएगी। लिंग-आधारित सशक्तीकरण की होड़ भी बढ़ती ही जाएगी। जीत होगी, हार होगी, लेकिन संबंधों में सद्भाव नहीं होगा।

समाधान क्या है?

समाधान है कि हम सदैव याद रखें कि हम स्त्री-पुरुष की दैहिक भिन्नता सिर्फ गुणसूत्रों के सम-विषम हो जाने का परिणाम है; वरन् दोनों युग्मजा हैं। दोनों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। स्त्री-पुरुष ही क्यों, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का एक गृह हमारी पृथ्वी तथा पृथ्वी की सम्पूर्ण प्रकृति के प्रत्येक अंश का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। प्रत्येक अंश अन्योन्याश्रित है। सूक्ष्म भौतिकी की आधुनिकतम खोजें यही बताती हैं।

श्री, वाक्य नरीणां, स्मृतिमेधा, धृति, क्षमा अर्थात् श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धैर्य और क्षमा को नारी को उसके प्रकृतिप्रदत्त गुण कहा गया है। शारीरिक बल, निडरता, मुखरता, निर्णय, संरक्षण—पौरुष के प्रतीक हैं। ऐसे ही गुणों के नाते स्त्री-पुरुष को एक-दूसरे का पूरक कहा गया है। विवाह-पूर्व कुण्डलियों के मिलान का उद्देश्य एक-दूसरे को पुष्ट करने वाले ऐसे गुणों का मिलान ही तो है। गठबंधन, सात फेरों के दौरान कुछ में स्त्री व कुछ में पुरुष का आगे चलना, हर दुख-सुख में एक-दूसरे के साथ व संरक्षण का संकल्प; आखिरकार ये सब वर-वधू में एक-दूसरे को पुष्ट करने के भावों से भर देने की तो प्रक्रिया है। अध्यात्म और समाजशास्त्री इसे सहजीवन और सह-अस्तित्व का नाम देते हैं अर्थात् साथ रहना है और वह भी एक-दूसरे का अस्तित्व मिटाए बगैर। इसमें न कोई नकारात्मक प्रतिद्वंदिता है और न एक-दूसरे को कमज़ोर करने अथवा मिटा देने का भाव। इसमें एक संकल्प है संबंधों में समरसता, सातत्य, समग्रता, संतुष्टि व समृद्धि सुनिश्चित करने का।

ये ही वे संकल्प हैं, जिनकी नींव पर कभी भारत के गांव बनें, बसे और समृद्ध हुए। संबंध और इसका संकल्प कमज़ोर न होने पाए; इसके लिए आपसी देखभाल और कभी-कभार ज़रूरत होने पर हस्तक्षेप की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा हस्तक्षेप, जो सबका ध्यान रख सके; सबके साथ न्याय कर सके। जैसे परिवार में कोई, ऐसे ही गांव में पंचायतें। यह हस्तक्षेप सिर्फ हस्तक्षेप ही रहे; सत्ता न बन जाए। इसके लिए मुंशी प्रेमचन्द की कहानी 'पंच परमेश्वर' वाली परम्परागत पंचायत के स्वरूप को याद कीजिए। पंचायत यानी गांव में दो के बीच में कोई विवाद होने अथवा किसी साझी ज़रूरत की स्थिति में गठित तथा ज़रूरत की पूर्ति हो जाने पर स्वतः विघटित हो जाने वाली व्यवस्था।

'पंच परमेश्वर' कहानी को बार-बार पढ़िए और आपसी रिश्ते में दरार के बावजूद अलगू चौधरी व जुम्मन खां की पंचायती भूमिका का विश्लेषण कीजिए। कहना न होगा कि हस्तक्षेप की उस व्यवस्था में किसी की अधीनता नहीं थी, बल्कि स्वाधीनता थी विचार करने, उसे अभिव्यक्त करने तथा अपने विश्वास व धर्म के अनुरूप उपासना करने की। भारत की पारम्परिक पंचायतें सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय सुलभ कराने का केंद्र थीं। हमारी पंचायतों में सभी के लिए समान अवसर था। पंचायतें प्रतिष्ठाएँ आधार पर राजा-रंक में भेदभाव नहीं करती थीं। बंधुत्व का गुण तो पंचायती तथा ग्रामीण संरचना में स्वयंमेव निहित था ही।

आज स्त्री-पुरुष संबंधों को भी हस्तक्षेप की ऐसी ही अंतरंग व्यवस्था और व्यैक्तिक समता व सम्भाव की ज़रूरत है, जो दोनों के एक-दूसरे के पूरक होने के आधार पर सोची, समझी व संचालित हो। स्त्री-पुरुष में से जो भी, जब भी कमज़ोर हो, दूसरे को अशक्त किए बगैर उसे सशक्तीकरण का विशेष अवसर प्रदान करे। यहीं तो सहभागी लोकतंत्र है; स्त्री-पुरुष संबंध से लेकर परिवार, समाज, राष्ट्र से लेकर वैश्विक संबंधों में समता व समरसता के लिए आवश्यक लोकतंत्र। जहां लोकतंत्र हैं, वहां सत्ता नहीं, स्वाधीनता है, वहीं शक्ति है; वहां किसी दूसरे के अधीन होने की गुंजाइश ही कहां? आइए, इस गुंजाइश को खत्म करें; सशक्त हों।





वे दोबारा उम्मीदवार नहीं बनना चाहतीं। कारण? उन्हें चरित्र हनन के स्तर पर उत्तरकर हतोत्साहित किए जाने के अतिवादी दुष्कर्म सामने आए हैं। ऐसी स्थिति में स्वयं उन महिलाओं के परिवारों द्वारा उनका साथ न देना भी महिलाओं में उम्मीदवारी की हिम्मत में कमी की वजह बन रहा है।”

मेरा आकलन है कि लिंग आधारित विभेद के अलावा जातीय विभेद और दलगत राजनीति भी महिला पंचायत प्रतिनिधियों की राह में बड़ा रोड़ा है। बड़ी वजह यह भी है कि पद पर चुन लिए जाने और उस पर कार्य करते हुए पांच साल बीत जाने के बावजूद ज्यादातर महिला पंचायत प्रतिनिधि न पंचायत की तय कार्यप्रणाली से वाकिफ होती हैं और न ही नियम, अधिनियम, निर्देश व शासनादेशों से। जानकारी का स्तर आज भी योजना, कार्यक्रम, कोष, कर्मचारी, ग्रामसभा की बैठक और मनरेगा से आगे नहीं पहुंचा है। लेखा—जोखा रखने संबंधी कमज़ोरी है ही। इन कारणों से भी पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम सचिवों के अनुसार ग़लत—सही चलने पर मज़बूर हैं। कागज़ी कामों में परावलम्बन इतना अधिक है कि उम्मीदवारी के साधारण दस्तावेज़ तैयार करने तक के कार्य हेतु वे वकीलों का सहारा ले रहे हैं। डिजिटल निरक्षरता, खासकर महिला पंचायत प्रतिनिधियों के लिए नया रोड़ा बनकर सामने आई है।

वार्ड सदस्य/पंच का पद त्रिआयामी भूमिका के निर्वाह की मांग करता है: वार्ड सदस्य की भूमिका, पंचायत सदस्य की भूमिका तथा पंचायती विकास कार्य संबंधी समितियों में सदस्य/अध्यक्ष की भूमिका। ज्यादातर वार्ड सदस्य इसमें से एक भी भूमिका का सही से निर्वाह नहीं कर रहे। वे इससे वाकिफ ही नहीं हैं। यहां तक कि उन्हें वाकिफ कराने के प्रयासों का प्रशासन व प्रधानों द्वारा विरोध किए जाने के समाचार मिले हैं। अज्ञानता का ही नतीजा है कि हमारी ग्राम पंचायतें सहभागी लोकतंत्र का अनुपम मंच होने से अभी वंचित हैं। प्रधान और ग्राम सचिवों की मनमानियों के किस्से आए दिन सुनने को मिलते हैं। वार्ड सदस्य के पद को महत्वहीन मान लिया गया है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत सदस्यों के कुल 7,49,362 पद हैं। 2021 में हुए उत्तर प्रदेश पंचायती चुनावों में इसमें से मात्र 1,10,010 के लिए मतदान हुआ। 4,39,899 निर्विरोध चुन लिए गए। शेष 26.62 प्रतिशत पदों के लिए किसी ने उम्मीदवारी का पर्चा ही दाखिल नहीं किया।

इससे यह भी साबित होता है कि पंचायत प्रतिनिधि ही नहीं, जब तक ग्रामसभा का प्रत्येक सदस्य पंचायती राज प्रणाली के प्रत्येक पहलू के नफे—नुकसान को लेकर पूरी तरह अवगत व सकारात्मक रूप से सक्रिय नहीं हो जाता; लोकतंत्र और इसमें सहभागी स्त्री—पुरुषों के समर्थ होने का सपना पूरा नहीं होगा।

समाधान कई

परावलम्बन हमेशा कमज़ोर बनाता है। स्वावलम्बन, यदि व्यैक्तिक हो तो सामुदायिक सोच के लिए घातक भी हो सकता है। समुदाय के भीतर परस्परावलंबन साझा बढ़ाता है। यह साझा ही समुदाय और व्यक्ति दोनों के सशक्तीकरण की सीढ़ी का सबसे मज़बूत पायदान है; स्त्री—पुरुष संबंधों के सशक्तीकरण का भी।

भारत सरकार ने ‘ग्राम पंचायत विकास योजना’ के रूप में अपनी ग्राम पंचायत की विकास योजना खुद बनाने का एक अवसर दिया। सोच को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में गांवों को मिला यह एक शानदार अवसर है। अब केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी द्वारा किया ऐलान सामने आया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के सहयोग से 2047 तक भारत की सभी पंचायतों का मास्टर प्लान बनाएगी। फरवरी, 2022 के प्रथम सप्ताह में किया यह ऐलान परावलम्बन बढ़ाने वाला है। योजना व बजट निर्माण के पिरामिड को उलटने की ज़रूरत है।

सहयोगी कदम के रूप में ज़रूरी है कि बिना कोरम पूरा हुए ग्रामसभा की बैठक न हो; ऐसा प्रावधान किया जाए। ग्राम सचिवों के खाली पदों को भरा जाए। सभी राज्य वार्ड स्तर पर वार्ड सभा गठित करना अनिवार्य करें। ग्राम पंचायत, ग्रामसभा और ग्राम स्तरीय समस्त विकास समितियां—ज्यादातर राज्यों में ग्राम सचिव ही सबका सचिव होता है, इस व्यवस्था को बदलें। ग्रामसभा स्तर की सभी सभाओं व समितियों को अधिकार हो कि वे अपने सदस्यों में से अपना सचिव चुनें। ग्राम सचिव की भूमिका सिर्फ कार्यालय सचिव की भूमिका तक सीमित की जाए। पंचायत—स्तर के कर्मचारी, कोष और कार्य पूरी तरह ग्रामसभाओं के अधीन किए जाएं। गांव संबंधी समस्त स्थानीय प्रशासनिक काम, गांव के पंचायत भवन में हों। राज्य वित्त आयोगों के गठन और निर्देशों को सशक्त किया जाए। शासन, प्रशासन व पंचायत प्रतिनिधियों में तालमेल का अभाव दूर किया जाए। ग्रामसभाओं के अनुमोदन को राज्य सरकारें महत्व देना शुरू करें। सभी राज्यों में न्याय पंचायतें गठित हों। तीनों स्तर की पंचायतों में दलीय चुनाव चिन्ह अथवा दल समर्थित उम्मीदवारी पर रोक लगे। पंचायती प्रशिक्षण को ज्यादा जमीनी और व्यावहारिक बनाया जाए। गांव समाज तथा पंचायतें अपने सामाजिक व सांस्कृतिक विकास की योजना खुद बनाना शुरू करें। इससे न सिर्फ लोकतंत्र, बल्कि गांवों की सामुदायिक सोच व ढांचा मज़बूत होंगे; अंततः स्त्री—पुरुष सभी।

संबंधों में समता ही संतुलन है। संतुलन ही सशक्तीकरण है। प्रतिद्वंद्विता में अनैतिकता व असंतुलन का खतरा सबसे ज्यादा है। सामुदायिक सोच का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हम सब समुदाय ही नहीं, परिवार व स्त्री—पुरुष संबंध के स्तर पर यह समझ सकें कि एक पंख से भरी उड़ान कितनी भी ऊँची क्यों न हो जाए; असंतुलित ही रहने वाली है। यदि हम वाकई स्त्री—पुरुष संबंधों में असंतुलन से उबरकर सशक्त होना चाहते हैं तो हमें समझौते से ज्यादा एक—दूसरे को समझना होगा; समझना होगा कि रिश्तों में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व ही समग्र रूप से समर्थ बना सकते हैं। भारतीय संविधान भी तो आखिरकार हम भारत के नागरिकों से इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति की अपेक्षा रखता है। स्त्री—पुरुष सशक्तीकरण की मांग यही है।

(लेखक पानी एवं गांव विकास के लोकतांत्रिक पहलुओं के अध्ययनकर्ता एवं पैरोकार हैं।)

ई—मेल : amethiarun@gmail.com

उद्यमिता में महिलाएं

— भुवन भास्कर

ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यमिता की राह आसान नहीं है। इसके बावजूद पिछले 6–7 सालों में इस दिशा में काफी काम हुआ है और इस क्षेत्र में अब दर्जनों ऐसी महिलाएं सितारों की तरह चमक रही हैं, जिन्होंने अपने बूते सफल उद्यमों की शुरुआत की है। ग्रामीण महिलाओं को सफल उद्यमियों में बदलना एक सामाजिक आवश्यकता है। महत्वपूर्ण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर वर्ग की महिलाएं कुशलता प्रशिक्षण के जरिए छोटे, किंतु 'आत्मनिर्भर उद्यम' खड़े करने के प्रति काफी रुचि प्रदर्शित कर रही हैं। इस दिशा में उन्हें व्यावसायिक ज्ञान और तकनीकी जानकारियों से लैस करने के लिए कई योजनाएं भी चल रही हैं, जो केंद्र, राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा संचालित होती हैं।

यह विषय अपने आप में कई पारंपरिक मान्यताओं को ध्वस्त करने वाला है। पहले तो ग्रामीण महिलाएं और उस पर उद्यमिता। जहां शिक्षा, सामाजिक स्वतंत्रता, पारिवारिक प्राथमिकता ही जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की सूची में सबसे ऊपर हो, वहां उद्यमिता के लिहाज से ग्रामीण महिलाओं की चर्चा अपने आप में एक क्रांतिकारी अवधारणा लगती है। लेकिन अब यह क्रांतिकारी अवधारण बहुत तेजी से सच बन रही है। भारत के गांवों में महिलाएं बड़ी संख्या में अपने घरों से निकल रही हैं और काम कर रही हैं और न सिर्फ काम कर रही हैं, बल्कि दूसरों के लिए रोज़गार के अवसरों का भी सृजन कर रही हैं। लेकिन यह राह न पहले कभी आसान थी, और न ही अभी आसान है।

आगे बढ़ने से पहले एक दृष्टि डाल लेते हैं कुछ आंकड़ों पर, जो छठे आर्थिक सर्वेक्षण में जारी हुए हैं। यह सर्वेक्षण जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 के बीच किया गया था। सातवें आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े 31 मार्च 2021 तक लिए गए हैं, लेकिन अभी इसकी रिपोर्ट आनी शेष है। इसलिए छठे आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये एक तरह से बेसलाइन उपलब्ध कराते हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक़:

- देश में मौजूद 5.85 करोड़ उद्यमियों में से महिलाओं की संख्या सिर्फ 13.76 प्रतिशत यानी 80.5 लाख है।
- महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे उद्यमों में 1.345 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला है।
- कुल महिला उद्यमियों में 27.6 लाख यानी 34.3 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं, जबकि 52.9 यानी 65.7 प्रतिशत महिला उद्यमी गैर-कृषि क्षेत्र में काम कर रही हैं।
- कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा महिला उद्यमी (31.6 प्रतिशत) लाइवस्टॉक सेक्टर में हैं, जबकि गैर-कृषि क्षेत्र में यह संख्या मैन्युफैक्चरिंग (29.8 प्रतिशत) और रिटेल (17.8 प्रतिशत) में सबसे ज्यादा है।
- महिलाओं द्वारा स्थापित उद्यमों में औसतन 1.67 लोगों को हर उद्यम में रोज़गार मिला है।

निश्चित रूप से ये आंकड़े बहुत उत्साहजनक नहीं हैं और बताते हैं कि ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यमिता की राह आसान नहीं है। इसके बावजूद पिछले 6–7 सालों में इस दिशा में काफी काम हुआ है और इस क्षेत्र में अब दर्जनों ऐसी महिलाएं सितारों की तरह चमक





“प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 70% खाताधारक महिला उद्यमी हैं”

प्रयागराज में महिला केंद्रित पहलों के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री मोदी

रही हैं, जिन्होंने अपने बूते सफल उद्यमों की शुरुआत की है।

ग्रामीण महिलाओं को सफल उद्यमियों में बदलना एक सामाजिक आवश्यकता है। महत्वपूर्ण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर वर्ग की महिलाएं कुशलता प्रशिक्षण के ज़रिए छोटे, किंतु ‘आत्मनिर्भर उद्यम’ खड़े करने के प्रति काफी रुचि प्रदर्शित कर रही हैं। इस दिशा में उन्हें व्यावसायिक ज्ञान और तकनीकी जानकारियों से लैस करने के लिए कई योजनाएं भी चल रही हैं, जो केंद्र, राज्यों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा संचालित होती हैं। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं में 5 बेहद महत्वपूर्ण हैं:

ग्रामीण स्वरोज़गार एवं प्रशिक्षण संस्थाएं (RSETI)

ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत बैंकों की ओर से चलने वाले इस कार्यक्रम में एक प्रशिक्षु को बैंकों से कर्ज लेकर अपना सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस कार्यक्रम की व्यापकता का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि यह देश के 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 566 ज़िलों में चलाया जा रहा है। इसमें निजी, सार्वजनिक क्षेत्र के और कुछ ग्रामीण बैंकों को मिलाकर 23 बैंक 585 आरसेती के माध्यम से कर्ज दे रहे हैं। आरसेती में कुल 61 पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये सभी पाठ्यक्रम नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) के आधार पर तैयार किए गए हैं। इन 61 में से 38 पाठ्यक्रम विशेष तौर पर महिलाओं के लिए हैं जो इनमें प्रशिक्षित होकर स्वरोज़गार में लग सकती हैं।

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के तहत पीएमईजीपी एक प्रमुख कर्ज-आधारित सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से स्वरोज़गार के अवसर पैदा करना है। उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम गैर-कृषि क्षेत्र के लिए है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इसमें भागीदारी कर

सकती हैं और कृषि से इतर किसी क्षेत्र से जुड़ा सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए यह एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। इसमें भाग लेने की योग्यता सिर्फ यह है कि उम्मीदवार की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

शहरी क्षेत्र के उम्मीदवारों को मिलने वाली 25 प्रतिशत सब्सिडी की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों को इस योजना के तहत 35 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। नियमों के मुताबिक हर सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अपनी कुल खरीदारी में 3 प्रतिशत हिस्सा उन सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदना अनिवार्य है, जो किसी महिला द्वारा चलाया जा रहा हो।

महिला उद्यमियों का आर्थिक सशक्तीकरण और महिलाओं का स्टार्टअप

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत चलने वाला यह प्रोजेक्ट उन इनकायूबेशन और एक्सीलरेशन कार्यक्रमों को पायलट करता है, जिनमें या तो कोई महिला कोई नया सूक्ष्म उद्यम शुरू कर रही हो या फिर पहले से चल रहे किसी सूक्ष्म उद्यम का विस्तार करना चाह रही हो।

महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म (WEP)

नीति आयोग ने यह कार्यक्रम 8 मार्च, 2018 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन शुरू किया था। पोर्टल पर पंजीकरण और उसके बाद की सभी सेवाएं यूज़र्स को मुफ्त में दी जाती हैं। यह प्लेटफॉर्म नई और पुरानी हर तरह की महिला उद्यमियों के लिए अलग-अलग सेवाएं प्रदान करता है।

स्टैंड अप इंडिया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल, 2016 को यह स्कीम लांच की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उद्यमिता की राह आसान करना है। इसके तहत कृषि क्षेत्र से बाहर कोई उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का कर्ज दिया जाता है।

मेरी सरकार

नए भारत की नारी शक्ति

महिला दिवस - 8 मार्च

स्टार्टअप इंडिया को मिली नई ऊँचाई

45% स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक हैं।

नई 2021 तक

डीपिआईआईटी से मान्यता प्राप्त

महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स

स्रोत: विनियोगीकरणीय, भारतीय राज्य उद्योग भवित्व



इनके अलावा भी कई योजनाएं हैं, जो ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। इनमें प्रमुख हैं:

1. असिस्टेंट फॉर रूरल एम्लॉयमेंट गारंटी स्कीम (AREGS)
2. समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDGP)
3. नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम (NFWP)
4. सपोर्ट एंड ट्रेनिंग एंड एम्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन (STEP)
5. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)

इसी साल मार्च के पहले हफ्ते में एमएसडीई के अंतर्गत चलने वाली स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय उद्यमिता संस्थान और लघु व्यवसाय विकास (निस्बड़) ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ स्टार्टअप विलेज आंत्रप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (SVEP) शुरू करने के लिए समझौता किया है। इस प्रोग्राम के तहत ज़मीनी स्तर पर आंत्रप्रेन्योरशिप का एक टिकाऊ मॉडल विकसित किया जाएगा। एसवीईपी ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत चलने वाली दीनदयाल अंत्योदय योजना की एक उप-शाखा है। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों को मदद करना है जो ग्रामीण स्तर पर गैर-कृषि क्षेत्रों में कोई उद्यम स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए उद्यमियों को जानकारियां, सलाह और वित्तीय मदद दी जाएगी।

सरकार के अलावा कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाती हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की 'दिशा' परियोजना इनमें महत्वपूर्ण है, जिसमें महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने और उन्हें बढ़ाने में मदद देने के लिए मैट्टर्स का एक नेटवर्क तैयार किया गया है। यह एक उदाहरण है। ऐसे कई कार्यक्रम हैं, जिनमें कॉर्पोरेट जगत और गैर-सरकारी संगठन (NGO) भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।

लेकिन इन सब कार्यक्रमों और प्रयासों का एक दूसरा पहलू भी है, जिसकी झलक 'लैंडस्केप स्टडी ऑन वुमेन आंत्रप्रेन्योरशिप' नाम से प्रकाशित एक स्टडी में मिलती है, जिसे इडेलगिव फाउंडेशन ने किया है। इस स्टडी में खुलासा किया गया है कि सर्वे में शामिल सिर्फ एक प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं, जो सरकारी योजनाओं का फायदा उठा पाने में समर्थ हैं। इनमें 94 प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने परिजनों की सलाह पर ही सूक्ष्म और लघु उद्यमों को शुरू करने का फैसला किया। ये महिलाएं पूरी तरह आश्वस्त थीं कि बिना परिजनों के समर्थन के उनका उद्यम किसी हाल में सफल नहीं हो सकता। यही नहीं, पिछले दो साल में कोरोना महामारी ने भी महिला उद्यमियों के सामने कई तरह के अवरोध खड़े कर दिए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जंडर गैप रिपोर्ट 2021 के मुताबिक भारत अब भी 153 देशों में 140वें स्थान पर है। जहां दुनिया

भर के जीडीपी में महिलाओं की हिस्सेदारी औसतन 37 प्रतिशत है, वहीं भारत में यह अब भी 18 प्रतिशत है। सिर्फ 14 प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जो अपना करियर एक 'उद्यमी' के तौर पर चुनना चाहती हैं।

उद्यमिता में ग्रामीण महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नांकित कदम उठाए जाने की ज़रूरत है:

प्रोत्साहन सहायता : सरकार और गैर-सरकारी संगठनों को मिलकर एक तंत्र विकसित करना चाहिए ताकि आर्थिक और गैर-आर्थिक क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं को नए उद्यम लगाने के लिए हर तरह की मदद मिल सके।

प्रशिक्षण : ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को कारोबार चलाने और बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसी महिलाएं जो उद्यमिता को लेकर आशंकित हैं, और कदम बढ़ाने में हिचकिचा रही हैं, उनके लिए इस तरह का प्रशिक्षण काफी उपयोगी साबित हो सकता है। चुनाव हमेशा एक चुनौती रहता है क्योंकि उनके पास विकल्प कई होते हैं और निवेश बड़ा होता है। एक बार गलती हो जाए, तो उसका खामियाज़ा उद्यमी को लंबे समय तक भुगतना होता है। इसलिए ग्रामीण महिला उद्यमियों को इसके लिए सही सलाह की आवश्यकता होती है। इस लिहाज़ से पुख्ता संस्थागत प्रबंध किया जाना चाहिए।

वित्त पोषण : ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए पूंजी हमेशा एक बड़ी समस्या होती है। यद्यपि सरकार की मुद्रा योजना ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण माध्यम का काम किया है, लेकिन दूरदराज के गांवों में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी और योजनाएं स्थानीय स्तरों पर क्रियान्वित की जानी चाहिए।

मार्केटिंग सहायता : ग्रामीण महिलाओं को उनके उत्पादों की मार्केटिंग में सहायता एक अहम चरण है, जिस पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। कौशल विकास प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे के लिए वित्त पोषण की योजना सही तरीके से लागू हो जाने पर उत्पादन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। लेकिन उत्पादन के बाद उत्पाद को बाजार में पहुंचाना और उनके लिए उपभोक्ताओं का वर्ग तैयार करना एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए विशेषज्ञ सलाह की आवश्यकता होती है। ग्रामीण महिलाओं के लिए यह सलाह बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें समय पर यह मिलनी चाहिए।

ग्रामीण महिलाओं को नए उद्यम खड़े करने के लिए कई वित्त योजनाएं मौजूद हैं। आइए, इन योजनाओं पर एक नज़र डालते हैं:

देना शक्ति : देना शक्ति योजना के तहत महिला उद्यमियों को कृषि और सहायक क्षेत्रों, सूक्ष्म और लघु उद्यमों, रिटेल ट्रेड, माइक्रो क्रेडिट, शिक्षा, हाउसिंग इत्यादि क्षेत्रों में कारोबार के लिए फाइनेंस की सुविधा मिलती है।



पीएनबी की योजनाएं : इनके तहत महिला उद्यमियों को नए लघु और सूक्ष्म उद्यमों के लिए कर्ज़ दिया जाता है। साथ ही पुरानी परियोजनाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी अपडेट करने इत्यादि के लिए भी सहायता दी जाती है।

सेंट कल्याणी : एमएसएमई अधिनियम—2006 में परिभाषित सूक्ष्म उद्यमों में कार्यरत महिलाओं के लिए हथकरघा पर तैयार हस्तकला, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा तैयार करने जैसी नई और मौजूदा परियोजनाओं में मैन्युफैक्चरिंग और सेवाएं प्रदान करने के लिए इसके तहत उद्यमों की कई उप—श्रेणियां रखी गई हैं:

- पेशेवर और स्वनियोजित महिलाएं :** स्वास्थ्य, ब्यूटी किलनिक, डायटिशियन, फैशन डिजाइनिंग ब्यूटी पार्लर इत्यादि।
- लघु उद्यम :** छोटी कैटीन, चलांत रेस्ट्रां, टेलरिंग, बच्चों के लिए दिन भर के क्रेच, टाइपिंग, एसटीडी—जेरॉक्स बूथ इत्यादि।
- परिवहन ऑपरेटर :** तिपहिया, फोर—हवीलर, रिटेल ट्रेड, शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चलाना इत्यादि।
- स्त्री शक्ति पैकेज :** यह अनूठी स्कीम भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें किसी भी ऐसे उद्यम को कुछ एक्सेसरीज की सहायता दी जाती है, जिसमें किसी महिला की भागीदारी 50 प्रतिशत से ज्यादा हो।

ओरिएंटल महिला विकास योजना, मुद्रा योजना, उद्योगिनी फाइनेंशियल लिंकेज, मान देसी फाउंडेशन—वुमेंस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, सिडबी, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लि., अन्स्ट्रट एंड यंग की महिला उद्यमी सहायता योजना जिसके तहत सालाना 8.5 करोड़ रुपये की सहायता दी जाती है, इत्यादि अन्य वित्तीय सहायता योजनाएं हैं, जो महिला उद्यमियों के लिए उपलब्ध हैं।

ग्रामीण भारत में महिलाएं स्वास्थ्य, कुपोषण, कई बार गर्भावस्था, अशिक्षा इत्यादि से जूझने के बावजूद कृषि और कृषि से संबंधित अन्य

my
GOV
मेरी सरकार

महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर बोर

प्रधानमंत्री
जन धन योजना

55% से अधिक
आतंद्राक महिलाएं हैं

प्रधानमंत्री
उज्ज्वला योजना

9 करोड़
एलपीजी कनेक्शन

प्रधानमंत्री
ग्रामीण आवास योजना

68% घरों का स्वामित्व
व्यक्तिगत या संयुक्त रूप
से महिलाओं के पास है

*March, 2021

कार्यों, छोटी दुकानें चलाने, हस्तकला उत्पादों को तैयार करने और उन्हें बेचने इत्यादि जैसी आर्थिक गतिविधियों में शामिल होती हैं। भारत सरकार के एक अध्ययन के मुताबिक करीब 40 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं अपने परिवारों को किसी न किसी रूप में आर्थिक सहायता करती हैं। महिला उद्यमी आर्थिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण घटक है—न सिर्फ व्यक्तिगत और परिवार के स्तर पर, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी। उल्लेखनीय है कि महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे उद्यम कई स्तरों पर पुरुषों द्वारा चलाए जा रहे उद्यमों के मुकाबले बेहतर नतीजे देते दिखे हैं। रिटर्न के लिहाज से जहां निवेश किया गया हर डॉलर महिला उद्यमियों के नेतृत्व में 78 सेंट रिटर्न देता है, वहीं पुरुषों के मामले में यह महज 31 सेंट है।

हार्टफोर्डशायर विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिकों द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक जब महिलाओं और पुरुषों को दो काम एक साथ करने को दिए जाते हैं, तो जहां महिलाओं की काम करने की गति 61 प्रतिशत कम होती है, वहीं पुरुष 77 प्रतिशत धीमे पड़ जाते हैं। यहां तक कि केपीएमजी के एक सर्वेक्षण में यह बात भी सामने आई है कि महिलाएं जोखिम लेने में भी काफी बढ़चढ़ कर उत्साह दिखाती हैं। जाहिर है कि उद्यमिता में ग्रामीण महिलाएं किसी भी स्तर पर कम नहीं हैं और यदि उन्हें एक अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र मिले, तो वह भारतीय कॉरपोरेट जगत के लिए एक नई इबारत लिख सकती हैं।

(लेखक कॉरपोरेट क्षेत्र से संबद्ध हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई—मेल : bhaskarbhawan@gmail.com

my
GOV
मेरी सरकार

महिला उद्यमियों का सशक्तीकरण

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

60% से अधिक
आतंद्राक महिलाएं हैं

स्टैंड-अप इंडिया

83%
उद्यमी महिलाएं हैं

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

2013-14 से स्वयं सहायता समूहों को ₹3.85 लाख करोड़ से अधिक का बैंक ऋण प्रदान किया गया

कुरुक्षेत्र का आगामी अंक
मई 2022 : ग्रामीण कनेक्टिविटी

सामूहिक नारी शक्ति के प्रतीक स्वयंसहायता समूह

-हेना नकवी

भारत सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना, 'दीनदयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन', देश की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए समर्पित है। मिशन के तहत गठित स्वयंसहायता समूह, सक्षम एवं आत्मनिर्भर ग्रामीण नारी का चेहरा भी है, और माध्यम भी। ये समूह सुव्यवस्थित तरीके से महिलाओं के आर्थिक—सामाजिक बदलाव के लिए प्रयासरत हैं। महिलाओं के माध्यम से आने वाला यह बदलाव ग्रामीण भारत और कुल मिलाकर समस्त भारत में बदलाव की शुरुआत है। प्रस्तुत आलेख में स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण को रेखांकित किया गया है।

महात्मा गांधी ने कहा था, 'एक पुरुष को शिक्षित कर केवल एक व्यक्ति को शिक्षित किया जा सकता है लेकिन एक महिला को शिक्षित कर एक राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है।' इसी सोच के साथ देश में स्वयंसहायता समूहों की शुरुआत की गई ताकि महिलाओं की सामूहिक शक्ति से उनके परिवारों, उनके समुदायों, और अंततः पूरे देश की सामाजिक—आर्थिक तस्वीर बदली जा सके। समान उद्देश्य के लिए एक धरातल पर साथ आई महिलाओं के समूह को 'स्वयंसहायता समूह' कहा जाता है।

सामान्यतः 10–12 महिलाओं के इन छोटे–छोटे समूहों में बदलाव लाने की असीम क्षमता होती है, जिसकी शुरुआत होती है, उनके आर्थिक सशक्तीकरण से। इस बेहद महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन के साथ—साथ सामाजिक परिवर्तन भी आता है। कुल मिलाकर, यह परिवर्तन, देश के सामाजिक—आर्थिक विकास संकेतकों में झलकता है।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह अपने—अपने ढंग

से काम कर रहे थे लेकिन 'दीनदयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' ('आजीविका') के तहत समस्त राष्ट्र के स्वयंसहायता समूहों को एक निश्चित पहचान बनाने और काम करने के ढंग में एकरूपता मिली है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की इस अति महत्वपूर्ण योजना के तहत स्वयंसहायता समूहों और उनके उच्चस्तरीय संघों का गठन किया जाता है, जिससे ग्रामीण महिलाएं, ग्राम स्तर से लेकर ज़िला स्तर तक संगठित होती हैं। यह संरचना उनके सामाजिक—आर्थिक विकास का माध्यम बनती है।

'आजीविका' मिशन और इसके तहत कार्यरत विभिन्न राज्यों के 'राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन' (जिन्हें अलग—अलग राज्यों में अलग—अलग नामों से जाना जाता है), के प्रयासों के फलस्वरूप, आज पूरे देश में 75 लाख स्वयंसहायता समूह गठित किए जा चुके हैं, जिनमें आठ करोड़ से अधिक महिलाएं सदस्य हैं। आजीविका मिशन के पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अभी तक देश के 707 ज़िलों में इन समूहों का गठन किया जा चुका है।



समूह बैठकें: सामूहिक नारी शक्ति का धरातल



समूहों के आर्थिक सशक्तीकरण की रणनीति के पहले कदम के रूप में उन्हें बैंकों से जोड़कर उनका वित्तीय समावेशन कराया जाता है। यह वित्तीय पहचान, उन्हें किफायती दरों पर सांस्थानिक ऋण से जोड़ती है, जिससे यह समूह सिलसिलेवार ढंग से सूक्ष्म उद्यमों/आय सृजन गतिविधियों की शुरुआत करने में समर्थ होते हैं। सुविधाजनक और किफायती दर पर ऋण की उपलब्धता के अनेक लाभों में से एक लाभ यह भी है कि ग्रामीण समुदाय को स्थानीय साहूकारों के शोषण से भी छुटकारा मिल गया है। समुदाय के लोग अब अपने खून-पसीने की कमाई का सही इस्तेमाल कर सकते हैं।

समूहों में नियमित बचत और पारस्परिक ऋण का सिलसिला, इन महिलाओं को आत्मनिर्भर उद्यमी बनाता है। आमतौर पर यह उद्यम कृषि तथा गैर-कृषि क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। मिशन की रणनीति के तहत, इन महिलाओं को स्थानीय कौशल तथा बाज़ार की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण तथा ऋण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाता है। दिलचस्प बात है कि इन समूहों द्वारा बैंकों को ऋण वापस करने की दर भी उत्साहजनक है, जिससे उनके उद्यमों के विस्तार के लिए बड़े ऋण का रास्ता खुल जाता है।

पत्र सूचना ब्यूरो, भारत सरकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार, अप्रैल 2013 से 30 नवम्बर, 2021 की अवधि के दौरान, 'आजीविका' मिशन के धरातल से स्वयंसहायता समूहों को कुल 4.35 लाख करोड़ रुपयों का बैंक ऋण प्रदान किया गया। समूहों की वित्तीय प्रबंधन क्षमता मज़बूत करने और मुख्यधारा का बैंक-वित्त आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा उन्हें रिवॉल्विंग फंड तथा कम्युनिटी इंवेस्टमेंट फंड के माध्यम से संसाधन प्रदान किए जाते हैं। 'बैंक सखियों' के रूप में नियुक्त 55 हज़ार से अधिक स्वयंसहायता समूह सदस्य अंतिम छोर तक वित्तीय सेवाएं पहुंचा रही हैं।

'आजीविका' के डैशबोर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इन समूहों की कुल बचत 26,38,485 लाख रुपये है। सूक्ष्म प्रयासों से इतने विशाल संसाधन जुटाना लगभग अकल्पनीय था, लेकिन एक जुटता और पेशेवर प्रयासों से यह 'असंभव' आज 'संभव' हो गया है। वर्षों से सूक्ष्म बचत एवं बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण के माध्यम से अब इन महिलाओं के लिए जीविकोपार्जन के अवसरों में विविधता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अक्टूबर, 2021 में शुरू की गई, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक नई पहल के अनुसार, समूहों की ढाई करोड़


तालिका-1 : राष्ट्रीय स्तर पर स्वयंसहायता समूहों की स्थिति*

देश के कुल आच्छादित जिले	कुल संगठित स्वयंसहायता समूह	कुल सदस्य
707	75,34,852	8,21,86,548

स्रोत: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पोर्टल

आंकड़े गतिशील हैं, समूहों के गठन के अनुसार इनमें परिवर्तन दर्शाया जाता है।

*आंकड़े 30 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार



स्वयंसहायता समूहों का त्रि-स्तरीय ढांचा

महिलाओं को अगले दो वर्षों तक सहायता दी जाएगी ताकि उन्हें वर्ष में कम-से-कम एक लाख रुपये की आमदनी हो, और वे एक बेहतर आर्थिक स्थिति की ओर बढ़ सकें। इसके लिए, कृषि एवं संबंधित उप-क्षेत्र, पशुधन, लघु वनोपज आदि गतिविधियों को परिवार के स्तर पर एक साथ जोड़कर आजीविका के अवसरों में विविधता लाने की योजना है, जिससे इन परिवारों की आय भी बढ़े और इस पहल के सफल परिणामों को बड़े पैमाने पर लागू किया जा सके।

समूहों एवं 'आजीविका' मिशन का सहयोग विभिन्न क्षेत्रीय हस्तकलाओं के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। प्रशिक्षण एवं विपणन जैसे सहयोग से अनेक लुप्तप्रायः हस्तकलाओं को एक नई जान मिली है, और हस्तशिल्पकारों को सतत रोज़गार। इन हस्तकलाओं के पुनरुद्धार ने संस्कृति के एक महत्वपूर्ण आयाम को फिर से सांस लेने का मौका दिया है। सरकार की नई योजना, 'वन डिस्ट्रिक्ट - वन प्रोडक्ट' (ओडोप) से भी इन हस्तशिल्पियों को मदद मिली है। इस योजना में किसी एक ज़िले में उत्पादित होने वाले खाद्य पदार्थ (जैसे- अचार, चटनी, पापड़) और हस्तशिल्प उत्पादों (जैसे-लकड़ी के खिलौने, बांस के उत्पाद, परम्परागत पैटिंग आदि) को स्वयंसहायता समूहों की मदद से बढ़ावा देने की योजना पर अमल हो रहा है।

किसी भी विकासोन्मुख देश में बदलाव की सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक, 'सामाजिक समावेशन' इन समूहों की पहचान है। तालिका-2 के अनुसार, इन समूहों में सामान्य वर्ग के अतिरिक्त, समाज के उन वर्गों की प्रतिनिधि महिलाओं को भी जोड़ा गया है, जिन्हें समाज की मुख्याधारा से जुड़ने के लिए विशेष संरक्षण की आवश्यकता है।

ग्रामीण परिवारों की आजीविका को अप्रत्यक्ष रूप से मज़बूत करने के लिए इन समूहों के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण, विशेषकर मातृ-बाल स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें गर्भवती महिलाओं, बच्चों, किशोरियों को मिलने वाली सेवाओं की जानकारी, उन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहन, सुरक्षित / संस्थागत प्रसव की तैयारी, टीकाकरण, आदर्श स्तनपान, मातृ-बाल पोषण को बढ़ावा, परिवार नियोजन, माहवारी स्वच्छता पर जागरूकता निर्माण आदि शामिल हैं। समूहों की बहुत बड़ी भूमिका इन मुद्दों पर समुदाय का व्यवहार परिवर्तन करना भी है। समूहों की साप्ताहिक बैठकों को बचत, ऋण एवं जीविकोपार्जन पर चर्चा के

वन जीपी वन बीसी सखी

आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 50,000 महिला स्वयंसहायता समूह की सदस्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में बीसी सखी के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये व्यवसाय समन्वयक (बीसी) प्रत्येक ग्राम पंचायत (जीपी) में घर-घर जाकर सेवाएं प्रदान करेंगी। इस पहल को “वन जीपी वन बीसी सखी” अभियान का नाम दिया गया है। यह प्रस्ताव किया गया है कि 2023–24 के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में कम-से-कम एक बीसी सखी की तैनाती की जाए। बीसी सखी के रूप में प्रशिक्षित और प्रमाणित की गई 50,000 से ज्यादा एसएचजी महिलाएं पहले से ही ग्रामीण क्षेत्रों में घर पर सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

(डीएवाई–एनआरएलएम) ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए महिला स्वयंसहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों को व्यवसाय समन्वयक (बीसी) के रूप में शामिल करने की एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। स्वयंसहायता समूहों और उनके सदस्यों के बीच कैशलेस / डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) को यह सलाह दी गई है कि वे अपने राज्य में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) सहित विभिन्न बैंकों के साथ समन्वय करें, जिससे एसएचजी सदस्यों को उनके बीसी के रूप में शामिल किया जा सके।

महिला स्वयंसहायता समूहों की सदस्यों को ज़िले के अग्रणी बैंक द्वारा स्थापित किए गए ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) में एक सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और उन्हें भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ), मुंबई द्वारा आयोजित की जाने वाली एक ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक व्यवसाय समन्वयक को आईआईबीएफ से प्रमाणित होना चाहिए।

इस परीक्षा में शामिल हुई ग्रामीण क्षेत्रों की 96 प्रतिशत महिला एसएचजी सदस्य इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुकी हैं। आईआईबीएफ द्वारा अब तक 54,000 से ज्यादा महिला एसएचजी सदस्यों को व्यवसाय समन्वयक के रूप में प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जा चुका है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण और आईआईबीएफ प्रमाणन का खर्च वहन किया जाता है।

डीएवाई–एनआरएलएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए महिला एसएचजी सदस्यों को ‘डिजीपी सखी’ के रूप में शामिल करने के लिए सीएससी ई–गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड (सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार का सहयोगी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू के अंतर्गत, सीएससी ई–गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड उनके मोबाइल हैंडसेट पर डिजीपी एप्लीकेशन के माध्यम से बेसिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत करने के लिए एसएचजी सदस्यों को एक फिंगर प्रिंट डिवाइज़ भी उपलब्ध कराता है। फिंगर प्रिंट डिवाइज़ का खर्च भी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है। ये डिजीपी सखियां ग्रामीण समुदाय के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के अंतर्गत मनरेगा और अन्य सब्सिडियों के भुगतान की सुविधाएं भी घर पर उपलब्ध कराएंगी। सभी एसआरएलएम द्वारा ज़िला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और ज़िले में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रतिभागी बैंकरों, सीएससी प्रतिनिधियों, महिला एसएचजी सदस्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की भागीदारी सहित जनभागीदारी भी सुनिश्चित की गई है, जिससे कि 50,000 महिला एसएचजी सदस्यों को व्यवसाय समन्वयक के रूप में समर्पित करने के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।



भारत सरकार के कदम

देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस दौरान देश की आधी आबादी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उसे सामाजिक पहचान देने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं—

- आजादी के अमृत महोत्सव के 'आइकॉनिक वीक' के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामुदायिक उद्यम निधि (सी.ई.एफ) के रूप में 8 करोड़ 60 लाख रुपये का ऋण 2,614 स्वयंसहायता समूहों में वितरित किया। यह धनराशि 19 राज्यों को ग्राम स्टार्टअप उद्यमशीलता कार्यक्रम के तहत दी गई।
- रुरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ड्रेनिंग इंस्टीट्यूट (संक्षेप में – आरसेटी या रुडसेट) ने आजादी के अमृत महोत्सव के 'आइकॉनिक वीक' के तहत महिला-केंद्रित रोज़गार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।
- आर-सेटी की स्थापना से अब तक 26.8 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 18.7 लाख महिलाएं स्वरोज़गार कर रही हैं।
- दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत 174 प्रेरणा केंपों का आयोजन विशेष रूप से महिलाओं के लिए किया गया। इन केंपों में 4,281 महिलाओं को विभिन्न रोज़गारपरक पाठ्यक्रमों में नामांकित किया गया।
- दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना में प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में एक तिहाई महिलाओं का होना अनिवार्य है।

(स्रोत: पत्र सूचना व्यूरो)

अतिरिक्त सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता लाने और परिवर्तन की रणनीति तैयार करने के धरातल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।

जन-वितरण प्रणाली एवं स्थानीय स्कूलों की निगरानी, सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, स्कूल न जाने वाले बच्चों-किशोरियों को स्कूल से जोड़ना, शौचालयों के निर्माण व प्रयोग को बढ़ावा, किंचन गार्डन जैसे मुद्दों पर सरकार और स्थानीय प्रशासन का सहयोग कर यह समूह, अपने क्षेत्र में बदलाव का माध्यम बन रहे हैं। समूहों द्वारा इन कार्यों की प्रगति की समुदाय-आधारित निगरानी भी की जाती है। इसके अलावा, समय-समय पर इन समूहों को राज्य सरकारों द्वारा विशेष सामाजिक मुद्दों/अभियानों में भी शामिल किया जाता है।

ऐसा ही एक मुद्दा, समुदाय-स्तर पर कोविड जैसी आपदा का सामना करना था; जिसमें इन समूहों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई। समूहों ने कोविड से बचाव के लिए समुदाय को जागरूक किया; साथ ही, बड़े पैमाने पर मार्स्क, पी.पी.ई.किट, सैनिटाइज़र जैसी आवश्यक सामग्रियों का उत्पादन कर जनमानस के लिए सुरक्षा कवच तैयार किया। कोविड से बचावकारी टीका लगवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने में भी यह समूह बहुत सक्रिय है। लॉकडाउन के दौरान इन समूहों ने अपने उद्यमों की मदद से समुदाय के ज़रूरतमंद परिवारों तक आवश्यक खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति की। अनेक राज्यों में संचालित सामुदायिक रसोई के माध्यम से निराश्रित लोगों/परिवारों की मदद की गई।

तालिका-2 : स्वयंसहायता समूहों में सामाजिक समावेशन*

कुल सदस्य	कुल दिव्यांगजन सदस्य	अनुसूचित जाति के सदस्य	अनुसूचित जनजाति के सदस्य	अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य
8,21,86,548	16,04,429	1,82,08,625	1,12,88,832	74,27,102

स्रोत: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पोर्टल

आंकड़े गतिशील हैं, समूहों के गठन के अनुसार इनमें परिवर्तन दर्शाया जाता है।

*आंकड़े 30 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार

तालिका-3 : स्वयंसहायता समूहों द्वारा उत्पादित कोविड सामग्रियों की संख्या

मार्स्क	पी.पी.ई. किट	सैनिटाइज़र (लीटर)	सामुदायिक रसोई
16,89,27,854	5,29,741	5,13,059	1,22,682

स्रोत: 'आजीविका' डैशबोर्ड

समूह सदस्यों की आर्थिक-सामाजिक सक्रियता का लाभ अनेक स्तरों पर दिखता है। जागरूकता, नेतृत्व क्षमता, गतिशीलता, मुखरता जैसे अनेक अप्रत्यक्ष प्रभाव इन महिलाओं के व्यक्तित्व में उभरते हैं, जिनका लाभ, उनके परिवार जनों, विशेषकर, उनके बच्चों को मिलता है। जागरूक माताएं बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य-पोषण, स्वच्छता आदि का ध्यान रखकर उनके सुरक्षित भविष्य की नींव तैयार करती हैं। परिवार में बचत की आदत, और फिर रोज़गार के अवसरों से प्राप्त निरंतर आय से पूरे परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है, स्वयंसहायता समूह के मंच से।

12 अगस्त, 2021 को 'आत्मनिर्भर नारीशक्ति से संवाद' कार्यक्रम में स्वयंसहायता सदस्यों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वयंसहायता समूहों ने देश में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया है। समय-समय पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त बदलाव की कहानियों से पता चलता है कि अपनी सामूहिक शक्ति और निरंतर प्रयासों से यह समूह अपने क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक विकास का माध्यम बन रहे हैं, जिससे 'पीढ़ी-दर-पीढ़ी से चला आ रहा गरीबी का कुचक्क टूट रहा है, और सतत विकास का रास्ता खुल रहा है। देश की 'सामाजिक पूँजी' बनकर यह सशक्त नारियां अपने स्तर से राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही हैं।

(लेखिका एक अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी में कार्यरत है। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई-मेल : hena.naqvipti@gmail.com

प्रौद्योगिकी से समावेशी विकास

— भवित जैन और ईशिता सिरसीकर

डिजिटल साक्षरता और कनेक्टिविटी ने श्रम बाज़ार को मज़बूती देने के साथ ही शिक्षा ग्रहण करने और वित्तीय तौर पर स्वतंत्र होने के लिए मंच मुहैया कराया है। बड़े पैमाने पर नवोन्मेष से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की संभावनाओं को बल मिला है। साथ ही, नीति निर्माताओं को भी सब्सिडी और क्षेत्रवार दृष्टिकोण से आगे बढ़ कर सुधारों को लागू करने में मदद मिली है।

ग्रामीण भारत की प्रगति की रणनीति में प्रौद्योगिकी उन्नयन और समावेशी विकास पर खास ज़ोर दिया जा रहा है। उच्च और बेहतर उत्पादकता, सामाजिक-आर्थिक समानता, आधुनिक प्रौद्योगिकी से तालमेल तथा संवर्हनीय विकास राष्ट्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं। केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 90 करोड़ की आबादी के लिए शिक्षा से लेकर वित्तीय साक्षरता, कृषि प्रौद्योगिकी और कौशल विकास तक की योजनाएं चला रही है। ग्रामीण भारत की बेहतरी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सराहनीय एकता है। डिजिटल साक्षरता और कनेक्टिविटी ने श्रम बाज़ार को मज़बूती देने के साथ ही शिक्षा ग्रहण करने और वित्तीय तौर पर स्वतंत्र होने के लिए मंच मुहैया कराया है। बड़े पैमाने पर नवोन्मेष से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की संभावनाओं को बल मिला है। साथ ही, नीति निर्माताओं को भी सब्सिडी और क्षेत्रवार दृष्टिकोण से आगे बढ़ कर सुधारों को लागू करने में मदद मिली है।

कृषि


देश की कुल आबादी का 65 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के अनुसार कुल रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी 2017–18 में 35.3 प्रतिशत से बढ़कर 2018–19 में 36.1 प्रतिशत और 2019–20 में 38 प्रतिशत हो गई। सीएमआईई कृषि में विशेष योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रौद्योगिकी उन्नयन में सरकार के साथ सहयोग कर रहा है।

केंद्र सरकार ने अप्रैल, 2016 में किसानों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) की शुरुआत की। इसके ज़रिए 'एक राष्ट्र-एक बाज़ार' के दृष्टिकोण के तहत देश भर की मंडियों को जोड़ा गया। ई-नाम से किसानों और व्यापारियों को कृषि उत्पाद विपणन समितियों (एपीएमसी) से संबंधित सूचनाओं को हासिल करने में सहायता मिलती है। इसके ज़रिए किसान कृषि उत्पादों की आवक और खरीद-बिक्री के बारे में

जानकारी हासिल कर अपनी उपज का बेहतर मूल्य पा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को शुरू करने का मकसद कृषि विपणन में एक रुपता को बढ़ावा देना तथा खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सूचनाओं की असमानता को दूर करना है। ई-नाम पर पंजीकृत किसानों की संख्या 1.66 करोड़ हो गई है तथा 1.28 लाख व्यापारी इसके ज़रिए खरीद-फरोख्त करते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कृषक उत्पादक संघों (एफपीओ) की संख्या भी 1000 से ज्यादा है।

सरकार भारत के सभी जलभूतों के मानचित्रण में भी निवेश कर रही है। राष्ट्रीय जलभूत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम का उद्देश्य जलभूतों की 3डी मैपिंग तथा जलस्तर और संसाधनों के परिमाण, गुणवत्ता और स्थानिक एवं सामयिक वितरण के आधार पर उनका निरूपण है। जल शक्ति अभियान में मुख्य रूप से देश के सभी ज़िलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा के पानी के संरक्षण तथा इसके लिए समुचित अवसंरचना के निर्माण पर ज़ोर दिया गया है।

2022 के संघीय बजट में कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों और ड्झोनों के उपयोग पर बल दिया



स्रोत : <https://enam.gov.in/web/>



दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का नेतृत्व



महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाई



पहाड़ एवं झूसखलन लंसी चुनाँवियों का सामना करते हुए आशा कार्यकर्ताओं ने दूर-दराव के इलाकों में बैंकर्सिन से लुड़ी झिल्हक और भ्रातियों को दूर किया



'हर घर दस्तक' अभियान का पूरी कुशलता से नेतृत्व

गया है। उपज की निगरानी और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए झोनों के इस्तेमाल से सटीक कृषि को बढ़ावा मिलेगा।

वैकल्पिक स्रोत और संवहनीय आजीविकाएं

कुशल और अकुशल श्रम के बीच अंतर को मिटा कर चौथी औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभावों को असरदार ढंग से हकीकित में बदलने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल ज़रूरी है। भारतीय आबादी का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा कम उत्पादकता वाली कृषि में लगा है। लिहाज़ा, उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग अनिवार्य हो जाता है। बड़ी संख्या में पुरुषों के रोज़गार के मौकों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन से कृषि का बोझ महिलाओं के कंधों पर आ गया है। उन्हें कठोर श्रम वाले काम करने पड़ रहे हैं जिससे उत्पादकता के स्तर में गिरावट आयी है। महिलाओं को भूमि, सिंचाई, ऋण, खेती के साज़ों-सामान और बाज़ार तक पहुंच के अभाव का सामना भी करना पड़ता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य जल के उपयोग की कुशलता में सुधार और सिंचाई का हर भारतीय खेत तक विस्तार करना है।

सिकुड़ता बाज़ार और घनत्व में कमी दीर्घकालिक और संवहनीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण में अवरोध रहे हैं। इस तरह के अवरोधों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के कुशल व्यक्तियों को रोज़गार और छोटे व्यवसायों को विकास के सही अवसर नहीं मिल पाते। डिजिटलीकरण से इस तरह के अवरोधों को दूर करने में काफी मदद मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति के नये अवसर तथा बेहतर और ज़्यादा विधितापूर्ण व्यवसायों के मौके मिल सकेंगे। व्यापार के समय और व्यय में कमी, उत्पाद और सेवाओं के अनूठे तौर-तरीकों के आदान-प्रदान और श्रम बाज़ार में शामिल होने की आज़ादी डिजिटल युग के कुछ ऐसे लाभ हैं जो ग्रामीण समुदायों के लिए फायदेमंद होंगे।

प्रौद्योगिकी उन्नयन से व्यापार पर खर्च घटेंगे और ग्रामीण क्षेत्र

नए बाज़ारों का लाभ उठा सकेंगे। नई प्रौद्योगिकियां ग्रामीण उत्पादों और सेवाओं को कम खर्च पर और तेज़ी से दूर के बाज़ारों तक पहुंचाने में मददगार होंगी। मसलन, चालकरहित वाहन चौबीसों घंटे चल सकते हैं। इस तरह वे पारम्परिक ट्रकों की तुलना में कम समय में ज़्यादा दूरी तय करेंगे जिससे माल ढुलाई के खर्च और समय में कमी आएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोनों के ज़रिए आपूर्ति शुरू की जा सकती है। इन क्षेत्रों में नियम कम सख्त हैं और ऊँची इमारतें भी नहीं होतीं जिससे ड्रोन का संचालन आसान हो जाता है। इस तरह की डिलीवरी प्रणाली से ग्रामीण क्षेत्रों को भौगोलिक और अवसंरचनात्मक चुनौतियों से निपटने में सहायता मिलेगी। नई प्रौद्योगिकियां ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में उद्यमिता और व्यवसाय के परिवेश को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और मझोले उद्यमों को प्रौद्योगिकी उन्नयन से लाभ मिलेगा। सीमा के आर-पार ई-वाणिज्य या डिजिटल प्लेटफॉर्मों के ज़रिए व्यवसाय उन उद्यमों के लिए बाधाओं को घटाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है जो अपने उत्पादों को वैश्विक बाज़ारों में बेचना चाहते हैं। इसी तरह योगशील निर्माण जैसी नई प्रौद्योगिकियां छोटे पैमाने पर उत्पादन को किफायती बनाने की क्षमता रखती हैं। छोटे व्यवसाय 3डी प्रिटरों के ज़रिए स्थानीय मांग के अनुसार वस्तुओं और मानक पुर्जों का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बड़े परिमाण में सामग्रियां मंगाने या उनके भंडारण की दरकार नहीं होगी जिससे आयातों पर उनकी निर्भरता घटेगी।

वित्तीय समावेशन

किसी भी देश का आर्थिक विकास विभिन्न वित्तीय सामग्रियों और सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच पर काफी निर्भर करता है। इसलिए सरकार इस ओर खासतौर से ध्यान दे रही है। पिछले कुछ वर्षों में कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से देश में वित्तीय समावेशन की रफ्तार में तेज़ी आई है। इसमें प्रौद्योगिकीय प्रयासों और

my
GOV
मेरी सरकार

उच्चवल भविष्य की ओर पहल

PMKVY
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
PRADHAN MANTRI KAUSHAL VIKAS YOJANA

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
लगभग 50% प्रशिक्षित
उम्मीदवार महिलाएं हैं

**प्रधानमंत्री सुकृत्या
समृद्धि योजना**
2.26 करोड़ खाते खोले गए
एवं ₹80,509 करोड़ की राशि
लगा की गई

*अक्टूबर 2021 तक



नवोन्नेषों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) ने दूरदराज के तथा वंचित क्षेत्रों और तबकों तक वित्तीय सामग्रियों और सेवाओं को पहुंचाने के लिए प्लेटफॉर्म की स्थापना में उत्प्रेरक का काम किया है। इन कोशिशों से वाणिज्यिक बैंकों को भी अपनी लागत घटाने, ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने और व्यवसाय में जोखिम का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने में मदद मिली है।

भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के अनेक प्रयास किए हैं। मसलन, उसके प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में लाभों को सीधे हस्तांतरित करना है। डीबीटी ने विशिष्ट आधार पहचान कार्यक्रम के साथ मिल कर दोहराव और धोखाधड़ी को खत्म किया है। यह पेंशनभोगियों और विभिन्न योजनाओं के अन्य लाभार्थियों तक लाभों के हस्तांतरण समेत वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में मददगार रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) ने केंद्र और राज्य सरकारों तथा स्थायीय निकायों के लाभों को लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने और डीबीटी को आगे बढ़ाने में काफी प्रगति की है। लगभग 2,10,000 करोड़ रुपये डीबीटी के ज़रिए वंचितों को हस्तांतरित किए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत वैशिक महामारी के दौरान लगभग आठ करोड़ पीएमजेडीवाई खाताधारकों को विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के लाभ सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किए गए। डीबीटी शुरू होने के बाद महिलाओं की अपने परिवार के पुरुष सदस्यों पर वित्तीय निर्भरता घटने के संकेत दिखाई देने लगे हैं। इसने सुनिश्चित किया है कि महिलाओं का अपने बैंक खातों पर नियंत्रण हो। इससे उनकी श्रमबल में भागीदारी, वित्तीय आत्मनिर्भरता, मोलभाव की शक्ति और आर्थिक फैसले करने की क्षमता में वृद्धि हुई है। डीबीटी के ज़रिए महिलाओं की मजदूरी और अन्य लाभों को

संयुक्त खाते या परिवार के पुरुष सदस्यों के खातों के बजाय सीधे उनके अकाउंट में भेजा जा रहा है।

देश में नकदीरहित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) ऐप की शुरुआत की गई है। उपभोक्ता इस मोबाइल ऐप से अपने बैंक खातों को जोड़ कर विक्रेताओं और व्यापारियों से सीधे लेन-देन कर सकते हैं। भीम ऐप के उपयोगकर्ता भुगतान के लिए क्यूआर कोड, मोबाइल नंबर और वर्चुअल पेमेंट ऐड्रेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। भीम अकाउंट खोलने के लिए एक स्मार्टफोन, बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर और रुपये, वीसा या मास्टर कार्ड की ज़रूरत होती है।

इसकी मदद से दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों और गांवों के निवासी यूपीआई आधारित लेन-देन का विकल्प अपना सकते हैं। भीम ऐप इंटरनेट के बिना भी प्रभावी ढंग से काम करता है। इस तरह इसने कमज़ोर इंटरनेट कनेक्शन और स्मार्टफोन के अभाव से पैदा होने वाली चुनौतियों का हल किया है।

वित्तीय समावेशन और अन्य कल्याण योजनाओं में प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेत्रों का इस्तेमाल करने वाली इन पहलकदमियों से दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने में बहुत मदद मिली है। इनसे कल्याण योजनाओं में बर्बादी रोकने, लेन-देन की प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका खत्म करने तथा धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की आशंका घटाने में सहायता मिली है।

शिक्षा

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल की गई है। इसमें डिजिटल, ऑनलाइन और ऑनएयर शिक्षण को जोड़ कर बहुपद्धति शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इस पहल में शामिल कार्यक्रम हैं –

- **दीक्षा (डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग) :** यह 'एक राष्ट्र-एक डिजिटल स्लेटफॉर्म' पहल है। इसके तहत राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना के ज़रिए राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
- **स्वयं (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स) :** यह शिक्षा नीति के तीन बुनियादी सिद्धांतों—पहुंच, न्यायसंगतता और गुणवत्ता को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार की पहल है। इसका मकसद सर्वश्रेष्ठ शिक्षण और ज्ञानार्जन पद्धतियों को सबसे ज्यादा वंचित नागरिकों समेत हर किसी तक पहुंचाना है। 'स्वयं' उन छात्रों के लिए विभाजन को

खत्म करता है जो डिजिटल क्रांति से पिछड़ने के कारण ज्ञान अर्थव्यवस्था में पूरी तरह भाग लेने में असमर्थ हैं। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कोई भी, कभी भी और कहीं भी नौवी से लेकर स्नातकोत्तर तक पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों तक पहुंच सकता है। ये सभी पाठ्यक्रम पूरी तरह निःशुल्क और संवादात्मक हैं तथा इन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों ने तैयार किया है।

प्रौद्योगिकी समर्थित ग्रामीण विकास के लिए सरकारी योजनाएं—

- **ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नयन (तारा) :** इस योजना को कौशल संवर्धन शिक्षा और विकास कार्यक्रम (सीड) के तहत चलाया गया है। ग्रामीण और अन्य पिछड़े क्षेत्रों में विज्ञान आधारित स्वयंसेवी संगठनों और क्षेत्रीय संस्थाओं को दीर्घकालिक बुनियादी समर्थन मुहैया कराने में इसकी अहम भूमिका है। यह योजना इन संस्थाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्भवन केंद्रों और सक्रिय क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के तौर पर बढ़ावा देती और परिपोषित करती है ताकि ये आजीविका सृजन और सामाजिक लाभ के लिए प्रौद्योगिकीय समाधान और प्रौद्योगिकियों की प्रभावी डिलीवरी मुहैया करा सकें।
- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) :** इसका उद्देश्य भारत की समेकित डिजिटल स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के लिए ज़रूरी ढांचे का विकास है। यह स्वास्थ्य सेवा उद्योग में विभिन्न पक्षों के बीच दूरी को खत्म करने के लिए डिजिटल हाइवे का इस्तेमाल करती है।
- **आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (आभा) :** इसके ज़रिए भागीदार स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच सुरक्षित और ज़्यादा प्रभावी ढंग से डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड का आदान—प्रदान किया जा सकता है। एबीडीएम में शामिल होने और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाना होगा। व्यक्ति की पहचान और प्रमाणन के बाद उसकी सहमति से ही उसके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को विभिन्न प्रणालियों और हितधारकों को मुहैया कराया जाता है।
- **ई—श्रम :** इस प्लेटफॉर्म को श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने उन असंगठित कामगारों के लाभ के लिए बनाया है जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) या कर्मचारी भविष्यानिधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्य नहीं हैं। श्रमिक योजना में शामिल होने और ई—श्रम कार्ड हासिल करने के अनेक लाभ हैं। इसके ज़रिए सरकार के सामाजिक सुरक्षा के उपायों से कामगारों की मदद की जाती है।
- **राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) :** सभी राज्यों में राजधानियों, ज़िला मुख्यालयों और प्रखंड स्तर तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी मुहैया करायी गई है। देश की ढाई लाख ग्राम पंचायतों को इससे जोड़ा जा रहा है। यह काम भारत संचार निगम लिमिटेड, रेलटेल और पॉवर ग्रिड जैसे

सार्वजनिक उपक्रमों के फाइबरों के उपयोग से किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए ज़रूरत पड़ने पर नए फाइबर भी बिछाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों को डार्क फाइबर नेटवर्क से बढ़े बैंड विस्तार से लाभ होगा। इसे एनओएफएन के नाम से जाना जाएगा। इसके ज़रिए ग्राम पंचायतों और प्रखंडों के बीच कनेक्टिविटी के अंतर को खत्म किया जाएगा।

- **सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी) :** यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत मिशन के तौर पर चलायी जा रही एक परियोजना है। सीएससी आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं के लिए पहुंच के बिंदु के तौर पर काम करता है। गांवों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिक इसके ज़रिए समाज कल्याण, स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा, कृषि और व्यवसाय से संबंधित कार्यक्रमों और उपभोक्ता सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसका देशव्यापी नेटवर्क क्षेत्रीय, भौगोलिक, भाषायी और सांस्कृतिक विविधताओं की ज़रूरतों को पूरा करता है। सार्वजनिक सेवा केंद्र सामाजिक, वित्तीय और प्रौद्योगिकीय तौर पर समावेशी समाज के निर्माण के सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में मददगार हैं।
- **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम :** यह देश को ज्ञान—आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल तौर पर सशक्त समाज में तब्दील करने के लिए प्रमुख पहल है। इसमें तीन आवश्यक क्षेत्र — सभी नागरिकों के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना, मांग पर सेवाएं तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तीकरण शामिल हैं।
- **डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) :** इस केंद्रीय योजना का मकसद जमीन के रिकॉर्डों की मौजूदा समानताओं का इस्तेमाल कर एक समुचित समेकित भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईएल आईएमएस) विकसित करना है। इसमें विभिन्न राज्य अपनी विशेष आवश्यकताओं को भी जोड़ सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत में बहुसंख्यक आबादी अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। लिहाजा, ग्रामीण विकास को भारत की प्रगति की कहानी का पर्याय माना जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हमेशा से हमारी प्राथमिकता रहा है। लेकिन डिजिटलीकरण की शुरुआत के बाद ग्रामीण विकास की गति में तेज़ी आयी है। मौजूदा समय में भारतीय ग्रामीण क्षेत्र समावेशी और संवहनीय विकास के दौर से गुज़र रहे हैं। जन धन योजना जैसी योजनाएं ग्रामीण भारत में अत्यंत सफल रही हैं। कृषि की गतिविधियों का आधुनिकीकरण हो रहा है और इनमें पर्यावरण के अनुकूल तौर—तरीके अपनाए जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी से ग्रामीण विकास को बल मिला है। इस रुझान को बरकरार रखा गया तो ग्रामीण भारत शीघ्र ही देश में नई प्रौद्योगिकीय पहलकदमियों का बाहक बनेगा।

(लेखिका द्वय इन्वेस्ट इंडिया की स्ट्रैटेजिक इंवेस्टमेंट रिसर्च यूनिट में रिसर्चर हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई—मेल : ishita.siriskar@investindia.org.in



प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

देरा के सबसे बड़े सरकारी प्रकाशन समूह संग व्यापार का अवसर

हमारी लोकप्रिय पत्रिकाओं और साप्ताहिक रोजगार समाचार की विपणन एजेंसी लेकर सुनिश्चित करें आकर्षक नियमित आय

विपणन एजेंसी मिलना... मतलब

- असीमित लाभ
- निवेश की 100% सुरक्षा
- स्थापित ब्रांड का साथ
- पहले दिन से आमदनी
- न्यूनतम निवेश-अधिकतम लाभ

रोजगार समाचार के एजेंसी धारकों के लिए लाभ

प्रतियों की संख्या	खुदरा मूल्य में छूट
20-1000	25%
1001-2000	35%
2001-अधिक	40%

मासिक पत्रिकाओं के एजेंसी धारकों के लिए लाभ

प्रतियों की संख्या	खुदरा मूल्य में छूट
20-250	25%
251-1000	40%
1001-अधिक	45%

विपणन एजेंसी पाना बेहद आसान

- किसी शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता नहीं
- कोई व्यावसायिक अनुभव जरूरी नहीं
- खरीद का न्यूनतम तीन गुना निवेश (पत्रिकाओं हेतु) अपेक्षित



सम्पर्क

रोजगार समाचार
फोन: 011-24365610
ई-मेल: sec-circulation-moib@gov.in

पत्रिका एकक
ई-मेल: pdjucir@gmail.com
फोन: 011-24367453

पत्र भेजें : रोजगार समाचार, कक्ष संख्या-779, 7वां तल, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

रु. 15/-

रु. 22/-

रु.
12/-

आर. एन. आई./708/57

डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2021-23

आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.

दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2021-23

01 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित एवं 5-6 अप्रैल, 2022 को डाक द्वारा जारी

R.N.I/708/57

P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2021-23

ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2021-23

to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.




एक सम्पूर्ण वार्षिक संदर्भ ग्रन्थ के साथ

Just
Released

प्रतियोगिता
परीक्षाओं में

Code No. 870

Vol. 1



ताजा महत्वपूर्ण घटनाओं का विवेचन

नवीनतम ऑकड़ों एवं तथ्यों सहित

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के साथ-साथ
अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी

Also Available on : pdgroup.in

amazon

flipkart.com

Scan the QR
Code with your
mobile and
open the link to
see the range of
extra issues.



Download FREE QR Scanner
app from the app store

Code No. 801
₹ 295/-

प्रतियोगिता दर्पण || 1, स्टेट बैंक कॉलोनी, खन्दारी, आगरा-मथुरा बाईपास, आगरा-282 005
फोन : (0562) 2530966, 2531101 • E-mail : care@pdgroup.in • Website : www.pdgroup.in
• नई दिल्ली 23251844, 43259035 • हैदराबाद 24557283 • पटना 2303340 • हल्द्वानी भौ. 07060421008

प्रकाशक और मुद्रक: मोनीदीपा मुखर्जी, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.

मुद्रक : विभा प्रेस प्रा. लि., सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-II, नई दिल्ली-110020, वरिष्ठ संपादक: ललिता खुराना